खण्ड-177, अंक-3
बुधवार, 7 भाद्रपद, शक संवत् 1878
(29 अगस्त, 1956 ई0)

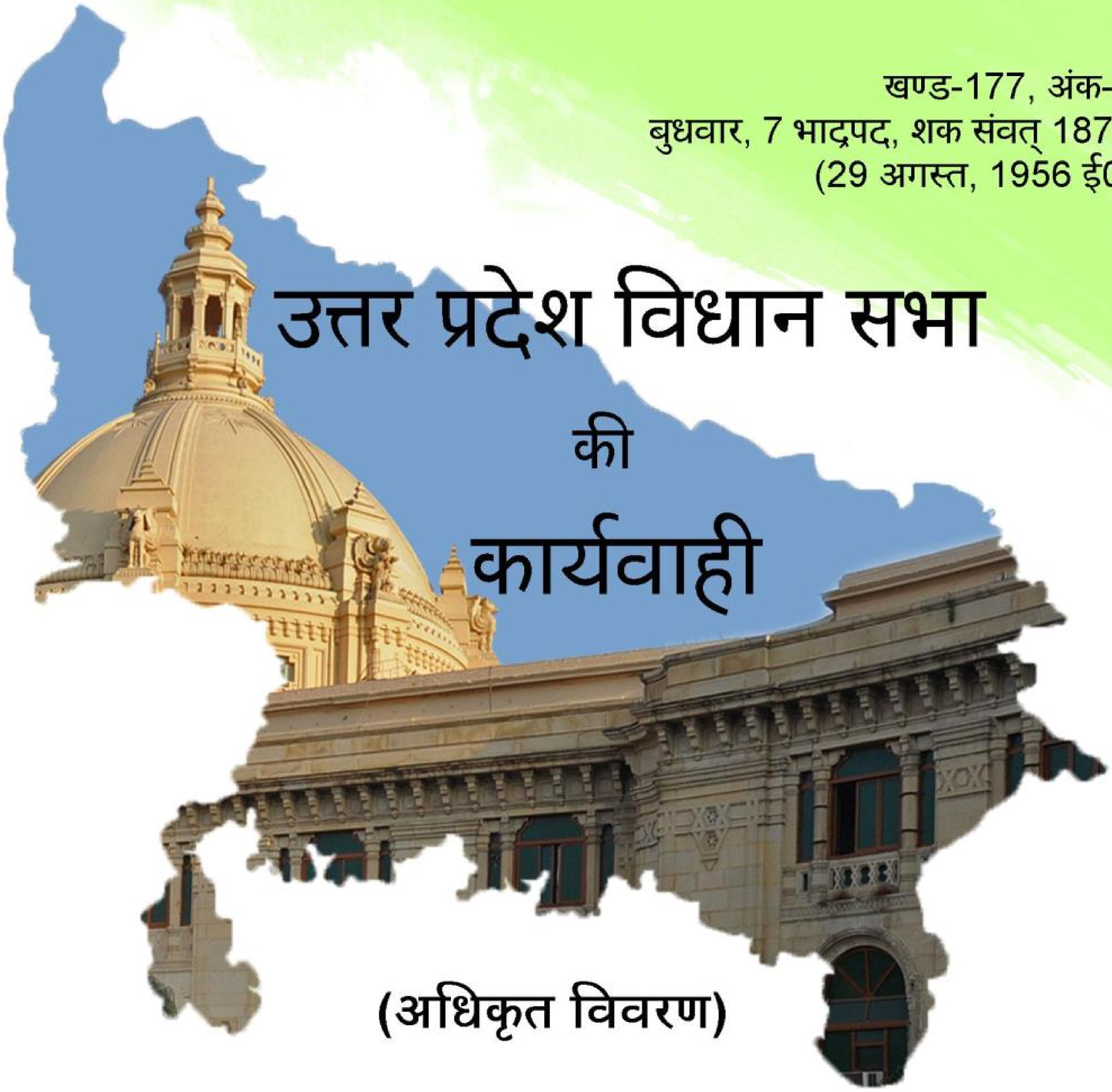

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 177 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २९ अगस्त, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२३०)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीजइमाम, श्री
अतहरहुसेन ख्वाजा, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशरफअली खां, श्री
इरतजाहुसैन, श्री
इसराहुल हक, श्री
इस्तफाहुसेन, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशव राम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
झारखंडराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री

तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
मक़सूदआलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद वसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री

विधान सभा प्रदेश

रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सहदेव सिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २९ अगस्त, १९५६

तारांकित प्रश्न

*१--२---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---[२६ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

तराई-भावर क्षेत्र में चीनी मिलों की आवश्यकता

*३---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गन्ना विभाग द्वारा तराई-भावर में चीनी की २ मिलें स्थापित करने हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)---जिला नैनीताल में स्थापित होने वाली दो चीनी मिलों में से एक बाजपुर में सहकारी आधार पर लगायी जाने वाली है तथा दूसरी सर्वश्री दान सिंह विष्ट एन्ड सन्स द्वारा लालकुआं (किच्छा क्षेत्र) बाजपुर में स्थापित होनेवाली सहकारी चीनी मिल की मशीनरी के लिये बड़े-बड़े फर्मों से टेन्डर आ चुके हैं और उन पर विचार हो रहा है । मिल के लिये नियमावली (Bye-laws) भी तैयार हो चुकी है । सर्वश्री दान सिंह विष्ट एन्ड सन्स भी अपनी फैक्टरी के लिये कार्यवाही कर रहे हैं और प्राप्त सूचना के अनुसार उन्होंने मशीनरी के लिये आर्डर दे दिया है । सरकार उन्हें कर्ज देने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

*४---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि तराई-भावर इलाके में आधे से ज्यादा गन्ना अभी तक खेतों में खड़ा है ? यदि हां, तो सरकार उसको पेरने का क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री फूलसिंह---प्राप्त सूचना के अनुसार नैनीताल के तराई और भावर क्षेत्र में अब गन्ना खेतों में नहीं खड़ा है । जो गन्ना शेष रहा था उसको पिरवाने के लिये अधिकारियों ने हर सम्भव प्रयत्न किया और मिलों को जून के अन्त तक चलवाया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि दानसिंह विष्ट ऐण्ड संस जो अपनी फैक्टरी लगा रहे हैं वह किस स्थान पर लगा रहे हैं ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---वह अपनी फैक्टरी किच्छा और रुद्रपुर के बीच में जो स्थान है वहां लगाना चाहते हैं और वहीं की जमीन के लिये उन्होंने सरकार को बता रखा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या वह फैक्टरी के चारों तरफ कोई फार्म भी बनाना चाहते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---फैक्टरी के चारों तरफ फार्म लगाने का उनका विचार है और वह चाहते भी हैं लेकिन अभी कोई फार्म इत्यादि की जगह तो उनके लिये तय नहीं हुयी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार इस फार्म आदि बनाने के सम्बन्ध में फैक्टरी के चारों तरफ, कोई सलाह उनको दे चुकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी तो कोई सलाह नहीं दी है । कुछ उनकी जमीन वहां पर है उसमें शायद वह फार्म लगाना चाहते हैं या उस जमीन को सरकार को देना चाहते हैं और उसके एवज में सरकार से जमीन लेना चाहते हैं । लेकिन कोई ब्योरेवार निर्णय उनसे इस विषय में नहीं हुआ ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार इस बात से असन्तुष्ट है कि जो कोआपरेटिव फैक्टरियां यहां उत्तर प्रदेश में लगायी जा रही हैं उनमें बहुत देर हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---असन्तुष्ट है और संतुष्ट नहीं है इसकी इत्तला तो ज्यादा मेरे मित्र को अधिक होगी। लेकिन जहां तक मेरा और सरकार का सम्बन्ध है उसके पास तो नाखुशी की कोई बात अभी आयी नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बाजपुर में सहकारी चीनी मिल के टेंण्डर कब सरकार के पास आ चुके थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---बाजपुर फैक्टरी के टेन्डर तो जो कोआपरेटिव सोसाइटी बने उसको मंगाने हैं, परन्तु केन कमिश्नर को उन बाई-लाज की तहत में अभी कुछ अधिकार दिये गये हैं। जो माडेल बाई-लाज बनाये गये हैं और जो हाई पावर कमेटी इन कोआपरेटिव सोसाइटीज के सम्बन्ध में बनी हुयी हैं जिसमें कई एक्सपर्ट भी हैं उनके समक्ष इस प्रश्न को रखा था और उन टेन्डर्स को भी रखा जोकि उन्होंने और जो अफसर आन स्पेशल ड्यूटी हैं उन्होंने इस फैक्टरी की मशीन इत्यादि के लिये मंगा रखे थे। दो दफा उसके विषय में मीटिंग हुयी और आखिर में एक टेन्टेटिव फैसला यह हुआ कि एक जर्मन फर्म को इसके लिये आर्डर दिया जाय। यही मंजूर हुआ है और उसकी घोषणा या उस फर्म को जो एक जाब्ते से आर्डर देने का कार्य है वह दो चार रोज में हो जायगा।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार उन कारणों पर रोशनी डालने की मेहरबानी करेगी कि इन फैक्टरियों के खुलने में और अगले सीजन में चलने में क्यों देरी हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---बात यह है कि यह कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी पहली बार इस प्रदेश में लग रही है। अभी तक इन फैक्टरियों के चलाने का कोई तजुर्बा हमारे अधिकारियों को नहीं है और सरकार को भी नहीं है। सरकार ने अन्य प्रदेशों से जहां पर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी लगी हुयी है वहां से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। अपने अधिकारियों को उसने वहां भेजा और वहां के तजुर्बे की बुनियाद पर उसने बाई-लाज बनाने के लिये प्रयास किया है। अब बाई-लाज उस हाईपावर कमेटी के सामने हैं। इसलिये इन बाई-लाज इत्यादि के सिलसिले में थोड़ी देर अवश्य हुयी है। साथ ही मशीनरी इत्यादि के विषय में भी सरकार या उसके अधिकारियों को कोई खास तजुर्बा नहीं था। इसलिये उसने उन विशेषज्ञों को जो केन्द्रीय सरकार के हैं उन्हें उस कमेटी पर नियुक्त किया है जो सरकार को सलाह दे सकेंगे कि किस फैक्टरी को किस फर्म से खरीदना चाहिये या किससे उसकी मशीनरी खरीदना चाहिये। इसीलिये कुछ देर हुयी है। लेकिन तब भी हमने इस बात की घोषणा की थी और उस वक्त भी हमने यह सोच रखा था कि जो फैक्टरी हम यहां लगायेंगे वह ५७-५८ में काम करेगी। अब जिस फर्म को मशीनरी का आर्डर दे रहे हैं वह ५७-५८ में उस फैक्टरी को चालू करने की कोशिश करेंगे इसलिये जहां तक हमारी पहली योजना है उसके अनुसार कोई देर नहीं हो रही है। पहले भी जो हमने अन्दाजा लगाया था वह यही अन्दाजा लगाया था कि हम ५८ के सीजन में उस फैक्टरी को चालू कर सकेंगे। अब जिस फर्म को आर्डर दिया जा रहा है उसने भी वचन दिया है कि वह अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, १९५७ में फैक्टरी को लगा देंगे और उसको ३-३॥ महीने कार्य करने के लिये मौका दे सकेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या हाई पावर कमेटी ने तराई-भावर में मझोला के क्षेत्र में कोई कोआपरेटिव फैक्टरी लगाने की योजना स्वीकार की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कहां कहां कोआपरेटिव फैक्टरी लगे और अन्य फैक्टरी लगे यह विषय एक कमेटी के सिपुर्द है जिस कमेटी के अध्यक्ष माननीय फूलसिंह हैं और उसमें और हमारे कई सरकारी कर्मचारी भी हैं । उन्होंने अभी तो यह सलाह हमें नहीं दी है । वह सारी बातों पर विचार कर रही है कि कहां कहां सरकार फैक्टरी लगाये या किन किन स्थानों से फैक्टरी हटाकर किन स्थानों में लगाये । जब वह कमेटी जांच कर लेगी और हमारे पास उसकी सिफारिश आ जायेगी तब हम बता सकेंगे कि सरकार कहां कहां और फैक्टरी लगाना चाहती है । एक जगह के बारे में निर्णय हो चुका है बागपत में एक कोआपरेटिव फैक्टरी लगाना निश्चित हो चुका है क्योंकि वहां फैक्टरी लगाने के लिये लोगों को लाइसेंस मिल चुका है ।

हथकरघा बुनकर सहकारी समिति, मऊ के विरुद्ध फर्जी बीजक बनाने के संबंध में शिकायतें

*५---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को पता है कि आजमगढ़ जिला में हथकरघा बुनकर सहकारी समिति मऊ ने हैन्डलूम कपड़े के आढ़तियों के नाम से कई लाख रुपये के फर्जी बीजक बनाकर सरकार से रिबेट (छूट) का रुपया वसूल कर लिया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर कौन-सी कार्यवाही की ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास)---सरकार के पास समिति के विरुद्ध इस सम्बन्ध में शिकायतें आयी हैं । जिन पर उद्योग विभाग के एक प्रमुख अधिकारी द्वारा जांच करायी जा रही है ।

*६---श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि मऊ हैन्डलूम क्लाथ मर्चेन्ट एसोसियेशन के आढ़तियों ने तथा मऊ की कांग्रेस समिति ने सरकार को इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री बनारसीदास---जी हां, प्रस्तावों में समिति के विरुद्ध आरोपों पर जांच की मांग की गयी है ।

श्री गेंदासिंह---क्या इनकी जानकारी सरकार को है कि उद्योग विभाग ने इसकी जांच में अनावश्यक देरी की और बहुत कागजात ऐसे भी थे जो जब्त किये जा सकते थे लेकिन जब्त नहीं किये जा सके जिससे मुकदमें में दिक्कत पड़ी ?

श्री बनारसीदास---ऐसा नहीं है कि इसमें अनावश्यक देरी की गयी बल्कि जिस वक्त में शिकायतें आयीं उसी के बाद जिला मैजिस्ट्रेट को आदेश दिया गया और एस० डी० एम० द्वारा सारे कागजों को क़ब्जे में कर लिया गया । फिर डिप्टी डाइरेक्टर को जांच के लिये भेज दिया गया और उन्होंने वहां कुछ जांच भी की । लेकिन अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आयी है । लेकिन कोई ऐसा खतरा नहीं है कि कागज गायब हो गये हों ।

श्री गेंदासिंह---किस वक्त यह शिकायत सरकार के सामने आयी थी और कब से यह जांच की कार्यवाही हो रही है और अभी तक क्या कार्यवाही हुयी ?

नोट:---तारांकित प्रश्न ५-६ श्री झारखंडे राय ने पूछे ।

श्री बनारसीदास—यह तो बताया गया कि सबसे पहले खंडेलवाल जी ने शिकायत की थी। खास तौर से जून के महीने में मुख्य मंत्री जी से वह मिले थे और यहां से फिर उसके बाद में उद्योग विभाग के संचालक के पास भेजा गया। वैसे शिकायतें पहले भी थीं लेकिन डाइरेक्टर का मत यह था कि वह कुछ अतिशयोक्ति के साथ में थीं और खास तौर से पार्टीबन्दी के आधार पर। बाद में यह जरूरी समझा गया जून में कि उसकी जांच करायी जाय और तब वहां डिप्टी डाइरेक्टर को भेजा गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि वहां मऊ स्थान पर सरकारी आदेश पहुंचने के चार दिन बाद जांच शुरू की गयी ?

श्री बनारसीदास—यह तो माननीय सदस्य को ज्यादा पता होगा लेकिन जैसा कि अभी मैंने निवेदन किया कागज सब कब्जे में कर लिये गये हैं। एक प्रेलिमिनरी रिपोर्ट भी आ गयी है। डिप्टी डाइरेक्टर विस्तार के साथ में जांच कर रहे हैं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन सज्जन ने इस विषय में आरोप लगाये थे उनसे भी उस उच्च अधिकारी की ओर से कोई सहायता प्राप्त की गयी ? यदि हां, तो किस प्रकार की ?

श्री बनारसी दास—वह तो जिन्होंने शिकायत की उन्होंने सबूत दिये हैं इसके अलावा कागजात हैं और फिर दूसरे जरिये हैं जिनके द्वारा वहां पर जांच की गई और जहां तक कि रिबेट का सवाल है कोई खतरा भी नहीं है। जहां तक रिबेट का सवाल है आधा रुपया तो इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन के पास है। ३० हजार रुपये के करीब फैक्टरी के अन्दर लगा दिया गया है और अगर मालूम हुआ कि रिबेट गलत दिया गया है तो वह रुपया वसूल किया जा सकता है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन अफसरों के खिलाफ शिकायत है वह अफसर काम कर रहे हैं या उनको सस्पेंड कर दिया गया है ?

श्री बनारसीदास—अफसरों का तो इसमें कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। यह तो समिति के विरुद्ध है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि खंडेलवाल साहब जिन्होंने इसकी शिकायत की है उनकी जान व माल का खतरा है और उन्होंने उद्योग मंत्री और कुछ और जिम्मेदार सरकार के अधिकारियों को इसकी सूचना दी है ?

श्री बनारसीदास—ऐसा तो कोई खतरा नहीं मालूम पड़ता है कि उनकी जान व माल को कोई खतरा हो। बहरहाल वह मऊ के अन्दर रहते हैं। कोई ऐसा खतरा नहीं मालूम पड़ता।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि लाखों रुपया फर्जी बीजक के जरिये से जिन लोगों ने निकाला था उनमें से कोई जेल में भी है ?

श्री बनारसीदास—अभी तो इसका प्रश्न पैदा नहीं होता। अभी तो अन्तिम जांच की रिपोर्ट भी नहीं आयी है।

*७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—[२६ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

मऊनाथ भंजन में कलेन्डर मशीन के प्रयोग के लिए स्टीम कोयले के कोटे की चोर बाजारी के संबंध में शिकायत

*८—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिला सप्लाई आफिसर के पास फरवरी, सन् ५६ में मऊनाथ भंजन के एक फर्म द्वारा कलेन्डर मशीन के उपयोग के लिये स्टीम कोयले के कोटे की चोर बाजारी के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था ?

श्री बनारसीदास—जी हां ।

*९—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री बनारसीदास—इस सम्बन्ध में जांच कराई गयी और आरोप निराधार सिद्ध हुआ ।

*१०—श्री विश्राम राय (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा जांच करायेंगे ?

श्री बनारसीदास—अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा जांच कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

*११-१३—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[५ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

चर्मकला सहकारी समिति, मेहदावल, जिला बस्ती को अनुदान

*१४—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार को ज्ञात है कि कस्बा मेहदावल (बस्ती) में चर्मकला सहकारी समिति की रजिस्ट्री कब हुयी ? क्या इस समिति की कोई दरख्वास्त सहायता और कर्ज के लिये सरकार के पास आयी ? यदि उत्तर हां में है, तो अबतक कर्ज या सहायता क्यों नहीं दी गयी ?

श्री बनारसीदास—चर्मकला सहकारी समिति मेहदावल, बस्ती की रजिस्ट्री ३१-१-५५ को हुयी थी ।

जी हां, इस समिति को सहायता और कर्ज के लिए जो दरख्वास्त सरकार के पास आयी थी उस पर २,५०० रुपया ऋण और १,००० रुपया का अनुदान स्वीकृत किया गया है ।

श्री राजाराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सहायता मंजूर हुयी है वह अगले महीने मिल जायगी ?

श्री बनारसीदास—जी हां, इस कमेटी की मीटिंग अभी इस १३ तारीख को हुयी थी और यह स्वीकार कर ली गयी है । यहां संचालक के दफ्तर में यह सारे प्रार्थना-पत्र हैं उसमें बांड वगैरा भरना पड़ेगा । जितनी देर उसमें लगेगी बस उतनी ही देर लगेगी फिर उनको वह सहायता मिल जायगी ।

*१५-१६—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—[५ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

नोट:—तारांकित प्रश्न ८-१० श्री राम सुभग वर्मा ने पूछे ।

अल्मोड़ा जिले के ज्युला चौबटिया स्थान में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की मांग

*१८—श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह सही है कि गत जून महीने में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जब दौरे पर बिनसल (अल्मोड़ा जिले) में गये थे तो पट्टी खरई के निवासियों का एक डेपूटेशन उनसे खरई पट्टी के ज्युला चौबटिया (खाकर) नामक स्थान में एक राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के सम्बन्ध में मिला था ?

नियोजन मन्त्री के सभा-सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—जी हां ।

*१९—श्री गोवर्धन तिवारी—क्या यह सही है कि उपर्युक्त डेपूटेशन की मांग के औचित्य एवं आवश्यकता को स्वीकार कर माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को यह नोट लिखा है कि खरई पट्टी में एक राजकीय औषधालय इसी वर्ष खोल दिया जाय ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां ।

*२०—श्री गोवर्धन तिवारी—क्या सरकार माननीय स्वास्थ्य मंत्री के उपरोक्त नोट के आधार पर शीघ्र ही खरई पट्टी में एक राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का इरादा करती है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—आशा है कि अगले साल औषधालय खोल दिया जायगा ।

*२१-२२—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—[२६ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२३-२५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[५ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२६—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—[१७ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२७-२९—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—[२६ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

खीरी जिले में हैजे का कथित प्रकोप

*३०—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गत अप्रैल ५६ में जिला खीरी में कितनी मौतें हैजे से हुयीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—अप्रैल सन् १९५६ में खीरी जिले में कोई हैजे का केस नहीं हुआ और न कोई हैजे से मौतें हुयीं ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि लालजी कुर्मी की मौत जो २२ अप्रैल, सन् ५६ को हुयी वह हैजे से हुयी या किसी अन्य बीमारी से हुयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—इसकी तो कोई सूचना सरकार के पास नहीं है ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि हेल्थ आफिसर खीरी को हैजा फैलने के सम्बन्ध में तहसील निघासन की कोई रिपोर्ट अप्रैल के महीने में मिली थी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—अगर जिला स्वास्थ्य अधिकारी को कोई सूचना मिली होगी तो उन्होंने उस पर तुरन्त कार्यवाही की होगी लेकिन उसकी सूचना हमारे पास नहीं है ।

धौरहरा कलां, जिला खीरी में मिडवाइफ का न होना

*३१—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या यह ठीक है कि सरकार ने कस्बा धौरहरा कलां, जिला खीरी में एक मिडवाइफ के नियुक्त करने के आदेश पिछले वर्ष दिये थे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, जच्चा-बच्चा केन्द्र धौरहरा कलां के स्वीकृत होने के उपरान्त से अब तक उस केन्द्र के लिये ४ मिडवाइफों की नियुक्ति के आदेश दिये जा चुके हैं परन्तु उनमें से किसी ने भी वहां चार्ज नहीं लिया।

*३२—श्री जगन्नाथ प्रसाद—यदि यह सत्य है, तो क्या सरकार बतायेगी कि अब तक वहां मिडवाइफ क्यों नहीं पहुंची ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—आवागमन के साधनों की कमी के कारण कोई भी मिडवाइफ वहां जाना नहीं चाहती। किन्तु वहां एक मिडवाइफ जितनी जल्द मुमकिन होगा नियुक्त की जायेगी।

बाल-चिकित्सालय खोलने के संबंध में परिप्रश्न

*३३—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में मेरठ और वाराणसी में बालकों के जो चिकित्सालय खोले जा रहे थे वे कब तक खुलेंगे ?

श्री बनारसी दास—इस सम्बन्ध में कोई तिथि निश्चित करना सम्भव नहीं है। फिर भी चालू वित्तीय वर्ष में ही शीघ्रातिशीघ्र खुल जाने की आशा है।

*३४—श्री रामदुलारे मिश्र (अनुपस्थित)—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन आठ लाख ६७ हजार रुपये की लागत से अन्य बड़े नगरों में जो आठ बाल-चिकित्सालय खोले जा रहे हैं वे किन नगरों में और कब से कब तक खुल जायेंगे ?

श्री बनारसी दास—इन चिकित्सालयों के स्थानों के सम्बन्ध में अभी अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में दस चिकित्सालय, दो चिकित्सालय प्रति वर्ष, के आधार पर खुलेंगे।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन चिकित्सालयों का अन्तिम निर्णय वह कब तक कर देंगे ?

श्री बनारसीदास—कोई जल्दी नहीं। इस वर्ष का निर्णय तो कर ही दिया है। बाकी अगले साल का निर्णय अगले साल करेंगे।

श्री रामचन्द्र विकल—ये स्थान किस आधार पर चुनवाये जा रहे हैं, या यह कोई कमेटी है ? कौन इसको चुन रहा है ?

श्री बनारसी दास—इसका निर्णय तो गवर्नमेंट ही करती है।

बस्ती सदर अस्पताल की स्टाफ नर्स के विरुद्ध ऐडवर्स एंट्री

*३५—श्री शिवनारायण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती सदर अस्पताल में ८-७-५६ को शाम के समय आशिकअली नाम के एक कांस्टेबिल रास्ते में पड़े हुये एक बेहोश आदमी को जिसको १०४ डिगरी से ऊपर बुखार था, भर्ती कराने के लिये ले गया और डाक्टर के लिखित आदेश के बावजूद भी नर्सिंग स्टाफ ने उसे भर्ती नहीं किया और कागजात वगैरह फेंक दिया गया और उसकी भर्ती तब हुयी जब उपरोक्त कांस्टेबिल ने लिखित दिया कि उस बेहोश आदमी के मरने की जिम्मेदारी अस्पताल के लोगों पर है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ३३-३४ श्री रामचन्द्र विकल ने पूछे।

श्री बनारसीदास--धतूरा जहर से पीड़ित एक रोगी ८-७-५६ को आशिकअली कांस्टेबिल द्वारा सदर अस्पताल, बस्ती में लाया गया। रोगी को १०३ डिग्री बुखार था। उसे तुरन्त भर्ती कर दिया गया। रोगी के भर्ती के कागज पर दूसरे वार्ड का नाम लिखा था इसलिये स्टाफ नर्स ने कुछ तेजी के साथ उस कागज को ठीक करवाने के लिये लौटा दिया था। रोगी दूसरे ही दिन अस्पताल से ठीक होकर चला गया।

कांस्टेबिल का कोई भी लिखित आरोप चिकित्सालय के इंचार्ज मेडिकल आफिसर या सिविल सर्जन के पास अभी तक नहीं आया।

*३६--**श्री शिवनारायण**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसे दोषी लोगों को सजा दी गयी ?

श्री बनारसीदास--स्टाफ नर्स को भविष्य में रोगियों के साथ उचित व्यवहार करने की चेतावनी दी गयी है। उस सम्बन्ध में उसकी सर्विस बुक में भी लिख दिया गया है।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस सवाल की जब जांच की गयी तो उस कांस्टेबिल का भी बयान लिया गया था ?

श्री बनारसीदास--वैसे तो उत्तर दे दिया गया है इसका उस नर्स का व्यवहार थोड़ा सा गलत रहा है कि उसने नाराजी के साथ कागज वापस कर दिया। तो इसके लिये उसकी सर्विस बुक में ऐडवर्स एन्ट्री कर दी गयी है कि यदि आइन्दा उस नर्स ने ऐसा व्यवहार किया तो उसको काफी सजा दी जायगी।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि उस मरीज का क्या नाम है और वह कहां का रहने वाला है ?

श्री बनारसीदास--मरीज का नाम तो इस वक्त मेरे पास नहीं है लेकिन वह मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सर्विस बुक में क्या लिखा गया है ?

श्री बनारसीदास--उसमें लिखा गया है :--

Staff nurse is severely warned for mis-behaviour in Hospital. Severe disciplinary action will be taken against her on such report in future.

*३७--**श्री विश्रामराय**--[२६ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले में खुलने वाले राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड

*३८--**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगली द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देवरिया जिला में वह विकास केन्द्र (एन० ई० एस०) ब्लाक किन किन जगहों पर खोलने जा रही है ?

श्री फूलसिंह--जिन स्थानों पर एन० ई० एस० ब्लाक खोलने का विचार है उसकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २११ पर)

*३९--**श्री रामसुभग वर्मा**--क्या सरकार यह बतलायेगी कि उन केन्द्रों में कौन-कौन सा गांव लिया जायेगा और प्रथम वर्ष में कौन सा विकास का काम शुरू किया जायेगा ?

श्री फूलसिंह--इन ब्लाकों के खुलने के बाद जिला देवरिया का पूरा क्षेत्र विकास ब्लाकों के अन्दर आ जायेगा। इसलिये हर ग्राम किसी न किसी ब्लाक में शामिल होगा। जहां तक काम का ताल्लुक है, इन ब्लाकों के प्रथम वर्ष में एन० ई० एस० और आई० डी० स्कीमों के अन्तर्गत होने वाले काम ही किये जायेंगे।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार कृपा करके बतायगी कि यह जो ब्लाक्स खोले जायेंगे वह कब तक और किस आधार पर खोले जायेंगे ?

श्री फूलसिंह—प्लानिंग विभाग से मशिवरा करके तारीखें मुकर्रर कर दी गई हैं।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि देवरिया जिले में तमकुही में विलेज लेविल वर्कर्स का ट्रेनिंग सेंटर है और वहां अभी तक कोई ब्लाक नहीं खोला गया है ?

श्री फूलसिंह—जी हां।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार उस जगह पर कोई एन० ई० एस० ब्लाक खोलने की कृपा करेगी ताकि जो १२० विलेज लेविल वर्कर्स वहां ट्रेनिंग पा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग में सुविधा हो ?

श्री फूलसिंह—ऐसे बहुत से सेंटर हैं जहां एन०ई०एस० ब्लाक्स नहीं हैं, अब जो खोले जायेंगे उनके साथ इसका भी विचार कर लिया जायगा।

*४०-४१—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—[२६ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*४२-४३—श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)—[२६ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

बलिया जिले में ताड़ी की दूकानों के कुप्रबन्ध के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*४४—श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया एवं गाजीपुर जिलों से जहां ताड़ी दुकान के प्रबन्ध हेतु नई परीक्षण योजनायें चालू हैं वहां से अनियमित प्रबन्ध सम्पादन के सम्बन्ध में कुल कितने पैतृक ताड़ी व्यवसायी पासी परिगणित प्रार्थियों द्वारा प्रार्थना-पत्र सरकार तक आये हैं ?

मादक कर मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—सम्बन्धित विषय में केवल बलिया जिले के सर्व श्री रामवृक्ष राम व यमुना प्रसाद का एक प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आया है।

*४५-४६—श्री गेंदासिंह—[१२ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*४७—श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—[हटा दिया गया।]

खादी विभाग के स्थानीय कार्यकर्त्ता

*४८—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उद्योग विभाग (खादी) में जो स्थानीय कार्यकर्त्ता रखे गये हैं उनका वेतन बढ़ाने पर वह विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास—ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री राजाराम शर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो स्थानीय कार्यकर्त्ता खादी विभाग में हैं वह पूरे समय के कार्यकर्त्ता हैं या आधे समय के ?

श्री बनारसी दास—असल में यह सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, सरकार गांधी आश्रम इस प्रकार की संस्थाओं को अनुदान देती है जिनकी ओर से यह रखे जाते हैं उनका वेतन गांधी आश्रम या दूसरी संस्थाओं की ओर से दिया जाता है, वैसे यह होलटाइम वर्कर हैं।

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि जो ग्रामीण कार्यकर्त्ता हैं उनको वेतन ठीक समय पर नहीं मिलता है ?

श्री बनारसी दास—जैसा कि मैंने उत्तर दिया कि उनका वेतन संस्थाओं की ओर से मिलता है, सरकार तो केवल अनुदान देती है, सरकार इस बात का अवश्य प्रयत्न करेगी कि समय से उनको वेतन मिले लेकिन मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि पहले उनको केवल १५ रुपए ही मिलते थे और बाद में उसको बढ़ाकर ३५ रुपया कराया गया है और ३५ से भी अधिक दिया जाय इस सवाल पर भी विचार शीघ्र किया जायगा ।

श्री शिवनारायण—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह अनुदान एक साथ दिया जाता है या किस्त में दिया जाता है ?

श्री बनारसी दास—अनुदान तो जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार दिया जाता है, जब बजट पास हो जाता है उसके अनुसार मांग होती है, वह एक साथ भी हो सकती है और किस्तों में भी हो सकती है ।

*४९–५१—श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—[२६ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

सिविल डिस्पेंसरी हजरतगंज, लखनऊ में कम्पाउन्डरों की कमी

*५२—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि हजरतगंज (लखनऊ) सिविल डिस्पेन्सरी में कुल कितने मरीज औसत संख्या में आते हैं ? या रहते हैं ?

श्री बनारसी दास—७०३ । इस वर्ष जुलाई तक कुल ४२ मरीज भर्ती हुए ।

श्री तुलाराम रावत (जिला लखनऊ)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस डिस्पेंसरी में कितने डाक्टर और कम्पाउन्डर इस वक्त काम कर रहे हैं ?

श्री बनारसी दास—पी० एम० एस० वन के एक डाक्टर, पी० एम० एस० टू के दो डाक्टर और कम्पाउन्डर चार ।

श्री तुलाराम रावत—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस डिस्पेंसरी के ऊपर विधान सभा के सदस्यों के लिए कोई अलग इनडोर पेशेंट वार्ड बनाने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह कब तक बन जायगा ?

श्री बनारसी दास—इसका आदेश जारी कर दिया गया, वैसे अब तक वहां पर ७ बेड्स थे और आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ही इनडोर बेड्स का एक वार्ड बन कर तैयार हो जायगा ।

श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मरीजों को देखते हुए वहां कम्पाउन्डरों की संख्या बहुत कम है, उसकी पूर्ति करने पर विचार करेगी ?

श्री बनारसी दास—यदि डायरेक्टर की तरफ से इस प्रकार की कोई मांग की जायगी तो अवश्य विचार किया जायगा ।

श्री रामदास रविदास—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुछ लोगों की इस तरह से सिफारिश आई है कि यहां पर कम्पाउन्डरों की तादाद कम है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ५२ श्री तुलाराम रावत ने पूछा ।

श्री बनारसी दास—कम्पाउन्डरों की तादाद रोगियों की संख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। वहां जितने रोगी अब तक डेली आते हैं उसके लिहाज से तो यह तादाद कम नहीं मालूम होती, लेकिन इस तरह का कोई सुझाव यदि संचालक की तरफ से भेजा जायगा तो सरकार विचार करेगी।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय सदस्य को जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि डायरेक्टर की सिफारिश आये तो उस पर विचार किया जायगा, तो इसके माने यह हैं कि डायरेक्टर की सेवा में माननीय सदस्य को जाना चाहिये ?

श्री बनारसीदास—मैं समझता हूं माननीय गेंदा सिंह जी ने इसके अर्थ गलत लगाये। मतलब तो यह है कि यदि आवश्यकता होगी तो संचालक का कर्तव्य है कि वह जांच करें और आवश्यकता समझें तो गवर्नमेंट से मांगें।

श्री गेंदा सिंह—तो क्या सरकार यह मुनासिब नहीं समझती कि वह डायरेक्टर के यहां माननीय सदस्य के मत को भेज दें और उस पर सम्मति ले ले ?

श्री बनारसी दास—जी हां, वह सम्मति तो ले ली जायगी।

मिर्जापुर जिले की राबर्ट्सगंज तहसील में सवैया रोग का प्रकोप

*५३—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले की तहसील राबर्ट्सगंज, परगना अगोरी के जोगंइल, चाड़म, बैलगाड़ी, कनहरा तथा ननहरी आदि ग्रामों की ओर (Yaws) सवैया की बीमारी के रोगियों की संख्या अधिक है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां।

*५४—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या इसका पता लगा कर सरकार द्वारा अति शीघ्र वहां चिकित्सक भेजे जायेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—परगना अगोरी के समस्त क्षेत्रों के लिये जहां (Yaws) सवैया की बीमारी का प्रकोप है, सवैया निरोधक मोबाइल टीम लगभग दो तीन माह पूर्व भेजी जा चुकी है जो उस क्षेत्र में कार्य कर रही है। अब तक उस टीम ने उक्त क्षेत्र के एक बड़े भाग को लाभ प्रदान कर दिया है, और थोड़े ही शेष ग्रामों में भी शीघ्र ही कार्य आरम्भ हो जावेगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्रीजी बतलाने की कृपा करेंगे कि सवैया की बीमारी का वहां पर्मानेन्ट मर्ज है ? इसलिये वहां स्थायी प्रबन्ध किया जायगा इसको दूर करने के लिये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां, वहां आदिवासियों में यह बीमारी प्रचलित है और इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से जैसा कि प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया है, एक मोबाइल टीम काम कर रही है और जो वहां चिकित्सालय है वहां उन चिकित्सालयों में इस बीमारी के इलाज की व्यवस्था है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार इस बात पर ध्यान देगी जिस क्षेत्र का उल्लेख प्रश्न में किया गया है वहां पर अभी तक कोई टीम नहीं पहुंची है और वहां के लोगों को अभी तक कोई दवाई नहीं मिल सकी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जिस क्षेत्र का प्रश्न में उल्लेख किया गया है उस क्षेत्र में टीम ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है किन्तु थोड़े से गांव ऐसे हैं जिनमें अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं वहां भी शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ हो जायगा।

श्री तुलाराम रावत---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह सवैया नामक बीमारी क्या होती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह बीमारी जैसा मैंने बतलाया आम तौर से आदिवासियों में होती है। वह किस तरह की बीमारी है इसका मुझे ज्ञान नहीं है ।

जालौन जिले को सीमेंट का कोटा कम मिलने की शिकायत

*५५---**राजा वीरेंद्रशाह** (जिला जालौन) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को मालूम है कि जो हर जिला को सीमेंट का कोटा निर्धारित है उसमें से ५० परसेंट से भी कम सीमेंट जिला जालौन में पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास---जी नहीं, जालौन में अब तक कोटे से अधिक सीमेन्ट पहुंच चुका है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*५६---**राजा वीरेंद्रशाह** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि प्रान्त के अन्य जिलों में सीमेंट इसी तरह से कोटा से कम जा रहा है ? यदि हां, तो किस जिले में कितना उसके कोटे से कम प्रतिशत इस समय भेजा जा रहा है ?

श्री बनारसी दास---अन्य जिलों में भी सीमेन्ट कोटे से कम नहीं पहुंच रहा है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जिलेवार कोटा फिक्स किया जाता है, वह किन आधार पर किया जाता है ?

श्री बनारसीदास---वह तो बहुत पहले जब कंट्रोल नहीं था, जैसी आवश्यकता थी उस अनुपात से कोटा फिक्स किया गया है ।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार जिला प्लानिंग कमेटी या विकास विभाग के जरिये अगले वर्ष कितनी सीमेंट की जरूरत है इसका कोई नक्शा सरकार के सामने नहीं आता है ?

श्री बनारसीदास---वह तो अलग-अलग जिलों में विकास का और सार्वजनिक कोटा अलग रहता है। जितनी जहां जरूरत होती है वहीं फिक्स होता है ।

श्री गेंदासिंह---इस प्रकार जो वीरेन्द्रशाह जी का प्रश्न है तो किस जिले में कोटा कम गया तो सब मिला कर जितना मिलना चाहिये था उससे कम किस जिले में गया ?

श्री बनारसीदास---यह सवाल तो बड़े विस्तार का है। जालौन के बारे में पूछा गया है, उसकी सूचना दी जा सकती है। कहा गया है कि प्रांत के अन्य जिलों में सीमेंट कोटे से कम जा रहा है। विस्तार के साथ किस जिले में कितना पहुंचा, यह तो बाद में सूचना मिलने पर बतलाया जा सकता है ।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं ५६ की तरफ ध्यान दिलाऊंगा। इसमें स्पष्ट है कि किस जिले में कोटा कम जा रहा है। यदि कम नहीं जा रहा है तो बतलाना चाहिये कि नहीं जा रहा है ?

श्री बनारसीदास---इसमें विशेषतया जालौन के बारे में कहा गया है और यह भी कहा गया है कि अन्य जिलों में भी नहीं पहुंच रहा है। यह तो एक जनरल सवाल है। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो बाद में सूचना दे दी जायगी ।

नोट---तारांकित प्रश्न ५५-५६ श्री तेज प्रताप सिंह ने पूछे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रांत के जिलों में कितना दिया जा रहा है ?

श्री बनारसीदास—इसमें नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या यह सही है कि शहरी क्षेत्रों में जहां आबादी ज्यादा है, वहां सीमेंट का कोटा कम दिया जाता है और जहां आबादी कम है वहां ज्यादा सीमेंट दिया जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसा हो सकता है ।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आवश्यकता के अनुसार सीमेंट का कोटा दिया जाता है । शहरों में जहां ज्यादा कोटा दिया जाता है उसका मुख्य कारण यह रहा है कि शहरों में ही अधिकांश संख्या में शरणार्थी भाई बसे हैं उनके लिये इमारतें वगैरा बनाई जा रही हैं और उन्हें सुभीता देने के लिये शहरों में कोटा ज्यादा रखा है । इसके अलावा यह भी बात रही है कि शहरी रकबे में अधिकांश संख्या में पक्के मकान बन रहे हैं । इसलिये ऐसे जिलों में जहां शहरी रकबा ज्यादा है उन जिलों की बनिस्बत जहां शहरी रकबा कम है, सीमेंट का कोटा ज्यादा दिया जा सकता है, ऐसा हमारा बांटने का तरीका रहा है और उसी के अनुसार दिया जाता रहा होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह बात सही है सरकार स्वयं कई बार सदन में मान चुकी है कि प्रांतीय सरकार को सीमेंट जिलों में पहुंचाने के लिये केन्द्रीय सरकार से कोटा कम मिलता है और वह पूरा नहीं होता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो जिलों का कोटा निर्धारित किया जाता है वह तो समय-समय पर बदलता रहता है क्योंकि कोटा की मात्रा बिलकुल बंधी हुई नहीं है । जैसा मैं सदन को बता चुका हूं कि समय-समय पर जितनी मात्रा में हमें सीमेंट मिलनी चाहिये उतनी मात्रा में नहीं मिलती है । प्रदेशीय सरकार ने एक मैटीरियल रिसोर्सेज कमेटी नियुक्त कर रखी है जिसमें विभिन्न विभागों के सचिव हैं और उसके अध्यक्ष चीफ सेक्रेटरी हैं । वे सारे विभागों और जिलों की आवश्यकताओं को देखते हुए और जिला बोर्डों तथा नगरपालिकाओं की आवश्यकताओं को देखते हुये और सारी चीजों का अध्ययन करके उस कमेटी के तहत में किस जिले को कितना कोटा मिलना चाहिये यह निर्धारित होता है । तो कोटा कोई एक बिलकुल बंधी हुई चीज नहीं है । यदि केन्द्रीय सरकार से किसी पदार्थ का कोटा कम मात्रा में प्रदेश में मिलता है तो उसी अनुपात में कट जाता है । कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी जिले को एक कोटा दिया गया और उस जिले में जिस फैक्टरी से सीमेंट इत्यादि आने को था वह फैक्टरी या तो चल नहीं सकी या उस फैक्टरी ने उस मात्रा में सीमेंट पैदा नहीं किया तो उस जिले में उस समय जितना कि कोटा मैटीरियल रिसोर्सेज कमेटी निर्धारित करती है उससे कोटे की कमी भी हो जाती है ।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस सुझाव पर विचार करने की कृपा करेंगे कि देहाती क्षेत्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुये वहां का कोटा बढ़ाया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्तरोत्तर जितना-जितना हमारा कोटा बढ़ता जाता है हम इस बात की कोशिश करते हैं कि देहाती क्षेत्रों का कोटा भी इन आवश्यकीय पदार्थों का बढ़ाया जाय और कई स्थानों पर उसके बढ़ाने की हमने भर सक चेष्टा भी की है और आयन्दा भी चेष्टा करने के लिये तैयार हैं ।

गाजीपुर जिले में खुलने वाले राष्ट्रीय सेवा प्रसार खंड

*५७—**श्री यमुना सिंह** (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में किन-किन स्थानों पर एन० ई० एस० ब्लाक्स खुलने वाले हैं ?

श्री फूलसिंह—गाजीपुर जिले में मरदाह, जमनया, तेदपुर, मुहम्मदाबाद, सदोरा, सदात, बाराचम्बर, जखनिया, रेवतीपुर, करंडा, भाबरकंट, मनिहारी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ब्लाक खोलने का विचार है ।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये ब्लाक्स कब तक खुलेंगे ?

श्री फूलसिंह—अगली पंचवर्षीय योजना में सब खुल जायंगे ।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार यह बतलायेगी कि यहां के जो ब्लाक्स खोलने का जो निश्चय हुआ है उसमें जिला प्लानिंग कमेटी ने किन-किन ब्लाक्स को पहले खोलने का निश्चय किया था ?

श्री फूलसिंह—इसकी सूचना मेरे पास यहां मौजूद नहीं है । माननीय सदस्य चाहेंगे तो मिल जायगी ।

श्री तेजप्रताप सिंह—जिस क्रम से माननीय मंत्री जी ने कुछ स्थानों के नाम पढ़े क्या उसी क्रम से प्राथमिकता के साथ वे केन्द्र खोले जायंगे ?

श्री फूलसिंह—जो प्राथमिकता दी गई है मैं नहीं कह सकता कि वह यही है कि जिस क्रम से नाम पढ़े गये हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या गाजीपुर जिले में जो एन० ई० एस० ब्लाक्स खोले जा रहे हैं उनमें उस क्षेत्र में भी खुले होंगे जहां से यमुना सिंह जी सदस्य हैं ?

श्री फूलसिंह—जी हां और आप के में भी ।

श्री अध्यक्ष—वह दूसरे जिले के हैं । (हंसी)

श्री गेंदासिंह—क्या नियोजन मंत्री जी उस प्रायरिटी लिस्ट को पढ़ने की मेहरबानी करेंगे ?

श्री फूलसिंह—सूचना की आवश्यकता है ।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो प्रायरिटी फिक्स की जायगी या जो की जा चुकी है वह किस आधार पर है ?

श्री फूलसिंह—प्लानिंग कमेटी के मशविरे से ।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ब्लाक्स खोले जायंगे वह किस आधार पर खुलेंगे और उनके क्षेत्र क्या होंगे ?

श्री फूलसिंह—यह तो प्लानिंग कमेटी के मशविरे से सब काम होता है ।

श्री गेंदासिंह—स्टेट प्लानिंग बोर्ड या नियोजन मंत्री की स्टैंडिंग कमेटी ने कोई इस पर निश्चय किया है, कोई सलाह या कोई गाइडेंस जिला प्लानिंग कमेटी को दिया है कि किन स्थानों पर पहले ब्लाक खोला जाय ?

नोट—तारांकित प्रश्न ५७ श्री राम सुभग वर्मा ने पूछा ।

श्री फूल सिंह---यह तो बहुत पहले ही ऐसा फैसला किया जा चुका है । वह बात स्पष्ट है ।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अब तक गाजीपुर जिले में कितने एन० ई० एस० ब्लाक्स खुले हैं और इस वर्ष भी कोई खोले गये हैं ?

श्री फूलसिंह---दो एन० ई० एस० ब्लाक्स हैं और एक कम्यूनिटी प्रोजेक्ट है ।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि किसी जिले की प्लानिंग कमेटी किस आधार पर सरकार से सिफारिश करती है कि फलां जगह पर ब्लाक खोले जायं ?

श्री अध्यक्ष---यह तो जवाब दिया जा चुका है कि पहले इंस्ट्रक्शंस गये हैं ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजन में गाजीपुर जिले के लिये उद्योग

*५८---**श्री कमला सिंह** (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कौन-कौन छोटे तथा बड़े उद्योग गाजीपुर जिले में खोलने जा रही है ?

श्री बनारसी दास---द्वितीय पंच वर्षीय योजना में उद्योग विभाग के अन्तर्गत गाजीपुर जिले में १२,९३,००० रुपया लगा कर विभिन्न योजनाओं द्वारा खादी कताई, औद्योगिक शिक्षालय, चर्मशोधन, सुगंधित तेल एवं इत्र विकास केन्द्र खोले जायेंगे ।

उक्त योजना के अन्तर्गत गाजीपुर जिले में बड़े उद्योगों को खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सरगाखेत-पहाड़ पानी सड़क के धानाचूली भाग को पक्का करने की मांग

*५९---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार को ज्ञात है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की सहमति से सरगाखेत-पहाड़पानी मोटर रोड के धानाचूली भाग पर जनता द्वारा किया गया संपूर्ण श्रमदान व्यर्थ जा रहा है और मोटर सड़क उस भाग से नहीं डाली जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री फूल सिंह---जी हां । इस सड़क को धानाचूली भाग से डालने में इसकी लम्बाई तथा लागत काफी बढ़ जाएगी । अतः सरकार ऐसा करना उपयुक्त नहीं समझती ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सड़क के धानाचूली भाग में पक्का करने से लम्बाई और लागत कितनी बढ़ जायगी ?

श्री फूल सिंह---लगभग २५ हजार रुपया बढ़ जायगा और साढ़े ५ फर्लांग लम्बाई बढ़ जायगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि जिस समय धानाचूली भाग श्रमदान से बनवाया गया था उस समय यह जिले के विकास अधिकारियों और पी० डब्लू० डी० अधिकारियों के आदेश से ही बनवाया गया था ?

श्री फूल सिंह---प्राप्त सूचना इसके विपरीत है ।

नोट---तारांकित प्रश्न ५८ श्री रामचन्द्र विकल ने पूछा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि श्रमदान का उद्घाटन डिप्टी कमिश्नर, कुमायूं डिवीजन ने किया है और सर्वे पी० डब्लू० डी० अधिकारियों ने किया है ?

श्री फूलसिंह---यह सही हो सकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि इस श्रमदान को किन अधिकारियों के आदेश से करवाया गया और अगर यह सरकारी आदेश से करवाया गया तो क्या सरकार फिर इसको पक्की सड़क में शामिल करने की चेष्टा करेगी ?

श्री फूलसिंह---प्रान्त भर में सारे श्रमदान सरकारी आदेश से ही होते हैं और सब सड़कें पक्की नहीं हो सकतीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या प्लानिंग विभाग स्वतः इस सड़क को पक्का करवाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रहा है ?

श्री फूलसिंह---ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार जिले की प्लानिंग कमेटी के सामने उस प्रश्न को अपनी सिफारिश के साथ रखेगी कि वह इस कार्य को उचित समझे तो ले ले ?

श्री फूलसिंह---इसकी आवश्यकता नहीं । अगर जिले में आवश्यकता होगी तो प्लानिंग कमेटी में स्वयं यह प्रश्न आ जायगा ।

नैनीताल जिले के पेय जल योजना सम्बन्धी कम्पलीशन सर्टीफिकेट्स

*६०---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैनीताल जिले में पिछले तीन वर्षों में कितनी और कौन-कौन पेय जल योजनायें सरकारी सहायता (subsidy) देकर बनवायी गई और उनमें से कितनों और किन-किन को कम्पलीशन सर्टीफिकेट एवं सबसिडी दी जा चुकी हैं ?

श्री फूलसिंह---†सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, आप देखेंगे कि सूची अधूरी है इसको दोबारा जांच के लिये भेजना चाहिये । मेरा प्रश्न यह था कि कितनों और किन-किन को कम्पेनसेशन सर्टीफिकेट और सबसिडी दी जा चुकी है यह कालम कहीं भी नहीं है । मेरे प्रश्न का मुख्य भाग यही था लेकिन जो सूची दी हुई है इसमें तो यह दिया हुआ है:--

योजना का नाम, नाम स्थान, योजना की लागत, अनुदान जो दिया गया, स्वीकृत अनुदान का अवशेष जिसका भुगतान होगा और इसमें रिक्त और अरिक्त लिखा हुआ है । बस इतना है । तो यह कम्पलीशन सर्टीफिकेट दिया गया या सबसिडी दी गई या नहीं, यह कोई सूचना नहीं है । तो मैं समझता हूं प्रश्न का उत्तर अधूरा है और जब तक उत्तर अधूरा है तब तक मैं कोई प्रश्न नहीं कर सकता हूं ।

श्री फूलसिंह---कम्पलीट पेमेन्ट तो बिना कम्पलीशन सर्टीफिकेट के हो ही नहीं सकता और जिसका पेमेन्ट हो गया है उसको सर्टीफिकेट दे दिया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, आप व्यवस्था देने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि वह कहते हैं कम्पलीट है । तो आप जवाब के मेरिट्स पर राय देने न जांय, आप सवाल करें ।

---

† सूची छापी नहीं गयी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बतायेगी कि स्वीकृत योजनाओं की सूची में किन-किन योजनाओं में कम्पलीशन सर्टीफिकेट दे दिया गया है ?

श्री फूलसिंह---जिनके आगे रिक्त लिखा हुआ है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि कम्पलीशन सर्टीफिकेट इश्यू करने की अथारिटी किन-किन को है ?

श्री फूलसिंह---यह तो वेल्यूशन पर डिपेंड करता है । मुख्तलिफ अफसरों को अथारिटी है ।

श्री तेजप्रताप सिंह---यह जो नैनीताल जिले में पेय जल योजनाओं की सूची दी गई है इसमें कितनी शहरी क्षेत्र की हैं और कितनी देहाती क्षेत्रों की ?

श्री फूलसिंह---माननीय सदस्य को इतना तो ज्ञान होगा ही कि प्लानिंग का काम प्रायः देहातों में होता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन योजनाओं में अभी तक कम्पलीशन सर्टीफिकेट नहीं दिये गये हैं, जैसे योजना नम्बर ८, ४४ और ४५ यह कम्पलीशन सर्टीफिकेट कितने सालों से देने बाकी हैं ?

श्री फूलसिंह---वह तो बहुत ब्योरे का प्रश्न है । अगर माननीय सदस्य किसी खास प्रश्न को रखेंगे तो बता दिया जायगा ।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार को ज्ञात है कि नैनीताल में इन योजनाओं के कम्पलीशन सर्टीफिकेट बहुत अर्से से नहीं दिये गये हैं ? यदि हां तो सरकार उसके लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री फूलसिंह---सरकार की तरफ से एक सर्कुलर चला गया है जिसमें हर योजना के लिये एक अवधि मुकर्रर कर दी गई है । उस अवधि के अन्दर वह योजना आम तौर से पूरी होनी चाहिये । और जो योजना उस अवधि से बहुत देर बाद तक पूरी नहीं होती है तो उसको कैन्सिल कर दिया जाय ।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार बतायेगी कि हर छः महीने पर कोई रिपोर्ट आती है कौन सी योजना पूरी हो गई और कौन सी योजना पर अभी काम बाकी है । और सरकार उस पर क्या कार्यवाही करती है ?

श्री फूलसिंह---माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि तमाम प्रान्त को कई भागों में बांट दिया गया है और हर भाग का इन्चार्ज एक डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर है जो जा करके इस काम को देखते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि बहुत से अफसर डी० पी० ओ० बी० डी० ओ० इसलिये कम्पलीशन सर्टीफिकेट इश्यू नहीं करते हैं चूंकि वह कहते हैं कि हम टेक्नीकल हैंड नहीं हैं और कम्पलीशन सर्टीफिकेट बिना ओवरसियर के सर्टीफिकेट के नहीं दे सकते हैं ?

श्री फूलसिंह---ऐसी कोई शिकायत अभी तक नहीं आयी है ।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो देहाती क्षेत्रों में नैनीताल जिले में पेय जल योजनायें बनी हैं उसमें से कोई योजना ऐसी है जिसमें जल-कल लगवाया गया हो ?

श्री फूलसिंह---बहुत ब्योरे का प्रश्न है ।

श्री गेंदासिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या डेवलपमेंट कमिश्नर तक रिपोर्ट जिले की योजनाओं के सम्बन्ध में पहुच जाने के बाद सरकार अन्तिम सीढ़ी समझती है और सरकार के आगे उसकी कोई बात आती है या नहीं ?

श्री फूलसिंह---आती नहीं बल्कि हम लोग जिले में जा कर देखते भी हैं।

न्यूली शुगर फैक्ट्री के विरुद्ध शिकायत

*६१---श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---क्या सरकार बतायेगी कि न्यूली शुगर फैक्टरी ने १५ जून से पहिले ही फैक्ट्री बन्द करने का नोटिस दे दिया था और गन्ने का दाम भी सेंटर पर तेरह आना मन ही दिया, जबकि सरकारी आदेश ऐसा नहीं था ?

श्री फूलसिंह---प्रश्न के पहले भाग का उत्तर स्वीकारात्मक और दूसरे भाग का नकारात्मक है ।

श्री टीकाराम (बदायूं)---नकारात्मक जो जवाब दिया गया है वह किस आधार पर दिया गया है, मैं जानना चाहूंगा कि वह नकारात्मक जबाव जो है उसका क्या सबूत है ?

श्री अध्यक्ष---यह सबूत तो आप नहीं मांग सकते ।

श्री टीकाराम (बदायूं)---यह गलत है नकारात्मक। मैं इसके लिए रसीदें पेश करूंगा।

श्री अध्यक्ष---लेकिन इस वक्त आप प्रश्न करें ।

श्री टीकाराम (बदायूं)---किस आधार पर दिया गया है वह आधार मुझे बताया जाय ?

श्री फूलसिंह---सूचना के आधार पर ।

अतारांकित प्रश्न

१-३---श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)---[१७ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

सीमेंट, लोहे, और कोयले की गाड़ियों के अपर्याप्त कोटे से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने भेजा है---

"यह सदन परसों माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री, उत्तर प्रदेश के निम्न अत्यन्त गम्भीर रहस्योद्घाटन जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य में वर्तमान बजट वर्ष १९५६-५७ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसी भी प्रकार सफलतापूर्वक परिचालित नहीं की जा सकती, से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के हेतु अपना आज का कार्य स्थगित करता है :---

तथ्य (१) वर्तमान १९५६-५७ बजट वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य को २,६२,६२९ टन लोहे और फौलाद की आवश्यकता द्वितीय पंच वर्षीय योजना चलाने हेतु अवश्य प्राप्त होना चाहिये, पर केन्द्र ने केवल ४२,४४२' टन लोहा और फौलाद उत्तर प्रदेश हेतु निर्धारित किया है ।

(२) वर्तमान १९५६-५७ बजट वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य को ८,४३,०३३ टन सीमेंट की आवश्यकता द्वितीय पंच वर्षीय योजना चलाने हेतु आवश्यकीय है, पर केन्द्र ने केवल ४ लाख टन के लगभग सीमेंट कोटा निर्धारित किया है ।

[श्री अध्यक्ष]

(३) वर्तमान १९५६–५७ बजट वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य को ६२,५९० कोयले के वैगनों की आवश्यकता है, पर केन्द्र से केवल ५०,००० वैगन कोयला मिला है।"

तो यह जो प्रश्नोत्तर परसों, शायद २७–८–५६ को हुआ था उसी के आधार पर यानी जो सूचना माननीय नियोजन मंत्री जी ने दी उसके आधार पर यह प्रश्न उठाया गया है। इससे कोई जिम्मेदारी प्रदेशीय सरकार की स्थापित नहीं होती। इस प्रश्न में बिलकुल केन्द्र की जिम्मेदारी इसमें है। तो इस विषय पर कामरोको प्रस्ताव की मैं अनुमति नहीं देता हूं क्योंकि इसमें प्रादेशिक सरकार की जिम्मेदारी नहीं मालूम होती। हां, यह विषय चूंकि महत्वपूर्ण है इसलिये मैं माननीय सदस्य को सुझाव इस बात का दूंगा कि यदि इस विषय में प्रश्नोत्तर से वह प्रसन्न नहीं हैं या उसमें कुछ त्रुटि रह गई हो तो आधे घंटे के लिये वह विवाद की मांग करें, और यदि इस पूरे विषय को एक गंभीर विषय होने के कारण वह चाहते हों कि सदन में उस पर विवाद हो तो पंच वर्षीय योजना के ऊपर विवाद के लिये वह सरकार से मांग करें, लेकिन कामरोको प्रस्ताव का वह विषय नहीं हो सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, नियमों के अनुसार जो आधे घंटे का समय मांगने का प्रश्न है वह तो हम तभी कर सकते थे जब हम को असंतोष हो उन प्रश्नों के उत्तर से। उत्तर तो उन्होंने हमको पूरा दिया और सब आंकड़े दे दिये। तो मैं चाहूंगा कि चूंकि प्रश्न अत्यन्त गंभीर है और जो योजना बना रखी है और जिसे केन्द्र ने और प्रदेश ने दोनों ने मंजूर कर रखा है और उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी दोनों की है, तो जब लोहा और सीमेंट और फौलाद हम को नहीं मिलेगा . . . . .

श्री अध्यक्ष---आपने तो विवाद शुरू कर दिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जी हां, हम विवाद ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस विषय पर यहां विचार हो।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि कोई इस विषय में विवाद करने की आवश्यकता है। जहां तक प्रदेशीय सरकार का संबंध है वह उत्तरोत्तर इस बात की कोशिश कर रही है कि इस प्रदेश को अधिक से अधिक कोटा उन पदार्थों का मिले जिनकी बुनियाद के ऊपर बहुत से विकास की चीजें बनने वाली हैं या निर्मित होने वाली हैं। केन्द्रीय सरकार की भी कुछ दिक्कतें हैं और दिक्कतें रहती हैं क्योंकि बहुत से . . . .

श्री अध्यक्ष---यह तो आप ने खुद ही विवाद शुरु कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि विवाद के लिये आप समय देना चाहते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैं तो इस विषय पर विवाद की कोई आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि प्रदेश की सरकार कोशिश में लगी हुई है और प्रदेश की सरकार ने ऐसी चीजें बनाने इत्यादि के संबंध में कि जो अगले वर्ष बन सकती हैं . . . .

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। इतना काफी है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि विवाद इस बात पर नहीं होना है कि केन्द्रीय सरकार इतना कम कोटा क्यों देती है। विचार करने की या विवाद की बात यह है कि इस कोटे के न मिलने पर प्रदेश की सरकार कौन-कौन से ऐसे उपायों से काम लेना चाहती है कि जिन के बल पर वह इस द्वितीय पंच वर्षीय योजना को पूरा कर सकेगी इन साधनों के अभाव में, इसलिये विवाद के लिये समय दिये जाने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि अभी और माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कामरोको प्रस्ताव पर एक निर्णय दे दिया हम उस निर्णय को मानने के लिये बाध्य हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर जरूर दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार केवल केन्द्र की सरकार पर सारा दोष मढ़ कर सुबुकदोष नहीं हो सकती। जो कुछ कमोडिटीज हैं, जो मिलती हैं उनके वितरण की सारी जिम्मेदारी प्रदेशीय सरकार की है। यह दूसरी बात अभी आपने सुनी कि एक मैटीरियल रिसोर्सेज कमेटी भी बनी हुई है जिसके बारे में कम से कम इतना तो उन्होंने बताया कि चीफ सेक्रेटरी साहब उसमें हैं। चूंकि सामान कम मिलता है इसलिये इन चीजों में ब्लैक-मार्केटिंग बढ़ती है और आखिर इसकी जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है कि जो सामान उसको मिलता है वह लोगों को सही कीमत पर मिल सके। आज विकास के कार्यों की हालत यह है कि अगर ठीक पता सरकार को होता तो बहुत से कार्य ऐसे हैं कि जो बाकी पड़े हुए हैं और बर्बाद हो रहे हैं, उन सबको देखा और सम्हाला जा सकता है और इन सब पर भी इस समय विवाद करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि इस बात को देखते हुए माननीय उद्योग मंत्री जी को इसके लिये इन्कार नहीं करना चाहिये और मैं समझता हूं कि एक दिन का समय निकाल कर इसमें विचार किया जाय ताकि केन्द्रीय सरकार को भी सहायता मिले निर्णय करने में और राज्य सरकार को भी दूसरी दिक्कतों को जानने में सहायता मिल सके।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इस विषय में अधिक चर्चा सदन में करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जो दृष्टिकोण अभी माननीय पालीवाल जी, गेंदा सिंह जी और नारायणदत्त तिवारी जी ने रखा है उस विषय में वह माननीय नियोजन मन्त्री जी से बात कर लें। किस विषय में विवाद हो सकता है इसका निर्णय बाद में कर लिया जायगा। यदि सरकार इसके ऊपर विवाद करने के लिये तैयार होगी तो उसकी सूचना बाद को सदन में दे दी जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं नियम ७२ के अनुसार यह मोशन करना चाहता हूं कि जो विषय मैंने सामने रखा है उसके विषय में आप स्वयं कोई दिन अलाट कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---इस चीज के विषय में मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। मैंने जो इसके ऊपर निश्चय किया है वह यह है कि विवाद के लिये यदि कोई समय वह चाहते हैं तो उसके बारे में सरकार से कहा जाय कि किस विषय पर वह विचार करना चाहते हैं। पंच-वर्षीय योजना के ऊपर या सीमेन्ट और लोहे की कमी होने पर पंचवर्षीय योजना कैसे अमल में लायी जायगी इस बात के ऊपर। पहले एक निश्चित विषय बन जाय, फिर उसके बारे में सरकार की राय लेने का पहले प्रयत्न किया जाय।

उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५६

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५६, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३० अप्रैल, सन् १९५६, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ९ मई, १९५६ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति १७ मई, १९५६ को प्राप्त हो गयी और वह १९५६ का उत्तर प्रदेश का १४ वां अधिनियम बन गया।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गये संशोधन†

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ (३) के अनुसार वाहन विभाग की विज्ञप्तियां संख्या ११४५-टी-(एम)/३०---४८३३-टी-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापे नहीं गये।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

५५, एवं २२६४–टी (एम)/३०—४८२०–टी–५५ क्रमशः दिनांक ११ जून तथा २२ जून, १९५६ जिनसे यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—मैं उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २१२–२१३ पर)

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी द्वारा अपनी तहरीर के संबंध में जानकारी की मांग

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—मैंने भी आपकी खिदमत में एक तहरीर भेजी थी ।

श्री अध्यक्ष—जो आपने तहरीर भेजी थी मैंने उसके बारे में आपको उत्तर लिख कर भेज दिया है जो आपके पास पहुंच जायगा । आपके पास यदि वह किताब मौजूद है तो उसे आप मेरे पास भेज दीजिये । मैं उस किताब को देखना चाहता हूं । आपका कोई कामरोको प्रस्ताव नहीं था । वह तो एक सुझाव था ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—चूंकि इसमें देर होगी . . . . .

श्री अध्यक्ष—आपके पास किताब हो तो वह मेरे पास भेज दीजिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, विषय क्या है ?

श्री अध्यक्ष—मैंने उनको इजाजत नहीं दी है ।

कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) विधेयक, १९५५ के लिये समय निर्धारण के सम्बंध में प्रस्ताव

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) विधेयक, १९५५ पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिये कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश महिला मंगल संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) विधेयक, १९५५ पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिये कार्यपरामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, १९५४ मे किये गये संशोधनों पर विवाद

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, १९५४ में किये गये संशोधन जो ६ मार्च, १९५६ को सदन की मेज पर रखे गये थे, पर विवाद होगा ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूं कि जो संशोधन के प्रस्तावक माननीय मौर्य जी हैं वे कहीं दिखलायी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि कहीं वे ऐसी मुसीबत में फंस गये जिसकी वजह से इस समय वे उपस्थित नहीं हो सके हैं। तो फिर बड़ी कठिनाई हो जायगी, अगर वे नहीं हुए तो उस पर विचार होना तो बड़ा कठिन मालूम होता है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अगर आपत्ति न हो तो संशोधन अगर दूसरे माननीय सदस्य चाहते हैं कि उसे उपस्थित होना चाहिये तो मैं उन्हें इजाजत दे दूंगा कि वे उसको उपस्थित कर दें।

श्री गेंदासिंह—यदि ऐसा करना हो तो आप एक घंटा इस वक्त किसी दूसरे को दे दें और इसको शाम के लिये रहने दें। उस समय मैं इसको मूव कर दूंगा। क्योंकि मैं समझता था कि मौर्य जी आयेंगे इसलिये मैं तैयार होकर नहीं आया था लेकिन कोई दूसरे साहब इसको मूव कर सकें तो कर दें।

श्री अध्यक्ष—इसमें यह दिया हुआ है यानी उस प्रस्ताव में जो कि सदन से स्वीकृत हुआ था कि "जोत चकबन्दी नियमावली पर विवाद प्रश्न समाप्त होने के उपरान्त सवा बजे तक २९ तारीख को"। मैं समझता हूं कि संशोधन केवल दो तीन हैं आप चाहते हों तो उपस्थित कर दीजिये, इन्हें पढ़ने पर आपकी समझ में बात आने लगेगी। आप संशोधन उपस्थित कर दीजिये।

श्री गेंदासिंह—जरा असंगत होता है, इसलिये मैं डरता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, जो सदन द्वारा समय निश्चित हो गया है उसके विपरीत बात नहीं हो सकती। मौर्य जी के उपस्थित संशोधन को कोई उपस्थित करना चाहता है?

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—सदन को इजाजत तो आप स्वयं दे रहे हैं।

श्री गेंदासिंह—असल में जोत चकबन्दी नियम २१ जिले में आज चल रहा है। इसका इतना महत्व है कि इस पर एक घंटे में विवाद करना मुश्किल है।

श्री अध्यक्ष—लेकिन कई बार इसके विषय में तारीखें बदल चुकी हैं। पिछले वक्त में भी यह आया था तो २९ तारीख रखी गई। यदि इन पर विवाद और संशोधन अगर महत्व के हैं तो इस विषय पर माननीय नेता विरोधी दल का संशोधन होना चाहिये था लेकिन उनका कोई भी संशोधन नहीं है। केवल मौर्य जी ने कुछ संशोधन भेजे हैं और अगर उनकी महत्ता को वे समझते थे तो उनको आज उपस्थित होना चाहिये था। यद्यपि उन्होंने किसी को इजाजत इन्हें पेश करने की नहीं दी तो भी मैं यह सुविधा दे रहा हूं कि यदि कोई सदस्य उनके संशोधन को उपस्थित करना चाहता है या माननीय नेता विरोधी दल उपस्थित करना चाहते हैं तो उनको मौका मिला है, वे पेश कर सकते हैं और यदि ये नियम महत्व के हैं तो उनका अध्ययन भी उन्होंने किया होगा, यदि आप उसको उपस्थित करना चाहते हैं तो करें, मैं समय में कोई दूसरा परिवर्तन करने की इजजात नहीं दूंगा। माननीय गेंदासिंह जी, क्या आप किसी संशोधन को उपस्थित करना चाहते हैं?

श्री गेंदासिंह—और तो मैं उपस्थित नहीं करूंगा, आप इसका निर्णय करेंगे, लेकिन आखिर वाला एक संशोधन मैं उपस्थित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—पहले और दूसरे को आप उपस्थित नहीं कर रहे हैं?

श्री गेंदासिंह---जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, आप आखिरवाला संशोधन उपस्थित कर दें ।

संशोधन १६

*श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि संशोधन १६ में प्रस्तावित नियम ६१ (३) में तीसरी पंक्ति में शब्द "अनराशि" के पश्चात् "जो किसी भी दशा में ३ रुपया प्रति एकड़ से अधिक न होगी" बढ़ा दिये जायं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रकम चकबन्दी के खर्च की है और इसलिए वसूल की जायगी चकबन्दी कराने वालों से कि चकबन्दी के कार्यकर्ताओं को रखने में जो कुछ सरकार व्यय करेगी वह उससे पूरा किया जायगा । यह रकम जो है वह एक प्रकार से अनिश्चित कही जा सकती है कि कितना खर्च होगा और सरकार कितनी रकम चकबन्दी कराने वालों से वसूल करेगी इस प्रश्न पर पहले तो यह बात कही जा सकती थी कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि योजना में कितना रुपया खर्च होगा लेकिन अब तो जबकि २१ जिलों में चकबन्दी का कार्य हो रहा है और इस समय यह भी मालूम हो गया कि कितना वक्त लगेगा, किस श्रेणी के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी और यह भी मालूम हो गया कि कितना रुपया चाहिये और उसका एक अन्तिम स्वरूप भी हमारे सामने आ गया है तो माननीय मौर्य जी ने जो तीन रुपया फी एकड़ का हिसाब रखा है उसको रखने में मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत न होगी । माननीय मौर्य जी का संशोधन यह है कि ३ रुपया की सीमा निर्धारित कर दी जाय । मैं संशोधन को रखे होता तो मैं सोचता कि चकबन्दी के खर्च को उठा दिया जाय और मैं माननीय राजस्व मंत्री से कहना चाहूंगा कि वह यह मुलाहिजा फरमावें और प्लानिंग कमीशन की राय पढ़ें तो उसमें यह पायेंगे कि सारे देश के किसानों के महत्व की बात उसमें कहीं गई है, उसमें दो तीन मोटी मोटी बातें बताई गई हैं और बहुत स्पष्ट कहा गया है कि सहकारी समितियां बनाने की कोशिश की जाय और खेतों की चकबन्दी का काम, खेती का काम, पानी पहुंचाने का काम वे स्वयं करें । पानी का काम तो ऐसा है कि जिसमें बड़ी पूंजी लगती है । लेकिन चकबन्दी में बहुत बड़ी पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है और चकबन्दी से न केवल किसानों का ही लाभ होता है बल्कि सरकार का भी लाभ होता है क्योंकि यह तो निश्चित ही है कि जितने जिलों में चकबन्दी हुई है वहां उसके साथ सरकारी कागजात में भी दुरुस्ती हुई है और इस दुरुस्ती की जिम्मेदारी माननीय मंत्री जी अपने ऊपर स्वीकार करेंगे और सरकारी कागजात की दुरुस्ती की कोई जिम्मेदारी किसानों के ऊपर नहीं डाली जा सकती ।

सरकार उनसे मालगुजारी लेती है तो उसके एवज में वह कागजात की दुरुस्ती के लिए जिम्मेदार है । जो खर्च कागजात की दुरुस्ती कराने में होता है उसको सरकार अपने ऊपर क्यों नहीं उठाती । एक बात हो सकती है और उसको कुछ न्याय संगत बात कहा जा सकता है कि कागजात की दुरुस्ती के बाद जो खेतों की अदला-बदली में खर्च होता है उसको किसान को बरदाश्त करना चाहिए । मैं कहता हूं नहीं चाहिए । इसलिए कि किसानों के लिए अब तक सरकार ने जो कुछ भी किया है वह नहीं के बराबर है जो कुछ भी लाभ दूसरे लोगों को पंचवर्षीय योजना आदि से पहुंचा है उस सब की चर्चा करना यहां असंगत होगा लेकिन मैं यहां संकेत रूप में इतना अवश्य कहूंगा कि हमारे देश में जहां पंचवर्षीय योजना में अरबों रुपया व्यय हो रहा है वहां उसका लाभ किसानों को छोड़कर दूसरे लोगों को ही हुआ है । जो सरकारी मालगुजारी पहले ६ करोड़ ८३ लाख के करीब थी यानी ७ करोड़ के करीब थी वह अब बढ़ कर करीब-करीब २३ करोड़ रुपया हो गई है और इसका मतलब यह है कि वह पैसा किसानों के घर से ही आ रहा है । इसलिए किसानों की सहायता के लिए सरकार को यह प्रबन्ध स्वयं करना चाहिए और ३ रुपए रकम जो मौर्य जी ने रखी है वह अनिश्चित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं है। बड़ी उदारतापूर्वक उन्होंने उतना रुपया रक्खा है। मैंने तो अपने विचारों को आपके सामने रक्खा लेकिन मैं इस समय मौर्य जी के संशोधन को इस लिये जोर के साथ रखना चाहता हूं कि सरकार को उस संशोधन को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। यह बात जरूर है कि उस संशोधन को मैंने रक्खा और उससे सरकार को कठिनाई पड़ी लेकिन संशोधन तो द्वारकाप्रसाद मौर्य जी का ही है। इसलिये मैं सोचता था कि द्वारकाप्रसाद मौर्य जी इस वक्त आये होते और उन्होंने इस संशोधन को रक्खा होता तो वह नजाकत जो अभी माननीय राजस्व मंत्री जी को पैदा हो जायगी वह न पैदा होती और वह इसे मंजूर कर लेते। सरकार की जो नाज व अदा हुआ करती है चूंकि मैंने उसे पेश किया है इसलिये वह नाज व अदा वह दिखायेगी। इसलिये मैं समझता था कि यह दिक्कत हमारी होगी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि राजस्व मंत्री जी की उस नजाकत व अदा से आप निजात दिलावें और कम से कम उन्हें यह समझा दें कि चाहे कोई प्रस्ताव रख रहा हो लेकिन वाजिब प्रस्ताव है और उस वाजिब प्रस्ताव को सरकार जरूर माने।

एक बात इस सिलसिले में जरूर मैं कह दूंगा। राजस्व मंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी छोड़ी। जब पिछली मर्तबा बजट पर वाद-विवाद हो रहा था तो उस समय उन्होंने कहा था कि अगर गेंदासिंह जी जाकर यह देख आवें और चकबन्दी का कार्य जो उन्हें दिखाई दे उसमें वे यह समझें कि यह दुरुस्त नहीं हो सकता है तो हम सरकार को सलाह देंगे कि चकबन्दी के कार्य को बन्द कर दिया जाय। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि उनकी राय इस वक्त बदल गई होगी। राय इसलिये बदल गई होगी कि नैनीताल में मैंने अखबार में पढ़ा था कि प्लानिंग कमिश्नर्स का एक सेमिनर हुआ। वहां पर इस बात पर विचार हुआ कि कंसालिडेशन का काम किस तरह से बढ़ाया जाय। प्लानिंग कमिशन का भी विचार और अन्य लोगों का भी उस समय यही विचार हुआ कि जहां एन० ई० एस० ब्लाक्स खोले जायं वहां सबसे पहला काम चकबन्दी कर दी जाय। यह फैसला उन्होंने किया। तो संभव है कि उनकी राय बदली हो। इसलिये मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि यह चकबन्दी का कार्य मैंने देखा जरूर और देखने के बाद अभी सोच रहा हूं कि किसी दिन विस्तार से बात करके या पत्र लिख करके उनको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या देखा। रुपया हम जरूर देते हैं और रुपया देने में पहले हम लोगों की राय थी कि जहां पर यह काम वह मामूली कानूनगो के सुपुर्द करते हैं वह काम कानूनगो के सुपुर्द न करके अगर कानूनगो के ऊपर किसी को सुपुर्द किया जाय तो अच्छा होगा। इसका कारण प्रत्यक्ष था। हम समझते थे कि चकबन्दी का कार्य बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जरा विषयान्तर हो रहा है। आप संशोधन पर ही अपने को सीमित रक्खें।

श्री गेंदासिंह—एक ही मिनट में लूंगा। उस रुपये को देने के लिये जो लोग मुकर्रर किये गये हैं ऐसे लोग जो कम तनख्वाह पर मुकर्रर हैं। कम तनख्वाह पर काम चलाने का कुपरिणाम हमारे कुछ सामने आया। राजस्व मंत्री जी को केवल एक उन्नाव की बात याद आती है। मैं बुलन्दशहर गया, मेरठ गया, उन्नाव भी दो तीन बार गया, सहारनपुर गया और कुछ माननीय मंत्रियों के जिलों में खास तौर से जिनके जिले में चकबन्दी का कार्य हो रहा है और जो अपने को किसान भी कहते हैं उनके जिले को खास तौर से देखने को गया और देखने के बाद मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि दोष किसी का नहीं है। इस बात को मैं साफ कहना चाहता हूं कि कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग ऐक्ट जो हमने पास किया उसमें बहुत सी सबरो पावर्स हमने दी हैं। कागज के इन्दराज को काट देने, दुरुस्त करने का भी अधिकार हमने दे रक्खा है....

माल मन्त्री (श्री चरणसिंह)—प्वाइंट आफ आर्डर मैं रेज करता हूं। मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि जिस दिन गेंदासिंह जी चाहें चकबंदी पर बहस रख दें लेकिन आज जो

[श्री चरणसिंह]

यह रूल है और जिस अमेंडमेंट को मूव उन्होंने किया है उससे इसका कोई वास्ता नहीं है खर्चे से ।

श्री अध्यक्ष—सिर्फ एक मिनट के लिये उन्होंने असंगत बोलने के लिये इजाजत ली थी । मैं समझता हूं कि वह एक मिनट अब उनका खत्म हो गया होगा ।

श्री गेंदासिंह—अब विषयान्तर से हट कर जो मैं कह रहा हूं उसमें सवाल तो यहां पर यह है कि तीन रुपये एकड़ से अधिक खर्चा न लिया जाय मैं उस खर्च का हिसाब कुछ बतलाना चाहता था । अब वह खर्चे का हिसाब बतलाने में कुछ ऐसी बातें हैं जो कहनी पड़ती हैं और न मैं पसन्द करता हूं और न मंत्री जी पसन्द करते हैं । लेकिन तथ्य है । अब अगर उन बातों को मैं छोड़ जाऊं तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि इस पर वाकई जरूरत मालूम होती है कि सारी चकबन्दी की कार्यवाहियों को एक आदमी के ऊपर छोड़ने की आवश्यकता नहीं । मैं इस अवसर पर यह जरूर कहना चाहता हूं, जरा तफ़सील में जानने कि जरूरत है चकबन्दी की कार्यवाही हो और यह मैं कहता हूं कि न सिर्फ यह देखा जाय कि क्या किसानों की हालत हो रही है और चकबन्दी कर्ता क्या किसानों के साथ कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं यह भी सुझाव कर रहा हूं कि क्या इस तीन रुपया एकड़ लेने की जरूरत है । अगर तीन रुपया एकड़ लेने की जरूरत नहीं है तो तीन रुपया न लेना चाहिये और अगर जरूरत है तो उस पर जरा गौर किया जाना चाहिये कि तीन रुपया एकड़ ले करके कितने गांवों में कितने एकड़ जमीन होगी कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, उन्हें तनख्वाह क्या देनी पड़ेगी, और मैं यह भी सलाह दूंगा किस ग्रेड का कौन कर्मचारी रखा जाय ताकि जो आज सारे देश भर में बेचैनी सी मालूम हो रही है, चकबन्दी के कार्य से वह न हो ।

मैं इस मौके पर जरूर कहना चाहता हूं कि सिर्फ तीन रुपया की बात है और तीन रुपया तो राजस्व मंत्री जी को स्वीकार कर लेने चाहिये और यह न्यायसंगत हो कम से कम किसान समझ सके कि यह तीन रुपया लिया जा रहा है उसकी भलाई के लिये लिया जा जा रहा है और जब सारे सूबे में यह काम किया जाना है तो सारे सूबे के लोग आतंकित न हों, इसलिए मैं जरूरी समझता हूं कि इस तीन रुपया को न्यायसंगत करार देने के लिये कोई कमेटी मुकर्रर की जाय और वह इस बात की छानबीन करे कि तीन रुपया लिया जाना चाहिये । लेकिन इस वक्त मैं इस पर जोर दे रहा हूं कि माननीय द्वारकाप्रसाद मौर्य जी का जो संशोधन है कि तीन रुपया प्रति एकड़ लिया जाय इसको स्वीकार कर लिया जाय ।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे अफ़सोस है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता । इसलिये नहीं कि माननीय गेंदासिंह जी ने इसको पेश किया है और मेरे लिये कोई परेशानी की बात हो गई बल्कि इस कारण कि अगर इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है तो किसानों का बोझ बढ़ जायगा । जिस रूल में संशोधन किया जा रहा है, मैं पढ़ कर सुनाता हूं । मुझे गेंदासिंह जी से हमदर्दी है उन्होंने गलत संशोधन को मूव कर दिया । .....

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—(श्री चरणसिंह से) इस वक्त गणपूर्ति नहीं हो रही है । कृपया आप बैठ जांय ।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, नियम ६१ (३) जिसमें संशोधन द्वारकाप्रसाद जी ने दिया था और मेरे मित्र ने पेश किया है वह इस प्रकार है :—

"चकबन्दी का व्यय अन्तिम रूप से अवधारित हो जाने के पश्चात चकबन्दीकर्ता चकबन्दी के व्यय की मांग तथा वसूली की एक दूसरी सूची को दो प्रतियों में (Duplicate) तैयार करेगा जिसमें पहली किस्त के संधानित हो जाने के पश्चात अवशिष्ट धनराशि (balance) जोत चकबन्दी आकार-पत्र २७-क में दिखाई जायगी।"

अब संशोधन यह है कि धनराशि के बाद यह कर दिया जाय: "जो किसी भी दशा में तीन रुपया प्रति एकड़ से अधिक न होगी।" इसका मतलब यह हुआ कि अवशिष्ट धनराशि (balance) जो है वह तीन रुपये से ज्यादा नहीं होगा। डेढ़ रुपया तो पहले वसूल कर लिया। अब जो बैलेंस हुआ वह तीन रुपये से ज्यादा न हो यानी साढ़े चार तक हो सकता है। लेकिन स्पीच यह हो रही थी कि किसी भी सूरत में कुल खर्चा चकबन्दी का तीन रुपया फी एकड़ से न बढ़े। पर जो संशोधन मूव किया है उसकी मंशा है कि साढ़े चार रुपये से ज्यादा न बढ़े। तो यह जल्दबाजी का नतीजा है। माननीय मौर्य जी ने एक गलती की थी और उनकी गलती को अपना बैठे माननीय गेंदासिंह जी। इससे साबित होता है कि मेरे माननीय मित्र विरोधी दल के जो नेता हैं उनकी नजरों में चकबन्दी के काम की कितनी अहमियत है जिसकी बाबत कि उन्होंने तकरीर की थी कि उन्होंने उसे पढ़ा तक नहीं। जैसा जनाब ने फरमाया आपने कोई संशोधन नहीं दिया। अगर आपकी निगाह में कोई महत्व था तो आप स्वयं कोई संशोधन देते। यह तो एक जो दिया हुआ था दूसरे मित्र का उसको भी पढ़ने की तकलीफ गवारा नहीं की। एक गलत काम उनके मित्र कर बैठे थे और उसको वह एडाप्ट कर बैठे। तो यह साढ़े चार तक की हद स्वयं सरकार किसानों के लिए नहीं रखना चाहती। वह उनके लिए ज्यादा हो जायगा। इसके अतिरिक्त एक बात उन्होंने और फर्माई थी कि अब तो दो तहसीलों में चकबन्दी हो चुकी है और उसके खर्चे वगैरह के आंकड़े गवर्नमेंट के पास आ गए होंगे। पहली बात तो यह है कि एक ही तहसील में अभी चकबन्दी पूर्णतया खत्म होने जा रही है सुल्तानपुर की मुसाफिरखाना तहसील में और दूसरी तहसील कैराना जो मुजफ्फरनगर में है उसमें तो कुछ रिट अप्लीकेशंस हाईकोर्ट में पड़ी हुई हैं जिसकी वजह से छः महीने तक का काम रुका हुआ है। १७२ गावों में कब्जे का हस्तांतरण हो चुका लेकिन ३७ गांव अभी ऐसे हैं जहां पर कि .....

श्री अध्यक्ष—आप क्या विषयान्तर का जवाब दे रहे हैं।

श्री चरणसिंह—जी नहीं। उनका कहना था कि कास्ट (cost) का कैलकुलेशन हो सकता है अब। मैं अर्ज कर रहा हूं कि नहीं कर सकते क्योंकि अभी इन दो तहसीलों में भी काम खत्म नहीं हुआ है और इसी सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मान लो कि खत्म भी हो जाय तो भी यह दो तहसील जो हैं वह हमारी एवरेज तहसीलें नहीं हैं। एवरेज टाइम वहां नहीं लगा है इन दो में तो अभी एक्सपेरीमेंट हुआ है और इनमें बहुत काफी देर हुई है। तो इन तहसीलों में जो खर्च हुआ है या जितना समय लगा है उसके आधार पर खर्चा निकाला जाय तो साढ़े चार रुपये से भी ज्यादा हो सकता है इसलिये उनको आधार नहीं बनाया जा सकता। लिहाजा जनाब की दलील गलत है।

तीसरी बात इसी सिलसिले में यह अर्ज करना चाहता हूं कि अभी एक अमेंडमेंट ऐक्ट हमने पास किया है सन् ५६ में ही.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य बीच बीच में चले जाते हैं ज्यादा अधिक संख्या में, तो फिर रुकना पड़ेगा।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्त्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष---अब कृपा करके माननीय सदस्य बाहर जाने की तकलीफ न करें । यहीं बैठे रहें । माननीय माल मन्त्री, आप जारी रखें ।

श्री चरणसिंह---मैं यह अर्ज कर रहा था कि इसी वर्ष हमने जो एक संशोधन ऐक्ट पास किया है उसमें धारा ३३ का भी संशोधन किया है । उसके पहले यह था कि डेढ़ रुपये की एक किस्त गवर्नमेंट वसूल कर सकती है हर जगह जहां कि चकबन्दी शुरू हो । वहां अब यह कर दिया कि किस्त का जो एमाउंट है वह हमने उसमें से निकाल दिया चाहे वह डेढ़ रुपया हो या पौने दो रुपया या कितना हो, दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट के लिए लाजिमी नहीं है कि हर जगह वसूल करे । गवर्नमेंट को अख्तियार है वह वसूल करे या न करे । और भी कुछ शाब्दिक संशोधन हुए हैं जिनके मातहत कि रूल ६१ बना है जिसमें कि संशोधन मूव किया गया है । लिहाजा इस अमेंडेड सेक्शन ३३ के मातहत जब हम नियम बनायेंगे, वे नये नियम बनेंगे, यह तो पुराने नियम हैं जनवरी सन् १९५६ के उस पर अगर कोई आपत्ति माननीय गेंदासिंह जी की हो तो मैं आपके जरिये उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अबकी वे उसे खूब पढ़ कर आयें और खूब संशोधन दें । गवर्नमेंट की कोशिश यह है कि कम से कम बोझ किसानों पर पड़े और हो सकता है कि तीन ही रुपया हो, लेकिन मैं कोई वादा नहीं करता । सवा तीन भी हो सकता है और पौने तीन भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि गेंदासिंह जी को, जो नये रूल्स आयेंगे अमेंडेड उनसे कोई शिकायत नहीं होगी ।]

इसके अलावा मैं आपके जरिये यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है बहुत हद तक । ९० फीसदी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि कागजात दुरुस्त रहें, लेकिन १० फीसदी खातेदार की है । मान लीजिये कि खातेदार मर गया तो उसके वारिसों की जिम्मेदारी होनी चाहिये कि वह इत्तला करेंगे कि हम फलां फलां हैं । वैसे तो लेखपाल की भी जिम्मेदारी तहसील में इत्तला करने की है, लेकिन दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिये और आज भी है ला(Law) के अन्दर । तो बहुत सी गलतियां इसलिये होती हैं कि सक्सेशन के बाद करेक्शन जो कागजात में होना चाहिये वह नहीं होता । इसमें १० फीसदी जिम्मेदारी वारिसों की, तो ९० फीसदी गवर्नमेंट की है कि कागजात की दुरुस्ती हो और दुरुस्ती करने के सिलसिले में जो गवर्नमेंट का खर्चा चकबन्दी में हो रहा है उसका कुछ भाग गवर्नमेंट बरदाश्त करे, अगर ऐसा माननीय गेंदासिंह जी का ख्याल है तो मैं उनके ख्याल से बहुत हद तक तहमत हूं ।

बस अन्त में फिर इस संशोधन का विरोध करता हूं । इससे माननीय गेंदासिंह का मतलब ही पूरा नहीं है, बल्कि अगर मैं मंजूर कर लूं तो उनके मतलब के खिलाफ हो जाता है ।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---जैसा सरकार का मंशा है कि किसानों पर कम से कम बोझ पड़े तो जिस सुस्त रफ्तार से चकबन्दी का कार्य हो रहा है इस तरीके से अगर लगेगा तो बोझ बढ़ता ही जायगा । जिला बदायूं में चकबन्दी हो रही है । मैं देख रहा हूं कि १४,००० रुपया मासिक खर्चा है और ५-६ गांव इतने दिनों तक पूरे नहीं हो पाये हैं और न होंगे । तो इस तरह से अगर एक तहसील में २००, ३०० गांव पर कार्य किया गया तो सरकार का जो मंशा है चार रुपया का उससे भी ज्यादा खर्च बढ़ जायगा, अगर इसी सुस्त रफ्तार से काम होता रहा ।

* **श्री गेंदासिंह**---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री जी को इस आश्वासन के लिए बधाई देना चाहूंगा कि जो उन्होंने यह घोषणा की जो कागजात दुरुस्ती का खर्चा है वह किसानों पर नहीं होगा । अब उसको उन्हीं के शब्दों में रख दिया जाय तो अच्छा है । ९० और १० का उन्होंने हिसाब लगाया था कि ९० फीसदी सरकार का पड़ता है और १० फीसदी किसानों के ऊपर है । १० फीसदी किसान का करते हैं या नहीं पर मैं यह मानता हूं कि कागजात दुरुस्ती का खर्चा सौ फीसदी गवर्नमेंट के ऊपर है । अगर उनके लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार हमारे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पूर्वजों के मर जाने के बाद हमारा नाम नहीं लिखते हैं तो वह तो हम को तंग करते हैं । होना यह चाहिये कि जैसे ही हमारे पूर्वज मरें तो माननीय राजस्व मंत्री जी का जो महकमा है, जो बहुत नजदीक का है और जल्द से जल्द घर पर पहुंच सकता है, उसको दूसरे दिन पहुंचना चाहिये, किसान के दरवाजे पर यह बात गौर से सुनें आप । उसको दूसरे दिन दरवाजे पर पहुंचना चाहिये और उस किसान को पुकार करनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—बल्कि उनकी मिट्टी में भी उन्हें जाना चाहिये, यह भी आप चाहेंगे कि वहीं से शुरुआत हो ?

श्री येंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, उस सिलसिले में भी होता रहता है । तो यह मैं समझता हूं कि सब से पहला काम तो यह करना चाहिये कि पुकार करें और उनके वारिसों के नाम लिख दें, अपने मन से लिख दें ।

अगर उनका नाम नहीं लिखा जाता है और कई महीनों तथा कई वर्षों तक उनका नाम नहीं लिखा जाता है तो यह हमारा कसूर नहीं है, किसानों का कसूर नहीं है । माल विभाग का कर्मचारी नहीं करता है तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी करनी चाहिये और किसानों की जिम्मेदारी नहीं है । इसलिये १०० प्रतिशत खर्चा सरकार को बरदाश्त करना चाहिये । अब देखना यह है कि कागजात दुरुस्ती पर कितना व्यय होता है । कितना वक्त लगता है । इससे ज्यादा हिसाब मैं क्या लगाऊंगा, यह सब तो वही हिसाब लगा कर देखें । लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि चकबंदी के काम में हो सकता है कि कुछ समय अधिक लगता हो लेकिन काफी समय इसमें भी लगता है ।

एक तो उन्होंने यह कहा कि मौर्य जी ने गलती की थी । अब क्योंकि वह जवाब देने के लिए यहां मौजूद नहीं हैं । मैं उनकी गलती मानने के लिये तैयार नहीं हूं । वह कहते हैं कि जिस क्लाज में मौर्य जी कहते हैं कि तीन रुपया बढ़ा दिया जाय तो उसका अनुमान मंत्री जी करते हैं कि तीन रुपया तो खर्चा पड़ेगा ही नहीं बल्कि कम होगा । उनकी शब्दावली यह है कि किसी भी दशा में तीन रुपये प्रति एकड़ ज्यादा नहीं होगा । इस अवशिष्ट धनराशि के सामने कोई रकम नहीं लिखी गई है । लेकिन इतना तो जरूर है कि तीन रुपये की सीमा निर्धारित हो जाती है सिर्फ इतना ही मौर्य जी के संशोधन का है । अभी मंत्री जी ने बतलाया कि मुजफ्फरनगर में भी हुआ है, बहुत से कर्मचारियों की तनख्वाह मिल रही है चाहे काम हो या न हो तो तनख्वाह किस के घर से जायगी ।

हमारा कहना यह है कि चकबन्दी काफी हद तक हो चुकी है इसलिये अनुमान लग गया होगा कि कितनी आवश्यकता होगी । वह कहते हैं कि वहां ज्यादा देर लग गई, दूसरे स्थान पर कम समय लगेगा । इसके माने यह हैं कि तीन रुपये से कम लगेंगे । फिर आपको क्या आपत्ति है ? अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा यह कहने के लिये कि हमें यदि वह माल विभाग के जाल में छोड़ दें तो हम उसमें से निकल नहीं सकते हैं क्योंकि वह बड़ा भारी जाल है । लेकिन इतनी बात जरूर है कि तीन रुपये से अधिक नहीं लगेगा । तो इसके स्वीकार कर लेने से यह किसानों के हित के विरुद्ध नहीं जाता है, यह तो उनके हित में पड़ता है । यदि सरकार ने ज्यादा खर्च कर दिया तो उस समय के लिए सेफगार्ड है कि सरकार ज्यादा वसूल नहीं कर सकती है । यदि कम खर्च हुआ तो वह वसूल कर सकती है । जब ज्यादा वसूल करने की बात होगी तब नहीं कर सकेगी ।

अब हमें संदेह हो रहा है कि कहीं ज्यादा खर्चा किये जाने का अनुमान तो नहीं है । राजस्व मंत्री जी कह सकते हैं कि तीन रुपये यह और डेढ़ रुपये वह पहले का, यानी साढ़े चार रुपये प्रति एकड़ से ज्यादा खर्चा किसी भी हालत में नहीं हो सकता है । इसको स्पष्ट करने में क्या हर्ज है इतना खर्च होने वाला नहीं है । सरकार की साढ़े चार रुपया एकड़ से ज्यादा लेने की बात नहीं है तो द्वारकाप्रसाद जी मौर्य के इस संशोधन को स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति नहीं

[श्री गेंदासिंह]

होनी चाहिये और अगर साढ़े चार रुपये फ़ी एकड़ से ज्यादा लेने का इरादा है तो फिर द्वारकाप्रसाद जी मौर्य के इस संशोधन को चाहे गलत माना जाय या सही माना जाय, नहीं मानना चाहिये ।

एक दृष्टि से मैं जरूर द्वारकाप्रसाद जी के इस संशोधन को गलत मानता हूं कि उन्होंने सरकार का कुछ थोड़ा सा एक्सपोजर कर दिया इसमें क्योंकि अगर यह संशोधन न आया होता तो इस पर विचार ही नहीं होता । तो अगर साढ़े चार रुपये फी एकड़ से ज्यादा लेने का इरादा है सरकार का तो स्पष्ट करें राजस्व मंत्रीजी । और अगर ज्यादा लेने का इरादा नहीं है तीन रुपये वाला संशोधन मान लें । इसलिये द्वारकाप्रसाद जी मौर्य के संशोधन को चाहे गलत कहा जाय या सही लेकिन इतनी ही मैं प्रार्थना करूंगा कि सारे प्रान्त के किसानों के दिमाग में जो परेशानी चकबन्दी के सिलसिले में हुई है उसको दूर करने की चेष्टा होनी चाहिये । उसको राजस्व मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं किया । मैं उसको छोड़े देता हूं । वह असंगत भी होता है । लेकिन कम से कम मैं यह जरूर सोचता हूं कि जो इसमें खर्चा हो उसके बारे में तो कम से कम किसान के दिमाग में कोई भ्रम न हो यह भ्रम इससे दूर हो सकता है । इसलिये इसे स्वीकार कर लेना चाहिये ।

श्री चरणसिंह—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब है कि माननीय गेंदासिंह जी जैसे मित्र एक गलती कर बैठे । लेकिन उस गलती पर अड़े हुये हैं । हमने तो अब तक यह सुना था कि अगर आदमी से गलती हो जाय तो गलती स्वीकार कर लेने से वह गलती का एतराफ करता है और गलती को स्वीकार न करना और अड़े रहना डबल गलती हो जाती है । मैं अपने माननीय मित्र से आपके जरिये पूछना चाहता हूं कि क्या बराबर उनकी यह तकरीर नहीं थी कि किसी भी सूरत में तीन रुपये फ़ी एकड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिये और जैसा यह संशोधन है क्या इसका मतलब यह नहीं होता है कि किसी भी सूरत में साढ़े चार रुपये से ज्यादा न खर्च हो । और फिर यह सिर्फ मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर के लिये ही नहीं है । सारे सूबे के लिए है । तब तो यह था कि तीन रुपये से ज्यादा न खर्च किया जाय और अब आप कह रहे हैं कि साढ़े चार से ज्यादा हो तो साढ़े चार रखा जाय और ४ रुपये ६ आने हो तो ४ रुपये ६ आने किया जाय । इसलिये तीन रुपये की सीमा की बात खत्म हो गयी । यही मैं अर्ज कर रहा था कि उनकी तकरीर का मंशा यह नहीं था । तकरीर यह कर रहे थे लेकिन संशोधन दूसरा है । तो उसको खुले दिल से स्वीकार कर लेना चाहिये । मैं तो चार रुपये भी नहीं चाहता । गवर्नमेंट की हर्गिज मन्शा नहीं है कि अगर ६ रुपये फी एकड़ पड़ता है तो मुजफ्फरनगर में तो वह वसूल किया जाय । फिर खर्चा तो होता ही है और स्थान रहते हैं । अब अगर हाईकोर्ट में रिट दाखिल हो गयी और चार महीने से मामला वहां पड़ा है तो क्या गेंदासिंह जी यह चाहते हैं कि उनको दो, चार महीने के लिये बरखास्त कर दें ? एक तो वे खाली नहीं बैठे हैं, वे गांवों का सर्वे कर रहे हैं, और अगर खाली रह भी जायं तो दूसरे जिलों में भेजे जा सकते हैं, लेकिन अगर खाली भी रहें महीने दो महीने तो क्या हम उनको बरखास्त कर दें । जो खर्चा आज हो रहा है उसमें किसानों का कोई कसूर नहीं है । अगर ६, ७ रुपये फ़ी एकड़ खर्च बैठता है तो उतना हम किसानों से नहीं लेंगे । हम साढ़े चार रुपये भी नहीं लेना चाहते । एक बात तो यह हुई ।

दूसरी बात खर्चे के मुताल्लिक माननीय टीकाराम जी ने जो बदायूं से आते हैं कही कि १४ हजार रुपये माहवार का खर्चा है । लेकिन आपकी इजाजत से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि देरी नहीं हो रही है । कंसालिडेशन की जैसी प्रोसीडिंग्स हमारे यहां चल रही हैं उनसे कुछ जल्दी ही हो रही है । एक जर्मन ऐग्रेरियन एक्सपर्ट की शहादत इसकी ताईद में मैं दे सकता हूं । उनके अनुसार हम जल्दी कर रहे हैं ।

श्री गेंदासिंह—मैं भी कह रहा हूं कि जल्दी हो रही है ।

श्री चरणसिंह—आप कह रहे हैं कि जल्दी हो रही है और टीकाराम जी कह रहे हैं कि देर हो रही है । वह जर्मन ऐग्रेरियन एक्सपर्ट पिछले वार के जमाने में जर्मनी की जो जमीन रशिया की तरफ आ गई थी उसका इंतजाम करने के लिये रखे गये थे और बड़े एक्सपर्ट हैं । आजकल

वे पाकिस्तान में हैं। वह एक दफा तशरीफ लाये और मुझे मालूम हुआ कि उनके कुछ कंसालिडेशन वगैरह के बारे में विचार हैं। मैंने अपने आफिसर्स से कहा कि उनसे बातें करो मुमकिन है कोई नया आइडिया मिल जाय। खैर, कोई नया आइडिया तो उनसे मिला नहीं, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि कितने समय में एक जिले की चकबन्दी हुई तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि आप मुश्किल से डेढ़ दो वर्ष में किसी जिले में चकबन्दी पूरा करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने अपने यहां की मिसाल दी कि हमारे वहां चकबन्दी का इंतजाम २० साल का है और उनके यहां चकबन्दी हो रही है। तो उनकी राय में हम जल्दी चल रहे हैं। उनका मत था कि गो स्लो।

दूसरी बात यह है कि मुजफ्फरनगर और मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर में भी कुछ अर्से के लिये जरा सी रफ्तार तेज हो गई आफिसरान की और कुछ उसमें मेरी भी गलती हो गयी थी उनका तो कोई कसूर नहीं था मैंने उनसे कहा कि जरा सुस्ती से काम हो रहा है। इस पर जरा सी तेजी हो गई और उसमें गलतियां हो गईं और अगला स्टेज आ गया और उसकी वजह से गलतियां पैदा हो गईं।

तीसरी चीज यह कि ऐक्ट मौजूद है। उसकी रू से हमें बतलाइये कि हम क्या करें? महज नुक्स नुक्स ही देखें, कसूर ही कसूर देखा करें तो ठीक नहीं है और यह अच्छा दृष्टि-कोण नहीं है। उनकी कठिनाइयों का भी ध्यान रखना चाहिये। मैं तो कहता हूं जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं कोई सीक्रेट नहीं रखता, कोई भेद की बात नहीं खोल रहा हूं, कभी कभी मुझे शक होता है कि मैंने कहीं इतना महान काम उठा लिया मैं क्या इसके लायक हूं? इतना मुशकिल काम है जिसका बयान नहीं हो सकता। जो काम करते हैं वही जानते हैं। आठ आठ बजे तक और मुझे तो मालूम है कि हमारे बाज आफिसरान रात को दो दो बजे तक काम करते हैं और जरा सी गलती मालूम होती है फौरन सख्त कार्यवाही करता हूं। एन मास टर्मिनेशन और रिमूवल उनका सर्विसेज से होता है जहां मालूम होता है। तो आन दि होल (on the whole) बहुत ईमानदारी से, बहुत लगन के साथ काम चल रहा है। मैं आपके जरिये से माननीय मेम्बरान से अपील करता हूं कि पब्लिकली या यहां इस हाउस में ऐसी बात न कही जाय, जिससे उनका उत्साह ही कम हो जाय। हमारे वह आदमी हैं और जो बेस्ट हो सकता है वह करते हैं। हां, जो नुक्ताचीनी है वह अलग से आप मेरे पास आकर करें। मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब बात ओपेन में की जाती है और पब्लिकली की जाती है तो हमारी टेंडेंसी है कि हम उसको जेनरलाइज कर देते हैं और जब जेनरलाइज कर देते हैं तो अच्छे से अच्छे आदमी की हिम्मत टूट जाती है। अब मैं गेंदासिंह जी से दरख्वास्त करता हूं कि इस संशोधन से उनका जो पहले मंशा था वह पूरा नहीं होता है और उसे स्वीकार नहीं होना चाहिये और अगर स्वीकार हो जाता है तो हमें इसको कहने में शक नहीं है कि सरकार की यह मंशा नहीं है कि हर्गिज साढ़े चार रुपये भी खर्च हो जाय। सरकार का इरादा तो साढ़े तीन रुपये आस-पास से ज्यादा जाने का नहीं है।

श्री गेंदासिंह---मैं वापस ले रहा हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---अब इसके ऊपर विवाद समाप्त हुआ।

†उत्तर प्रदेश महिला-संस्था तथा बाल-संस्था (नियंत्रण) विधेयक, १९५५

*श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश महिला-संस्था तथा बाल-संस्था (नियंत्रण) विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय।

---

†२१ नवम्बर १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, इसमें गलती से १९५५ छप गया है १९५६ होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है आप १९५६ कह दीजिये ।

आचार्य जुगल किशोर—ठीक है, १९५६ पर विचार किया जाय । इसके सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मुझे और ज्यादा कहने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिये क्योंकि इस तरह के विधेयक की मांग हमारे.....

श्री अध्यक्ष—मुझे यह सूचना मिली है कि यह विधेयक नवम्बर में उपस्थित कर दिया गया था । तो १९५५ ही रहेगा । विधेयक में इसी शकल में सन् रहेगा और जब वह पारित हो जायगा तो अधिनियम, १९५६ का कहा जायगा ।

आचार्य जुगल किशोर—इस विधेयक का उद्देश्य, जैसा कि इस विधेयक के पिछले पृष्ठ पर दिया गया है, यह कि जो हमारे प्रदेश में ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जो निराश्रित स्त्रियों और बच्चों की देखभाल करती हैं, उनके प्रबंध के लिये एक ऐसा अधिनियम बनाया जाय जिससे कि वह सुचारु रूप से चल सकें और उन स्त्रियों को एक अच्छी जीविका मिल सके और उनको अच्छी प्रकार जीवन व्यतीत करने का प्रबंध किया जाय । ऐसा इंतजाम करने के लिये यह विधेयक आज मैं इस भवन के सामने पेश कर रहा हूं । इस संबंध में कई मांगें जनता की तरफ से आयीं । लेजिस्लेटिव कौंसिल में भी एक प्रस्ताव इस किस्म का पेश किया गया था जिसको मैंने यह कह कर वापस करवाया कि इस किस्म का एक विधेयक आ रहा है । इस सिलसिले में दो कमेटियां इस प्रदेश में नियुक्त की गईं । कई साल पहले उनकी रिपोर्ट भी इस सदन के सामने आयी है और बंट चुकी है । उसमें भी इस बात की सिफारिश की गई है कि इस तरह का एक विधेयक लाना आवश्यक है और कुछ न कुछ ऐसा नियंत्रण उनके ऊपर होना चाहिये कि वह अपना कार्य नियमित रूप से और जनता और समाज की भलाई के लिये, उसके फायदे के लिये करें । उनके लिये नियम बनाये जायं । इसके लिये एक सोशल ऐन्ड मारेल हाईजीन कमेटी जो केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की तरफ से नियुक्त की गई थी, उसकी भी रिपोर्ट आयी है । यद्यपि उसका क्षेत्र बहुत व्यापक था तब भी उसमें उन्होंने ऐसी संस्थाओं का जिक्र किया है कि इस विधेयक का संबंध है और उसके बारे में उन्होंने कहा कि जो ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें निराश्रित बच्चों और स्त्रियों का प्रबंध होता है उनकी देखभाल की जाय, उनकी रक्षा की जाय । बहुत सी खराबियां हमारे समाज में हैं उनको रोकने के लिये, और खासकर उन संस्थाओं में, कुछ नियम बनाने की आवश्यकता है । जो ऐसी संस्थायें हैं उन पर कुछ नियंत्रण रखा जाय और वह उन नियमों के मुताबिक चलें कि जिनका निर्माण गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित एक बोर्ड करेगा, जिसका कि जिक्र इस विधेयक में किया गया है । इस तरह के विधेयक की आवश्यकता हमारे प्रदेश में बहुत समय से हो रही है और आज मुझे बड़ी खुशी कि मुझे यह मौका मिला है कि मैं इस विधेयक को विचार के लिये माननीय सदस्यों के सामने रख सका हूं । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यगण भी इस बात से प्रसन्न होंगे कि आज इस विधेयक के, ऐसे विधेयक के ऊपर हमें विचार करने का अवसर मिला है ।

इस विधेयक के पांच अध्याय हैं और ५४ इसके खंड हैं । पहले अध्याय में तो परिभाषाएं हैं । जो शब्द इसमें इस्तेमाल किये गये हैं उनकी क्या परिभाषा होगी उसका जिक्र किया गया है । दूसरे अध्याय में एक ऐसे बोर्ड की स्थापना का जिक्र है कि जिसके जरिये से इन संस्थाओं पर कंट्रोल किया जायगा । उसका क्या विधान होगा, उसके क्या अधिकार होंगे और कैसे कैसे क्षेत्रों में इस तरह के बोर्ड और कमेटियां नियुक्त होंगी, इसका जिक्र है । इसी के साथ-साथ तीसरे अध्याय में अनुज्ञप्ति देने के लिये विचार किया गया है कि ऐसी संस्थाओं को यह लाजमी होगा कि वह लाइसेंस लें ताकि लाइसेंस लेने के वक्त में गवर्नमेंट की तरफ से या बोर्ड की तरफ से ऐसी कुछ शर्तें उनके ऊपर लगायी जायं कि जिनका पालन न करने पर वह न चल सकें और उनको अनुज्ञप्ति न दी जा सके । तीसरे अध्याय में इस तरह की शर्तें लगायी गयी हैं और वह इस ख्याल से लगायी गयी हैं कि

जो संस्थायें आज चल रही हैं वह उन शर्तों पर चलें। यदि वह उन शर्तों का पालन नहीं कर सकें तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। या तो उनको बन्द कर दिया जाय या गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेले।

चौथे अध्याय में इन संस्थाओं के बारे में अख्तियार होगा कि इनके लिये सरकारी प्रतिनिधि रखा जाय और वहां का रिकार्ड रखा जाय इत्यादि बातों का जिकर किया गया है। पांचवें अध्याय में रूल्स बनाने का अख्तियार है जो कि हर एक अधिनियम में आमतौर पर रहता है।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस विधेयक की आवश्यकता क्यों है और इसके जो खंड हैं उनमें किन-किन बातों का जिकर किया गया है। मैं तो यह ख्याल करता हूं कि जैसा मुझे मालूम हुआ जो संशोधन अभी तक इस पर आये हैं वह बहुत कम आये हैं। जहां तक इस बिल के सिद्धान्त का प्रश्न है उसको माननीय सदस्य मानते हैं.....

राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)---श्रीमान्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

आचार्य जुगल किशोर---इस विधेयक का मन्शा यह नहीं है जैसा कि लोगों के मन में कुछ भ्रम पैदा हो गया है कि सरकार इन इन्स्टीट्यूशन्स पर कब्जा करना चाहती है। सरकार तो केवल इस बात की कोशिश करना चाहती है कि जो संस्थायें आज जनता की सेवा के लिये खुली हुई हैं और जो निराश्रित स्त्री और बच्चों की रक्षा के लिये और शिक्षा के लिये बनायी गयी हैं उनका दुरुपयोग न हो सके। इसी के लिये यह विधेयक यहां पर लाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जितनी रिपोर्ट हमारे पास आई हैं और समाचार-पत्रों में निकलती रहती हैं उनसे सबको यह मालूम होगा कि इस तरह की संस्थायें अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं जो कि काफी संख्या में उनको प्राप्त होते हैं। वे संस्थायें स्त्री, बच्चों और बालकों की रक्षा के लिये हैं परन्तु जो रिपोर्ट हमारे पास आयी हैं या अपने अनुभव से हम लोग जानते हैं उनके आधार पर हमारा विश्वास हो गया है कि जब तक इन संस्थाओं पर नियन्त्रण नहीं किया जायगा तब तक इन संस्थाओं का सुधरना कठिन है और जो निराश्रित व्यक्ति है उनको आश्रय देने में, उचित रूप से व्यवहार करने में वह अग्रसर नहीं हो सकती है इसी ख्याल से यह विधेयक आज सदन के सामने उपस्थित किया गया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य-गण इसको स्वीकार करेंगे। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो संशोधन हमारे सामने आयेंगे और जो इस विधेयक को सुधारने के लिये होंगे उन पर अवश्य विचार किया जायगा और जहां तक सम्भव हो सकेगा हम उनको स्वीकार करेंगे।

* **श्री अवधेश प्रताप सिंह** (जिला फैजाबाद)---मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियन्त्रण) विधेयक, १९५५ एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

मान्यवर, मैं आशा करता था और इस उम्मेद में बैठा था कि माननीय मन्त्री महोदय इस विधेयक पर जो कि अत्यन्त आवश्यक है और जनहित में है उसके बारे में विशेषरूप से प्रकाश डालेंगे जहां तक अध्यायों और खंडों का सम्बन्ध है वह तो आसानी से इस किताब में हम देख सकते हैं। परन्तु यह दुख मुझे अवश्य हुआ कि कितना प्रकाश उनको डालना चाहिये था उतना प्रकाश डालना उन्होंने उचित नहीं समझा। मान्यवर, इस विधेयक के लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और मैं इसका स्वागत करता हूं। हां, शिकायत जो हो सकती है वह तो यह हो सकती है कि इसके बहुत पूर्व इस तरह का विधेयक इस सदन में आना चाहिये था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

सरकार द्वारा एक कमेटी भी नियुक्त की गयी, उसकी सिफारिशें भी उनके पास आयीं और उनका कहना है कि उसी के आधार पर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है ।

श्रीमन्, इस सदन में मैंने एक रवैया यह देख रखा है और विशेष कर हर चीज यह समझी जाती है कि जिस तरह हो सहसा इसको पारित कर दिया जाय । ठीक है एक तरफ कमेटी नियुक्त हुई वहां उस पर विचार विनिमय किया गया परन्तु जो मैं चाहता हूं वह यह है कि यह ऐसा विधेयक है जिसको कि माननीय मंत्री महोदय भी अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि भविष्य में चलकर यह महिलाओं और बालकों के लिये अत्यन्त उपयोगी साबित होने वाला है । ऐसी परिस्थिति में इसके लिये शीघ्रता करना और जब कि हम यह समझते हैं कि अभी हम बैठेंगे और इसमें कोई ऐसा सहसा करने के लिये गुंजायश भी नहीं है, कोई ऐसी वैधानिक आपत्ति नहीं है, कोई ऐसी असामयिक आपत्ति भी नहीं प्रतीत होती जिसके कारण यह कहा जाय कि सहसा सदन इसको पारित कर दे । ठीक है, श्रीमन्, मेरी जो एक शिकायत थी वह यह कि इसको बहुत पहले आ जाना चाहिये था । माननीय मंत्री महोदय ने इस विधेयक के उन सिद्धान्तों पर किसी तरह का प्रकाश डालने का प्रयास नहीं किया जो अत्यन्त आवश्यक है और जो कि महत्वपूर्ण है । उन्होंने तो सिर्फ खंडों और चेप्टरों में ही हमको बझाये रखना चाहा है ।

मैं आपके द्वारा अब उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस विधेयक को ध्यान-पूर्वक वे स्वयं पढ़ें और देखें कि कहां तक उनके उद्देश्य की पूर्ति होती है, इस विधेयक में । यह ठीक है कि ड्राफ्टमैन से यह ला डिपार्टमेन्ट से जो कि इसको बनाता है, लेकर माननीय मंत्री महोदय ने इस सदन में रख दिया और फिर हमसे कहा जाय कि इसको पारित करो, यह ठीक है सिद्धान्त, हम उनसे सहमत हैं । परन्तु मैं आपके द्वारा उनको यह बतला देना चाहता हूं कि गम्भीरता से वे सोचें और उनका मकसद कदापि इस विधेयक से पूरा नहीं होता है । मान्यवर, मैं यह देखता हूं कि कुछ परम्परायें इस सदन की हो चुकी हैं कि हमें वे चीजें बतायी जाती हैं जो देखने में बहुत सरल, स्वच्छ और निर्मल हैं परन्तु उसकी अन्दरूनी शक्ल सूरत जो है, यदि हम उसके भीतर घुसने का प्रयास करें तो एक दूसरा ही भयंकर रूप प्रतीत होता है । मान्यवर, कहा यह जाता है कि हम सिर्फ नियन्त्रण चाहते हैं उन संस्थाओं का जो कि भली-भांति सुचारु रूप से काम नहीं कर रही हैं । लेकिन, श्रीमन् मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय का भी कि नियन्त्रण और अपहरण में अन्तर है । नियन्त्रण कंट्रोल है और अपहरण डिनायल आफ राइट्स है । जब अधि-कारों का अपहरण किया जाय और यह कहा जाय कि यह नियन्त्रण है तो, श्रीमन् किस परि-भाषा और किस भाषा में उसका यह अभिप्राय लगाया जाता है ? यह प्रयास और यह दुस्साहस माननीय मंत्री महोदय ही कर सकते हैं; मैं यह दुस्साहस करने के लिये तत्पर नहीं हूं । मान्यवर, यह सच है कि जो संस्था भविष्य में खोली जायें उन पर अत्यधिक नियन्त्रण किया जाय ।

जितनी संस्थायें हमारे पास इस वक्त इस सूबे में हैं वह भी काफी हैं और जोकि हमें सही रास्ते पर चलने से विवश करती हैं जो है उनमें बड़ा संकट है, वह हमारे लिए एक-मुसी-बत है और एक बड़ा दर्देसर है । इसके लिये मैं सरकार से सहमत हूं लेकिन भविष्य में यदि इस बिल को देखा जाय तो लाइसेन्स के लिये जो विधि रखी गई है वह यह है कि भविष्य में यदि कोई संस्था बालकों या महिलाओं के लिये प्रबन्ध करे तो वह जिलाधीश महोदय से लाइसेन्स प्राप्त करे और यदि लाइसेन्स प्राप्त न हो सके तो इस विधेयक के अन्तर्गत जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाडी बनाया जा रहा है उसके पास उसका अपील करने का अधिकार दिया गया है लेकिन इसमें एक भेदभाव बरता जा रहा है और जो सदन में ही देखा जा सकता है और उसके बारे में माननीय मंत्री जी अपने कानूनी मशीरकार के दरयाफ्त करें । मैं कहता हूं कि जो संस्थायें प्रदेश में चल रही हैं उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि कहीं भी यह साफ नहीं है कि यदि जिलाधीश ऐसा न करे तो वह क्या करें । एक ओर तो नई खुलने

वाली संस्थाओं को यह अधिकार दिया जा रहा है कि यदि उन के प्रबन्धकों को जिलाधीश की आज्ञा प्राप्त न हो तो वह एडमिनिस्ट्रेटिव बाडी के सामने अपील कर सकें लेकिन जहांतक पुरानी संस्था का प्रश्न है जो बहुत काल से चली आ रही हैं, उनके बारे में यह कहना कि वे सब ही खराब हैं, उचित न होगा। यह मैं स्वीकार करता हूं उनमें से बहुत सी सुचारु रूप से नहीं चल रही हैं लेकिन सब के बारे में यह कहना कि उनमें गन्दगी है या वे लक्ष्य से परे हैं, उनका रास्ता ठीक नहीं है, मैं समझता हूं कि यह सर्वथा अनुचित होगा। मैं तो माननीय मंत्री जी को चैलेन्ज देता हूं कि वे बतायें कि पुरानी संस्थाओं को यदि जिलाधीश आज्ञा नहीं देता है, लाइसेन्स नहीं देता है, तो अपील, रिवीजन या रिव्यू का कहां प्राविजन है।

मैं बिल के खंडों में नहीं जाता क्योंकि उस पर आप आपत्ति करेंगे और कहेंगे कि मैं केवल सिद्धान्तों पर ही सीमित रहूं इसलिये मैं उसके खंडों पर ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा हूं। आप खंड २७ को देखें तो उसमें एक जगह तो अपील का प्राविजन है लेकिन दूसरी जगह जो संस्थायें इस समय चल रही हैं उनके लिये अपील का इसमें कोई प्राविजन नहीं रखा गया है कि जो संस्थायें किसी व्यक्ति द्वारा या रजिस्टर्ड संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही हैं। उनका क्या होगा? यह मैं स्वीकार करता हूं कि स्थानीय निकायों के अन्तर्गत या लोकल बाडीज के अन्तर्गत जो संस्थायें चल रही हैं वह विधिवत नहीं चल रही हैं। प्रादेशिक सरकार या केन्द्रीय सरकार का जहांतक प्रश्न है, वह भले ही कह लें कि ठीक से काम चल रहा है लेकिन जो दूसरे इंस्टीटयूशन्स चल रहे हैं उनको कहा जाय कि वह सुचारु रूप से चल रहे हैं तो यह भूल है और भ्रम है। यह लोकल बाडीज आटोनामस बाडीज हैं, उनके अधिकारों का अपहरण नहीं होना चाहिये, उनको अधिकार देना चाहिये। परन्तु जब सदन में हमारे गुरु ट्रेजरी बेंचेज के लोग ही हैं और जब यह सिखा दिया गया है कि बोर्ड सुपर-सीड हो सकते हैं, चेयरमैन ससपेंड हो सकते हैं, तो हमारे लिये बड़ा मुश्किल होगा कि हम उस को भूलें। मैं समझता हूं कि उसमें कोई सार न होगा। और उसका यह जवाब समझें कि रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन को जो दशा है वह भी आपसे छिपी नहीं है। रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंन जो इस प्रदेश में हैं उनकी क्या गति है, किस तरह से रिकग्नीशन प्राप्त होता है, वह भी सबको भलीभांति मालूम है।

मान्यवर, यही नहीं, सरकार यह बतलाये कि जो एग्जेम्पशंस हैं, अब इस सम्बन्ध में मुझे आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है—ठीक है हम इसको स्वीकार करते हैं कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड हो लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड का कांस्टिट्यूशन है वह विधेयक में देखा जाय तो उसके मानी यही हैं कि विधान सभा के दो सदस्य, विधान परिषद का एक सदस्य, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर उसका एक सदस्य होगा और उसके बाद जो हैं वे सब गवर्नमेंट के नामिनेटेड सदस्य होंगे। मान्यवर, यह कहना कि जहां पर कोई बोर्ड बनाया जाय और जैसा कि बोर्ड हमने इस सदन में सुना है तो वह कोई बोर्ड नहीं है, सरकार का एक खिलौना है। हर जगह सरकार उसमें नियुक्ति करेगी। वह नियुक्ति किस तरह से होगी उसके लिये बाद को बतलाया जायगा सिर्फ एक यह आधार बतलाया गया। यह क्या तमाशा है कि सरकार अपने अधिकारों और हकों को तो सुरक्षित रक्खे लेकिन दूसरे के अधिकारों से और दूसरे उसके समीप आवें इसमें उसे घृणा हो? मान्यवर, यह नहीं बल्कि हर इंस्टीट्यूशन के लिये एक समिति बनाई जायगी और वह जो समिति बनाई जायगी उसके लिये हमारे सामने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर कुछ भी नहीं रक्खा गया, नियमों में बतलाया जायगा कि किस तरह के वह प्रबन्धक होंगे और प्रबन्धक समिति होगी और क्या उसकी रूपरेखा होगी। मान्यवर, आपके द्वारा मंत्री जी को मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं कि जो यह विधेयक लाये हैं यह क्या है। आप हम को अंधकार में छोड़ कर, बिना बताये हुए कि क्या करना चाहते हैं हमसे एक विधेयक पारित करवाना चाहते हैं। जहां तक

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

व्हिप का सवाल है, डिसिप्लिन का सवाल है, वह ठीक है। सब आपका साथ देंगे और दूसरे लोग भी, आप एक नेक काम कर रहे हैं, आपके साथ रहेंगे। लेकिन यह कहना, और हम से सब चीज अलग छुपाये रहें और आप सुबह प्रातःकाल उठकर रूल्स बना दें, मेज पर रख दिये जायं और आपके ब्योरेक्टेट्स वही इसके विधाता हों, यह ठीक नहीं है। हमको मालूम नहीं कि बिल्कुल अंधकार में रख कर आप विधेयक पास कराना चाहते हैं।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्भवतः जब मैं बोल रहा था तो कुछ माननीय सदस्यों को यह भ्रम हुआ कि उन संस्थाओं के बारे में जो कि आज ऐसा काम कर रही हैं यदि उनको लाइसेंस न दिया गया तो उनको भी राइट आफ अपील है कि वह गवर्नमेंट को अपील कर सकती हैं। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों तथा माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान खंड ३१ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वह परिस्थिति तब उत्पन्न होती है जब कि कोई लाइसेंस रिपीट किया जाय, यानी कोई लाइसेंस रद्द किया जाय। मान्यवर, यहां पर एक महान डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि कुछ लोगों को अधिकार कुछ है और बिलकुल उसी तरह के लोग जो हैं उनके लिए वह सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। मान्यवर, मैं आपके द्वारा पुनः मन्त्री महोदय का ध्यान खंड ३९ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और, श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं। "प्रत्येक अंकित संस्था के प्रबन्ध की अवधायक एक प्रबन्ध समिति होगी जिसके सदस्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संस्था के प्रबन्धक समझे जायेंगे। प्रबन्ध समिति के अधिकार और कृत तथा सदस्यों की पदावधि वही होगी जिसकी व्यवस्था ऐसी संस्था से सम्बद्ध विधान में की जाय", मान्यवर, अध्याय ४, खं० ३९ मैं पढ़ रहा था और यदि माननीय मन्त्री महोदय उसको पढ़ने का कष्ट सहन करेंगे तो वह देखेंगे कि उस रूप से सम्मानित सदन के सामने यह विधेयक लाया गया है उससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि उनके अधिकार क्या होंगे, उनके कृत क्या होंगे और कहां तक उनके अधिकारों की सीमा होगी। जब तक कि राइट्स ऐंड ड्यूटीज (rights and duties) डिफाइन न की जायं और हमसे यह कहा जाता है कि यह विधेयक पारित किया जाय तो मैं समझता हूं कि यह मंत्री महोदय अन्याय कर रहे हैं। करना तो यह चाहिये कि सदन को हर परिस्थिति से वह अवगत करायें और जब प्रत्येक सदस्य को उस विधेयक से पूर्णतया परिज्ञान हो जाय तो वैसी अवस्था में उन्हें यह कहना उचित हो सकता है। परन्तु इतने शीघ्रातिशीघ्र रूप से इस विधेक को पारित कराना मैं समझता हूं कि कदापि उचित न होगा।

मान्यवर, जहां तक इस विधेयक का उद्देश्य है उसके प्रति मुझे यह कहना है कि मैं सहमत हूं और आज, श्रीमन्, इन संस्थाओं में जो अन्धेर हो रहा है, जिस रूप से इम्मारल ट्रैफिकिंग चल रही हैं और जिस तरह से अनुचित लाभ उठाया जा रहा है, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करनी चाहिये और साथ ही साथ मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जब कि आपके हरएक जिले में एक सोशल वेलफेयर आफिसर है तो उसका यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह देखे और सहसा देखे, इस बात के इन्तजार में न रहे कि जब कि यह विधेयक एक अधिनियम का रूप धारण करे तब वह अपना कदम उठाए, बल्कि उनको सहसा इस बात के लिए संलग्न और तत्पर हो जाना चाहिये कि जहां पर इस तरह का अन्धेर या दुराचार हो रहा है उसको पुलिस की सहायता से फौरन रोका जाय और आपके इंडियन पीनल कोड में इसके लिए प्रावीजन है, कोई नये कानून की जरूरत नहीं है जोकि इस विशेष परिस्थिति के लिए आवश्यक हो। मान्यवर, गवर्नमेंट के मैं साथ में हूं और उनसे

एक कदम आगे हूं कि जहाँ पर दुराचार हो, अत्याचार हो, अनाचार हो, उसको रोकने के लिए जो कुछ किया जाय वह उचित होगा। यह कहीं अच्छा होता कि इस विधेयक के लाने के बजाय जो पहले से कानून बने हुए हैं उनकी सहायता ली जाती। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि किस तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है। अनाथालय, जहां बालक हों, जहां विधवाएं हों, जो असहाय हों, जो परिस्थितियों के वश अपने पैरों पर नहीं चल सकते, जो आर्थिक संकट में हैं, उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता है, बल्कि जिस रास्ते पर वह लगा दिये जांय उसी को विवश होकर ग्रहण करना पड़ता है। इसको पहले रोकना चाहिये था मगर उस समय मंत्री जी सो रहे थे, निद्रा में मग्न थे। तो आप इसकी प्रतीक्षा न कीजिये कि विधेयक कभी अधिनियम का रूप धारण करता है या नहीं बल्कि उन चीजों के लिए जोकि रोकी जा सकती हैं और जिनके लिए आज विधान है वह फौरन रोकी जांय।

मान्यवर, जबकि एक तरफ हम वेल्फेयर स्टेट की इच्छा करते हैं तो जब हम यह समझते हैं कि समाज में सुधार हो, बल्कि इसके लिए एक पृथक पोर्टफोलियो हो चुका है, माननीय मन्त्री जी हैं, उनके साथ कर्मचारी भी मौजूद हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या वह नहीं समझते हैं कि जो जो परिस्थितियां हैं उनका सुधार किस तरीके से किया जा सकता है। और दूसरी बात जो सब से गम्भीर है वह यह है कि मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि जो हर संस्था के लिए एक समिति बनायेंगे वह सुपरवीजन करेगी, डायरेक्शन देगी, जो कुछ भी करे, उसका कांस्टीट्यूशन क्या है, कौन से लोग होंगे और क्या वह बाडी उस उद्देश्य को पूरा कर सकेगी, वह भी देखना है।

श्रीमन्, कलेक्टर मौजूद हैं जिलों में, सोशल वेल्फेयर आफिसर मौजूद हैं और इस तरह के सेंटर्स हैं जहां कि सुधार करने के लिए आप बहुत ही लालायित हों तो वह बाधा क्या है जो आप को ऐसा करने से रोकती है? मुझे माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना है कि यदि वह प्रवर समिति के मेरे सुझाव को स्वीकार करें और वह प्रूनिंग के बाद सदन में आवे तो मैं समझता हूं कि उनका काम हलका हो जायगा और प्रवर समिति में इसके जितने दोष हैं वह दूर किये जा सकते हैं। ये विधेयक ऐसे हैं जो बार-बार नहीं लाये जा सकते। उनके लिए यह भी नहीं कहा जा सकता है कि यह स्टेट डायनमिक है क्योंकि माल मंत्री चिल्लाया करते हैं कि रोज-रोज रिफार्म करने की आवश्यकता है और रोज लैंड रिफार्म किये जा सकते हैं तो यह कौन सी चीज है जो रोज बदलने वाली हो? कितने संशोधन आप इसमें लाते रहेंगे? इन परिस्थितियों से हमको पूरा ज्ञान है कि जो विधेयक लाया जा रहा है, जब कमेटी की सिफारिशें उनके पास मौजूद हैं और जबकि सबको यह मालूम है तो इस समय यह कोई प्रश्न नहीं है कि हम अब बैठ नहीं रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई कांस्टीटूयूशनल कठिनाई हो, वैधानिक आपत्ति हो, सरकार के लिये। यदि वह आज तक इसके लिये प्रतीक्षा कर सकते थे तो कुछ दिन और भी वह प्रतीक्षा कर सकते हैं और उसको इस रूप में ला सकते हैं जोकि सदा के लिए हितकारी प्रतीत हो। और इस तरह के विधेयक जो सदन में जाते हैं थोड़े से सशोधनों के साथ, उनमें एक कठिनाई यह होती है कि कितने और संशोधन लाये जा सकते हैं तो वह समय बच जायगा यदि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के सुझाव को स्वीकार कर लिया गया। इन शब्दों के साथ मैं आशा और अनुरोध करता हूं और माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करता हूं कि वह इस सुझाव को स्वीकार करें और इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजकर देखें कि इसमें जो खामियां हैं वह दूर की जा सकें।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्तुत पुनीत विधेयक के प्रति मैं स्वागत प्रगट करता हूं, मंत्री महोदय का आभार प्रगट करता हूं और इसका समर्थन करता हूं। यह पीड़ित आत्माओं के लिये एक संरक्षण दिया जा रहा है। बिल की जो वाह्य रूपरेखा मैंने देखी तो इसमें दो बातें मुझे ठीक नहीं जचीं। एक तो यह कि जब प्रस्तावना में कहा गया है कि उनके नियंत्रण और प्रशिक्षण के बारे में इसकी आवश्यकता है लेकिन जब बिल के पन्नों को मैंने देखा तो उनको प्रशिक्षित करने के संबंध में कोई विशेष बात नहीं दिखाई पड़ी।

[श्री रामजी सहाय]

इसी तरह से, श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि जब लाइसेंस की बात कही गई है तो लाइसेंस तो व्यक्तिगत लाभ के लिये ट्रेड के लिये किसी को दिया जाता है। इसके लिये तो शब्द, रिकॅगनाइज या मान्यता देने आदि की आवश्यकता थी। यदि ऐसा कोई शब्द रखा गया होता तो ज्यादा उपयुक्त होता। इसके ब्यौरे में मैं अधिक नहीं गया हूं लेकिन मैं देखता हूं कि इन संस्थाओं के जो संस्थापक होते हैं वह व्यापारिक ढंग से कार्य करते हैं। इसमें बहुत सी ऐसी स्त्रियां लगी हुई हैं जो अन्य स्त्रियों को फंसाकर लाती हैं। बहुत सी ऐसी स्त्रियां इन लोगों के पास होती हैं जो जाकर कुछ दिन रहकर मालमता लेकर फिर वापस चली जाती हैं। बहुत से, लड़कों को लाकर उनसे भीख मंगवाते हैं लेकिन सवाल यह है कि यह क्यों होता है। इनके व्यवस्थापक भी बड़े कुचक्री होते हैं, इनमें इस प्रकार का नियंत्रण आना चाहिये कि यह सपत्नीक हों। यदि विधुर हों तो ६० वर्ष से ऊपर की अवस्था के हों, और प्रामाणिक व्यक्ति हों, प्रोफेशनल व्यक्ति न हों। इसमें यह भी रखा गया है कि इसमें सदस्य सरकार मनोनीत करेगी और उसमें करीब करीब ५ महिलायें रहेंगी जो लगभग ५० प्रतिशत होंगी। यह सचमुच बड़ी अच्छी बात है।

यदि आप वैश्यालयों के आंकड़े देखेंगे तो आपको विदित होगा कि इनमें सवर्ण जाति की स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक मिलेगी इसलिये कि हमारे आज के समाज में उनको कोई अधिकार नहीं है। बाल विवाह होते हैं और विधवा विवाह को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। इन मान्यताओं का शिकार होकर वह जीवन से दुखित होकर निकलती हैं और घर से बाहर निकलने पर स्टेशनों पर, रास्तों पर तथा ट्रेन्स आदि में बहका ई जाती हैं और फिर वह पतित जीवन व्यतीत करने के लिये बाध्य हो जाती हैं। मनुष्य कोई बुरा नहीं होता है परन्तु जिस वायुमंडल में वह पड़ जाता है, वही हो जाता है। हमारे ऋषि वाल्मीकि डाकू थे, गोस्वामी तुलसीदास विकारी थे और गांधी जी भी शुरू में विकारी थे, लेकिन इनको अन्दर से कुछ ऐसी प्रेरणा मिली जिससे प्रेरित होकर वह संसार के पथ-प्रदर्शक बने। इसलिये ऐसे आदमियों में वह लोग भी हो सकते हैं जो संसार के पथ-प्रदर्शक हों। लेकिन जो समाज का ढांचा है, जो वायु मंडल है, उसमें आदमी को विवश किया जाता है कि मनुष्य लूट करके दौलतमंद हो जाय तो उसकी दान करने की क्षमता बढ़ जायगी; इस तरह के दृष्टिकोण से इस तरह की चीजें पैदा होती हैं। जहां समाजवादी ढांचा है वहां न वैश्यालय हैं और न इस तरह के आश्रमों की वहां आवश्यकता पड़ती है। आज हमें इस दृष्टि से विचार करना है कि हम क्या करें कि हमारे समाज में इस दिशा में सुधार हो। मैं केवलमात्र यह कह सकता हूं कि यह विधेयक उस कल्याणकारी भावना का एक प्रतीक, संकेतमात्र है, क्योंकि उसकी तरफ यह पहला कदम है।

यह तो सही है कि जब समाज में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन उसकी व्यवस्था में उसके आर्थिक दृष्टिकोण में होगा, तब जाकर यह चीज सम्भव हो सकेगी कि हम ऐसे लड़के लड़कियों या स्त्रियों को न पा सकें और इन आश्रमों की आवश्यकता न हो। लेकिन आज यह सही है कि जिन परिस्थितियों में हम हैं उसमें हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उस अवस्था में जितना भी कार्य हम इस विधेयक द्वारा कर सकते हैं उससे हमारा कार्य सरल होगा। वैसे तो मैं इसके बहुत ब्यौरे में नहीं जा सका और मैं नहीं जानता कि इसमें काफी संशोधनों की आवश्यकता होगी मगर मैं यह नहीं मानता, जैसा कि लोग कहते हैं, कि सरकार का अमुक चीज पर नियन्त्रण न हो। जब आप लोग कल्याणकारी सरकार की स्थापना करना चाहते हैं तो फिर उसके दायित्व को आप कैसे हटा सकते हैं? यह अधिकार नहीं है बल्कि यह उसका दायित्व है कि वह इस तरह की चीजों का नियन्त्रण करे। जबकि जनता के चुने हुये प्रतिनिधि एक जगह उपस्थित हो कर पूरी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसके बाद भी बार-बार यह कहना कि इसमें तो सरकारी पन है, उचित नहीं है। मैं दूसरे राज्यों का हवाला देना नहीं चाहता। हम तो एक पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के भीतर चल रहे हैं जिसमें हम मानते हैं कि एक सुसंगठित विरोधी तत्व भी होना चाहिये जो उसका नियन्त्रण कर सके। लेकिन इसके साथ-साथ हर व्यवस्था में जिन व्यक्तियों को ज्ञान न हो, सरकार की उसमें राय न हो वे अलग से आकर मिल जायं।

एक बात मैं नहीं समझ सका, जो इसमें यह कहा गया है कि सिविल सर्जन या इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स इसमें होंगे लेकिन वे केवल दर्शकमात्र हो रहेंगे, वे अपना मत देने के अधिकारी नहीं होंगे। मैंने गहराई से इसको नहीं देखा कि यह चीज कहां तक उपयुक्त होगी। लेकिन यदि आप एक व्यक्ति से यह कहते हैं कि वह अपने मत को व्यक्त करे तो उसके मत का एक असर भी होना चाहिये और मैं समझता हूं कि वह असर मतदान द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार उस संस्था पर एक प्रत्यक्ष स्थानीय नियंत्रण होगा। आप केवल मत व्यक्त करें और मत लिया न जाय और फिर वह संस्था एक तरह से निरंकुश पड़ी रहे; यह कहां तक उचित है? यह बहुत अच्छा है कि इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स, सिविल सर्जन या और अधिकारी जो जिले में हों वे अगर इसमें हों तो किसी हद तक उस संस्था का कार्य एक अच्छे रूप में चलने की सम्भावना है। इस दृष्टि से, श्रीमन्, मेरा अपना खयाल है कि इस बिल में वह भी अंग आना चाहिये। शायद वह अलग से आये और आया भी है शारदा ऐक्ट के रूप में, दूसरे रूप में, लेकिन वह इतना कारगर नहीं हुआ है। हमें इसको पूरा बनाने के लिये बाल विवाह को रोकने और जैसा मैंने कहा, विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने की भावना समाज में पैदा करनी होगी। ऐसा करने से हम अपनी माताओं और बहनों को इस पतित अवस्था में न पा सकेंगे। इस दृष्टि से मेरा यह निवेदन है कि यह बिल सचमुच आज की मांग के अनुरूप है और इन शब्दों से मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं चूंकि यह स्वयं अपने में अच्छा है। जहां तक इस प्रदेश की जनता का सम्बन्ध है, बहुत दिनों से उसका यह कहना था कि अनाथालयों और विधवालयों का प्रबन्ध अच्छा नहीं है, उनके जरिये स्वार्थी लोग अनाथों और महिलाओं का शोषण करते हैं। समाचारपत्रों में इस बात की बहुत बार चर्चा हो चुकी है, एकाध मुकदमे भी इस सिलसिले में चले, कई कांड हुये; तो ऐसे विधेयक के जिसकी मांग बहुत दिनों से थी स्वीकार किये जाने में और उसके लाये जाने में कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिये और इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं। बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि इस बात की जांच किये जाने की इतने दिनों तक प्रतीक्षा करने और कमेटी बैठाये जाने की आवश्यकता भी नहीं थी और कमेटी की रिपोर्ट के बाद इतने दिनों तक इस विधेयक के लिये प्रतीक्षा करने की तो कतई कोई आवश्यकता न थी। कमेटी में कोई ऐसी बात नहीं कही गई जो पहले से प्रदेश की जनता को न मालूम रही हो। जो बात जनता को मालूम थी कि हमारे प्रदेश के अनाथालयों और विधवालयों का संचालन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है और जैसा कि मुझसे पहले के वक्ता महोदय ने कहा कि बहुत से विधवाश्रम तो स्त्रियों को बेचते हैं और वहां उनको बुरे-बुरे कामों के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है। अनाथालयों में बालकों का दुरुपयोग किया जा रहा है और उनके साथ तरह-तरह के अनाचार और अन्याय होते हैं। उनका इस्तेमाल भीख मांगने के लिये किया जाता है, उन्हें एक बुरी आदत सिखायी जाती है, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जाती है, यह सब बातें सब लोगों को पहले से मालूम थीं और इस दृष्टि से यह विधेयक कई वर्ष पहले, कम से कम पांच-सात वर्ष पहले, यहां आ जाना चाहिये था और पास हो जाना चाहिये था।

एक बात मेरी समझ में नहीं आती और यह मैंने अभी हाल ही में विधेयकों के सम्बन्ध में देखा भी है कि जो विधेयक आवश्यक होते हैं उन्हें लाने में सरकार महीनों और वर्षों लगाती है। लेकिन जब एक बार सदन में ले आती है तब यह चाहती है कि वह न तो प्रवर समिति को सुपुर्द हो, न उस पर अच्छी तरह से विचार हो और जितनी जल्दी हो सके पास कर दिया जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार का यह रुख और उसकी यह नीति कहां तक ठीक है। कहावत तो यह है कि ऐक्ट इन हेस्ट ऐंड रिपेंट ऐट लेजर (Act in haste and repent at leisure)। आप जल्दबाजी में कोई कानून बना देते हैं और उसके बाद में उसके गलत परिणाम होते हैं और फिर बार-बार उनमें संशोधन लाये जाते हैं; तो यह अच्छी नीति नहीं है। उचित नीति यह है कि सदन को अवसर दिया

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

जाय कि जो विधेयक आवें उस पर अच्छी तरह से विचार हो, प्रवर समिति में उस पर विचार हो और आवश्यक संशोधनों को करने के बाद तभी पूर्ण विधेयक पारित किया जाय जिसमें गलती की कम से कम सम्भावना हो; यही जनतन्त्र के माने हैं। और अगर केवल यह माने होते हैं कि सरकार ने जो विधेयक बनाना तय कर लिया उसको सदन में ले आना और सदन को इस बात का अवसर भी न देना कि प्रवर समिति में उस पर विचार हो सके और अच्छी तरह से विवाद हो सके, तब मेरी समझ में नहीं आता कि इस सदन की आवश्यकता क्या है। तब तो अच्छा यह है कि मंत्रिमंडल की ओर से जो विधेयक बने उनके लिये कह दिया जाय कि यह विधेयक बन गया और यहां सदन में वाद विवाद की आवश्यकता नहीं रही और बहुत कुछ पैसा सरकार का बच जाय और जनता के ऊपर बोझ भी कम हो जाय। या तो जनतंत्र को स्वीकार करना है, अगर जनतंत्र की पद्धति में विश्वास करते हैं तो फिर जनतंत्र की भावनाओं का आदर होना चाहिये और उसके अनुकूल काम होना चाहिये और नहीं तो फिर केवल स्वांग करने से काम नहीं चलेगा। उसके लिये साफ-साफ कहना चाहिये कि हमें जनतंत्र की आवश्यकता नहीं है और इस सदन की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं यह जो संशोधन माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने पेश किया है उसका समर्थन करता हूं। यह आशा तो मैं नहीं करता, जैसा कि मेरा अबतक का अनुभव है कि यह सरकार इस प्रकार के किसी संशोधन को स्वीकार करेगी लेकिन मेरा जो कर्तव्य है इस सदन के सदस्य के नाते, उसका पालन मैं अवश्य करूंगा चाहे सरकार उसे स्वीकार करे या न करे।

यूं तो मैं अपने जीवन में ४० वर्ष से यह देखता रहा हूं कि जो बहुमत का पक्ष होता है, या इससे पहले जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, वह हम लोगों की, विरोधी दल की बातों को, सुझावों को, संशोधनों को स्वीकार नहीं करती थी। जब स्वर्गीय पं० मोती लाल नेहरू हमारे नेता थे तब भी स्वीकार नहीं करती थी और जब माननीय पं० गोविंद वल्लभ पंत यहां थे तब भी स्वीकार नहीं करती थी। तो उनकी ओर से हमारे सुझावों का स्वीकार न किया जाना और उनका अस्वीकार किया जाना एक मनोवृत्ति की बात है, वह मनोवृत्ति अब बढ़ गयी है लेकिन उसके कारण हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते और हम तो अपने सुझाव देते ही रहेंगे और इसी कर्तव्य-पालन हेतु मैं इसका समर्थन कर रहा हूं।

इसके सम्बन्ध में एक बात और कहनी है। समस्त समाज सुधारों के सम्बन्ध में, जन-कल्याण के सब कामों के सम्बन्ध में सरकार की नीति यह देखने में आयी है कि जैसा अंग्रेजी का एक फ्रेज है : विलिंग टु वूंड बट एफ्रेड टु स्ट्राइक (Willing to wound but afraid to strike); सरकार काम तो करना चाहती है लेकिन उस समस्या को हल करने के लिये जितना आगे जाना चाहिये साहस के साथ, इन ए बिग वे, विशाल ढंग से जैसा काम होना चाहिये उस तरह से काम करने के लिये वह तैयार नहीं होती। मैं दो एक उदाहरण इसके दे कर अपने इस कथन को समाप्त करूंगा और आगे बढ़ूंगा। वह उदाहरण इस सरकार की नीति क्या है इस बात को दिखलाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि मैंने इसी सदन में माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न किया था कि यह जो आगरा में व्यापार चल रहा है, खास कर नाबालिक महिलाओं से दुराचार किये जाने का, वेश्यावृत्ति कराये जाने का, उसको रोकने के लिये कम से कम वह जो कानून सप्रेशन आफ इम्मोरेल ट्रैफिक ऐक्ट है उस को लागू करने की कृपा करेंगे। सरकार की ओर से उसका जवाब दिया गया था कि उसको लागू करने में कठिनाइयां हैं, और कठिनाइयां दो प्रकार की बतायी गयीं। एक तो उनको रहने के लिये जब तक गृह न खोल दिये जायं तब तक उस को लागू करने से क्या लाभ होगा और दूसरे उस को लागू करने के लिये पुलिस आदि का विशेष प्रबंध करना पड़ेगा। उतने साधन सरकार के पास नहीं है। मेरा कहना माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि इस से बढ़ कर कलंक की बात किसी भी समाज के लिये, किसी भी सरकार के लिये, किसी भी सभ्य देश के लिये और किसी भी धर्म के लिये नहीं हो सकती

कि वहां की नाबालिक महिलाओं को विवश किया जाय, धूर्त व्यक्ति उनसे वेश्यावृत्ति करायें और इस दुराचार को रोकने के लिये सरकार तैयार न हो। उसको रोकने के लिये पैसा खर्च करने के लिये वह तैयार न हो, उसमें अपने को असमर्थ पाती हो, तो यह कहना ही पड़ेगा क विलिंग टू वूंड, बट ऐफ्रेड टु स्ट्राइक। इस विधेयक के सम्बन्ध में भी हम देखें, हां, मुझे एक बात और याद आ गयी। अभी दो चार दिन पहले मैंने समाचार पत्रों में यह पढ़ा था कि भिखारियों की समस्या को हल करने के लिये जो सरकार उपाय सोच रही है उसमें एक उपाय यह भी था कि वह पुअर हाउसेज खोले। भिखारियों को रखने के लिये वह कुछ प्रबंध करे। उसके लिये लखनऊ में एक पुअर हाउस बना भी था लेकिन उसको सरकार ने तोड़ दिया है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह उनके लिये इंतजाम कर सके। तो सरकार जन-कल्याण करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं होती है, केवल वह अपने लिये अधिकार लेने को, नियंत्रण करने को, हर समय तैयार रहती है। इस विधेयक के उद्देश्य को भी हम देखें तो उस से भी यही ध्वनि निकलती है यद्यपि मैं उसमें स्वयं कोई आपत्ति की बात नहीं पाता।

विधेयक की प्रस्तावना में कहा गया है "महिलाओं तथा बालकों की देख-रेख करने वाले अनाथालयों तथा अन्य संस्थाओं का श्रेष्ठतर नियंत्रण एवं निरीक्षण करना तथा उन संस्थाओं में रहने वालों की समुचित अभिरक्षा (custody) और देख-रेख और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आवश्यक है।" तो इस सम्बन्ध में सरकार अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है। इस विधेयक को देखने से मालूम पड़ेगा कि अधिकतर प्रयत्न इस बात का है कि जो संस्थायें हैं या आगे जो बनें वह नियंत्रण में आ जायं। सरकार के बनाये हुये ला (Law) के मुताबिक लाजिम हो कि वे उसके मुताबिक काम करें। यह जहां तक जाता है अच्छा है लेकिन क्या यह पर्याप्त है? यह सरकार सदन और जनता के सोचने की बात है और इसको इस पर विचार करना चाहिये।

इसके अलावा एक बात यह भी देखने की है कि सरकार ने जो यह प्रशासकीय बोर्ड बनाया है उसकी तरफ भी मैंने इशारा किया है कि सरकार की मनोवृत्ति अधिकार हड़पने की जितनी है उतनी जन कल्याण करने की कहीं भी इस विधेयक में प्रमाणित नहीं होती। उनका इरादा अच्छा है और हमको यह कहना पड़ता है कि हम उन इरादों का स्वागत करते हैं लेकिन स्वयं विधेयक में उन इरादों को पूरा करने के लिये जितना समुचित प्रबंध होना चाहिये उतना नहीं है। सिर्फ इरादे अच्छे होने से संसार का काम नहीं चल सकता। यह एक मशहूर कहावत है कि "रोड टु हैल इज पेव्ड विद गुड इन्टैन्शन" दोजख की सड़क यानी नरक का रास्ता भी अच्छे इरादे से बनता है। इन इरादों को पूरा करने का समुचित प्रबंध होना चाहिये यह मैं सरकार और सदन के सामने रखना चाहता हूं। सरकार की मनोवृत्ति की दशा उस रिपोर्ट के आधार पर जैसी हुयी है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। सरकार की तरफ से इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के अनाथालयों और विधवाश्रमों में सुधार सम्बन्धी प्रश्न पर जांच करने के लिये एक समिति की भी नियुक्ति की थी जिसने प्रदेश में वर्तमान संस्थाओं का सर्वेक्षण किया। यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उनमें से अधिकांश संस्थाओं का प्रबंध सन्तोष से परे है। उस समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं लेकिन उनमें से आप देखें कि सरकार ने कुछ सिफारिशें स्वीकार की हैं और कुछ सिफारिशों को नहीं माना है। तो उससे पता चलता है कि सरकार की मनोवत्ति क्या है। जो प्रशासकीय बोर्ड सरकार बनायेगी उसमें सरकार की ओर से, जैसा कि इस विधेयक में कहा गया है, सभापति राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त होगा। इसके दो सदस्य विधान सभा से चुने जायेंगे, एक सदस्य विधान परिषद् से चुना जायगा और १० सदस्य राज्य सरकार नियुक्त करेगी इत्यादि लेकिन रिपोर्ट में उसके बारे में यह है कि "दि कांस्टीट्यूशन आफ दि बोर्ड शुड बी एज अन्डर (The constitution of the Board should be as under)" यह पेज ७ पर रिपोर्ट में दिया हुआ है कि उसका बोर्ड किस प्रकार से हो।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

मैं इस विषय में अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। केवल दो बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रिपोर्ट में सिफारिश की गयी है कि इस सदन के चुने हुये तीन एम०एल०ए० होने चाहिये जिसमें एक महिला हो। यह तो उस समिति की सिफारिश है। अब सरकार की सिफारिश यह है कि तीन नहीं दो होंगे, यानी इस सदन के तीन प्रतिनिधियों के लिये जो सिफारिश की गयी है बोर्ड के लिये उस समिति के द्वारा उसमें केवल दो ही रह गये हैं जब कि समिति की सिफारिश यह है कि "फाइव अदर मेम्बर्स नोमिनेटेड बाई गवर्नमेंट" (five other members nominated by Government) लेकिन इस विधेयक में रखा गया है कि १० राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य होंगे। तो राज्य सरकार के नियुक्त सदस्य ५ के बजाय १० होंगे जब कि रिपोर्ट में ५ सदस्य कहा गया है। इस विधेयक में १० सदस्य सरकार ने कर दिये हैं। इस सदन में जिस सरकार का इतना भारी बहुमत हो उसका उसके प्रति इतना विश्वास भी नहीं है कि उसके तीन चुने हुये प्रतिनिधि रिपोर्ट के मुताबिक कम कर दिये गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, और आपके जरिये सरकार से भी क्षमा चाहूंगा और सदन के सदस्यों से भी क्षमा चाहूंगा यह कहने के लिये कि यह मनोवृत्ति क्या है, हम कहां जा रहे हैं, यह मनोवृत्ति किस प्रवृत्ति की द्योतक है। इस बात पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करें। इससे अधिक इस समय मुझे और कुछ नहीं कहना है।

इसी के सम्बन्ध में मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं कि इस विधेयक की धारा २७ में यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा दी गयी किसी आज्ञा से क्षुब्ध हो तो वह अनुज्ञप्ति के लिये दिये गये प्रार्थना पत्र की अस्वीकृति आज्ञा की प्राप्ति के दिनांक से एक मास के भीतर बोर्ड को अपील कर सकता है। लेकिन बोर्ड की आज्ञा अन्तिम होगी और उसकी अपील नहीं हो सकेगी। यह मेरी समझ में नहीं आता, मैं इस बात को अजनतांत्रिक समझता हूं, जनतंत्र की भावना और जनतंत्र की सफलता के लिये उसे घातक समझता हूं कि सरकार की मनोवृत्ति न तो इस विधान सभा, या विधान परिषद् या विधान मंडल की बात मानने की ओर है और न न्यायालयों की बात मानने की ओर है। वह अपने हाथ में ऐसे अधिकार लेना चाहती है जिससे उसकी आज्ञा के विरुद्ध कोई न्यायालय में न जा सके। बार-बार सरकार हर विधेयक में इस बात को क्यों रखती है कि बोर्ड की आज्ञा या सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड की आज्ञा के विरुद्ध कोई नहीं जा सकेगा, वह आज्ञा अन्तिम होगी, उसकी अपील नहीं हो सकेगी? मैं अभी तक इस बात को समझ नहीं पाया हूं। मैं मानता हूं कि व्यवहार में ऐसा होता है कि न्यायालयों में जो सुविधा होती है मुकदमे के लिये, अपील करने के लिये और रिवीजन के लिये उसके कारण कभी-कभी संस्थाओं के संरक्षण और प्रशासन में बाधा पड़ती है। तो क्या हम कोई ऐसा मार्ग बीच का नहीं निकाल सकते? मैं समझता हूं कि मार्ग निकाल सकते हैं जिसके जरिये ठीक ढंग से काम हो और न्यायालय का निर्णय ही अन्तिम हो, जो सरकार द्वारा स्थापित संस्थाओं के लिये भी मान्य हो और ये बातें ऐसी हैं जो बेसिक प्रिंसिपल (basic principle) से, मूल सिद्धांत से, फंडामेंटल सिद्धांत से जनतंत्र से सम्बन्ध रखती हैं। इसकी इतने हल्केपन के साथ उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये जितना कि सरकार द्वारा किया जा रहा है और इस विधेयक में किया गया है।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे अपने हठ को छोड़ कर, अपनी शान का सवाल छोड़ कर इस प्रस्ताव को मान लें। प्रवर-समिति के सुपुर्द होने से तो इतने बड़े विधेयक पर कई बातों के सम्बन्ध में विचार विनिमय हो सकता है जो आपस में बैठ कर तय किया जा सके। उससे सरकार को नहीं डरना चाहिये। अगर पन्द्रह दिन, महीने भर के लिये इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये प्रस्ताव जो माननीय मंत्री जी मान लें कि प्रवर समिति में बैठ कर इसे संशोधित कर लिया जाय तो मेरी समझ में न तो आसमान फट पड़ेगा, न ऐसा ही भय है कि यह धरती रसातल में चली जायगी। जो जहां है वहीं रहेगा और कोई हानि इससे नहीं होगी, लाभ होने की सम्भावना वहां पर है। तो जनतंत्र के नाम पर, जनतंत्र के लिये सरकार को इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) विधेयक, इस सदन में प्रस्तुत है, उसका मैं स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं और यह जो संशोधन श्री अवधेश प्रताप सिंह ने पेश किया है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय, उसका मैं विरोध करता हूं। मुझे खुशी है कि इस भवन के सभी साथियों ने, चाहे वे किसी भी दल के रहे हों, अब तक जो भाषण दिये, उन सब ने इस बिल का स्वागत किया। इससे इतना तो स्पष्ट है ही कि हमारे इस प्रदेश के सभी लोगों की यह इच्छा थी कि हमारे सूबे में जो महिला संस्थायें हैं, विधवाश्रम हैं या अनाथालय हैं या इससे संबंधित जो और संस्थायें हैं उनके ऊपर सरकार का किसी न किसी रूप में नियंत्रण होना चाहिये।

हम सब जानते हैं कि जिस समय भी कोई व्यक्ति या कोई सदस्य कोई संस्था चलाते हैं या खोलते हैं, चाहे वह एक व्यक्ति की हो या समाज की ओर से हो तो उस के पीछे बड़ी अच्छी भावनायें होती हैं और उसका ध्येय होता है कि समाज के अन्दर की खराबियों को दूर किया जाय और जो पीड़ित आत्मायें हैं उनके द्वारा हम उनको शांत और सुखी बनाना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि हमारे सभी साथियों ने बताया कि हमारे सूबे में और शायद अन्य स्थानों में भी ऐसी ही स्थिति होगी कि जो महिला आश्रम, विधवा आश्रम या अनाथालय आदि हैं उनकी दशा अत्यन्त शोचनीय है। इस सम्बन्ध में प्रादेशिक सरकार ने १९४८ में एक समिति बनायी थी और सन् ५४ में केन्द्रीय सरकार के सोशल वेलफेयर बोर्ड की ओर से भी एक समिति बनी थी और उन दोनों समितियों ने अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट पेश कीं और वह सरकार के सामने हैं और यह उचित ही हुआ कि उन्हीं के आधार पर सरकार ने यह विधेयक भवन में पेश किया है। मैं अपने साथियों से इस बात में सहमत हूं कि और भी अच्छा होता कि यह जो आवश्यक विधेयक है वह कुछ समय पहले ही यहां आ जाता। हम सब जानते हैं कि सरकार ने प्रदेश में बहुत से सामाजिक कार्य किये और सोशल वेलफेयर के सम्बन्ध में डेढ़ साल से एक माननीय मंत्री की नियुक्ति भी यहां हुयी और उसके बाद अब वह इस विधेयक को ला पाये हैं। हम सब जैसा कि हमारे साथियों ने बताया जानते हैं कि आज हमारे यहां विधवा आश्रम और अनाथालय आदि संस्थाओं की क्या स्थिति है और यह कहना सही होगा यदि मैं यह कहूं कि उन में से अधिकांश भ्रष्टाचार और व्यभिचार के केन्द्र हैं तो अतिशयोक्ति न होगी। यह तो मैं नहीं कहता कि जिन लोगों के हाथ में उनका इंतजाम है या जो उनके जिम्मेदार व्यक्ति हैं वह सभी भ्रष्ट हैं लेकिन अधिकतर उनमें से ऐसे हैं जो सोशल वेलफेयर आदि के कार्य का अनुभव नहीं रखते और उनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जो गलत तरीके से अपनी स्वार्थ सिद्धियों में लगे हुये हैं और पैसा कमाते हैं। कुछ ऐसी संस्थायें हैं कि जहां हमारी विधवाओं और पीड़ित महिलाओं के साथ हर प्रकार का भ्रष्टाचार और दूसरी बातें होती हैं। अनाथालयों में बच्चों को भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको कोई ऐसे काम वहां नहीं सिखाये जाते कि जिस से वह बड़े हो कर या वहां से बाहर आकर अपने पैर पर खड़े होने की क्षमता रख सकें। इन्हीं तमाम बातों को रोकने के लिये यह विधेयक पेश किया गया है।

माननीय पालीवाल जी ने बड़ी आपत्ति की। यहां तक तो उन्होंने सही बात कही कि अच्छा होता अगर सरकार इस विधेयक को जल्दी ले आती लेकिन उन्होंने इसी के साथ यह भी कहा कि सरकार की यह आदत है कि अच्छी-अच्छी चीजें जो होती हैं और जो आवश्यक विधेयक होते हैं उनको वह काफी देर में पेश करती है और उसके बाद जब दूसरों की मांग होती है कि उसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय तो उसकी ओर से उसका विरोध होता है। मुझे उन के यह दोनों आर्गूमेन्ट्स कुछ कन्ट्राडिक्टरी (contradictory) से दिखायी पड़े। वैसे मैंने तो शुरू ही में कहा कि अच्छा होता यदि यह बिल पहले ही आ जाता लेकिन अगर देर में ही आया है तो उसके ऊपर अब यह मांग करना कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय, इससे तो और समय लगेगा, यह उचित नहीं है। इसका एक कारण यह भी है कि हमारे आम चुनाव बहुत नजदीक आ रहे हैं और इस विधान सभा का जीवन भी अब बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। ऐसी हालत में यदि हमने ऐसे आवश्यक विधेयकों को भवन में बहस कर के यदि

[श्री नवलकिशोर]

पास न किया और सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया तो मुझे शक है कि उनमें से बहुत से इस विधान सभा के जीवन काल में पास नहीं हो सकेंगे। इसलिये भी मैं समझता हूं कि उनकी यह मांग कि इसको प्रवर समिति में भेज दें उचित नहीं है।

यह भी शायद आपत्ति की गयी कि इस विधेयक के अन्दर इस तरह का कोई प्राविजन नहीं है कि जो मौजूदा इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिये भी लाइसेंस लेना आवश्यक है। मैं तो समझता हूं जब मैंने इसको पढ़ा इसके अन्दर जो खंड ३३ है उसमें यही है कि तीन महीने के अन्दर जो भी हमारी मौजूदा संस्थायें हैं उनको लायसेंस ले लेना चाहिये।

एक साहब ने बतलाया कि बजाय लाइसेंस के अगर रिकगनीशन की बात होती तो ज्यादा अच्छी थी। मैं भी यही समझता हूं कि अगर इसमें शब्द रिकगनीशन होता तो वह ज्यादा अच्छा था क्योंकि लाइसेंस शब्द का प्रयोग ऐसी संस्थाओं के सम्बन्ध में मुझे भी कोई उचित नहीं दिखाई देता।

जैसा कि अवधेश प्रताप सिंह जी ने कहा कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट में सोशल वेलफेयर आफिसर्स हैं और उनका फर्ज है कि इस तरह की जो कमियां हैं या जो इन संस्थाओं के दोष हैं उनको तुरन्त ही देखना चाहिये और उनको ठीक करने और सुधारने की कोशिश करनी चाहिये न कि वे इस बात का इन्तजार करते रहें कि जब यह विधेयक पास होगा और उसके बाद वे इस पर कार्य करेंगे। यह उचित सी बात है और मैं समझता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर आफिसर्स हैं उनको शायद इस बात के सरकार से आदेश हैं कि जिन स्थानों में उनकी नियुक्ति हुयी है उनसे संबंधित जो-जो संस्थायें हैं इस किस्म की उनका असेसमेंट करें और वहां के जो फैक्ट्स एंड फीगर्स है उनको इकट्ठा करें और उसके बाद उस डेटा को गवर्नमेंट के पास भेजें। इस बिल के अन्दर जो बहुत सी कमियों का जिक्र किया गया उनको खत्म करने की कोशिश की गई है। इसमें इस बात का प्राविजन है कि जितनी भी संस्थायें हैं मौजूदा या जो आगे बनेंगी उनका वक्तन फवक्तन इंस्पेक्शन हुआ करे। उनके जो एकाउन्ट्स हैं, वहां का जो मैनेजमेंट है या जो प्रबंधक है उन पर यह अनिवार्य होगा कि वह उन एकाउन्ट्स का आडिट करायें और आडिटेड एकाउन्ट्स की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास भेजें।

निरीक्षण की बात मैंने आपको बतलायी, इसमें यह भी है कि संस्थाओं में जो कर्मचारी होंगे वे जहां तक संभव होगा सोशल वेलफेयर में ट्रेंड व्यक्ति होंगे और उन्हीं की नियुक्तियां की जायंगी। उससे यह फायदा होगा कि उनका अनुभव और जो शिक्षा है उससे उन संस्थाओं को पर्याप्त मात्रा में लाभ पहुंचेगा।

दो बातों की तरफ और ध्यान आकर्षित कराया गया। एक बेगर्स होम, दूसरे वेश्यालय। मैं समझता हूं कि बहुत उचित बात कही गयी। मैंने भी इस बात की कोशिश की कि इस विधेयक के अन्दर अगर कहीं बेगर्स होम की बात आ जाती तो अच्छा होता लेकिन मैंने देखा कि इसका जो स्कोप है वह सीमित कर दिया गया है सिर्फ महिलाओं की संस्थाओं और बाल संस्थाओं तक। लेकिन बेगर्स की जो बात कही गयी वह बहुत ही उचित है क्योंकि बेगर्स की समस्या हमारे प्रदेश के अन्दर एक बहुत बड़ी समस्या है और समस्या ही नहीं यह हम सब के लिये शर्म की बात है कि अगर बेगर्स की संख्या हमारे प्रदेश के अन्दर बढ़ती है क्योंकि उससे स्पष्ट होता है कि हमारे आर्थिक ढांचे में कहीं न कहीं कमी है। हम आर्थिक स्तर ऊंचा होने की बात कितनी ही क्यों न करें। अगर भिखारियों की समस्या हल नहीं होती तो हमको मान लेना चाहिये कि आर्थिक उन्नति की जितनी हम आशा करते थे, उतनी हम कर नहीं पा रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि हमारे इस प्रदेश में वेश्यावृत्ति बढ़ रही है। इसकी बाबत मुझे कोई विशेष ज्ञान नहीं है। कोई आंकड़े हमारे पास इस वक्त ऐसे नहीं हैं जिनको कहा जा सके कि यह बात सही है या गलत है। लेकिन बढ़ रही हो या न बढ़ रही हो जिस स्थिति में भी हो वह हमारे प्रदेश से खत्म होनी चाहिये और जो इस तरह की बहिनें हैं जो किसी कारणवश

या आर्थिक कठिनाइयों के वश पतित हो चुकी हैं उनको भी फिर से रिहैबिलिटेट किया जाय। उस पर भी सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिये और जहां तक मुझको मालूमात हैं सोशल वेलफेयर बोर्ड जो आपके यहां बना है उसके अन्तर्गत इस तरफ भी उन्होंने कुछ कदम उठाये हैं। एक बहुत बड़ी आपत्ति पालीवाल जी ने इस बात की की कि वह इस बात को देखते चले आ रहे हैं कि सरकार की मनोवृत्ति यह है कि बजाय इसके कि जनकल्याण की बात को सोचे सत्ता हथियाने की बात को ज्यादा सोचती है। हो सकता है हमारे उनके ऐप्रोच में अन्तर हो और अन्तर है ही ....

श्री रामसुभग वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है सदन में।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री नवल किशोर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि पालीवाल जी कहते हैं कि सरकार सत्ता हथियाने की बात ज्यादा सोचती है और कोशिश करती है और उसका उन्होंने सबसे बड़ा उदाहरण दिया कि जो स्टेट ऐडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड बनने जा रहा है उसका जो निर्माण होगा उसके विषय में उन्होंने बताया कि जो रिपोर्ट यू० पी० आर्फनेज और विडोज होम कमेटी की है उसमें जो उन्होंने सिफारिश की थी जिस तरह के बोर्ड बनाने की यह जो मौजूदा बोर्ड है उससे भिन्न है और उनको ऐसा महसूस हुआ कि इसमें सरकार ने शक्ति को ज्यादा हथियाने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि यदि विरोधी पक्ष की तरफ बैठने के माने यह हों कि विरोध करने की बात होनी ही चाहिये तो दूसरी बात है लेकिन यदि दोनों बोर्ड्स को देखा जाय, जो उनका निर्माण है उस कमेटी की रिपोर्ट में और जो इस विधेयक में है तो मेरा निश्चित विश्वास है कि इस विधेयक के अन्दर जो बोर्ड का निर्माण किया गया है वह ज्यादा डेमोक्रेटिक है, ज्यादा प्रजातांत्रिक है और ज्यादा अच्छा है।

आपकी आज्ञा से मैं बताऊं कि दोनों बोर्ड्स के अन्दर १५, १५ मेम्बर्स होंगे। इतनी बात तो दोनों में कामन (common) है। यह जो रिपोर्ट है यू० पी० आर्फनेज और विडोज़ होम कमेटी (U. P. Orphanage and Widows Home Committee) की उसमें जो सिफारिश बोर्ड की है उसमें यह है कि मुख्य मंत्री इसके चेयरमैन होंगे। एक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी उसका वाइस प्रेसीडेंट होगा, तीन एम०एल०एज० होंगे, एक एम० एल० सी० और ५ दूसरे मेम्बर्स जिनको कि गवर्नमेंट नामिनेट करेगी और उसके बाद एक डायरेक्टर आफ मेडिकल हेल्थ, एक डायरेक्टर आफ एजूकेशन होगा, डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज होगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर आफ एजूकेशन होगा। यह जो मौजूदा बोर्ड है मान्यवर, इसमें चेयरमैन गवर्नमेंट नामिनेट करे। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी इस बोर्ड के अन्दर नहीं है। इसके बाद इतना जरूर है कि बजाय तीन मेम्बर्स असेम्बली के दो मेम्बर्स रखे गये हैं। काउन्सिल का इसमें भी एक सदस्य दिया हुआ है। उसके बाद १० मेम्बर्स हैं जो गवर्नमेंट से अप्वाइन्ट होंगे और उसके बाद डायरेक्टर आफ सोशल वेलफेयर भी होंगे। तो तुमने इसमें से ४ गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को कम किया, एक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को कम किया। इस बिल में बजाय ५ के १०की तादाद की उन लोगों की जो कि सामाजिक क्षेत्र के अन्दर विभिन्न क्षेत्रों में अपना कार्य करते हैं, जिनको उसका अनुभव है, उनमें से गवर्नमेंट नौमीनेट करेगी। तो मैं समझता हूं कि अगर हम उसी बोर्ड को बना देते तो पालीवाल जी को कहने का मौका यह था एक मिनिस्टर, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और ४ डायरेक्टर्स, ६ तो गवर्नमेंट के व्यक्ति रख लिये। तो उस मानी में गवर्नमेंट का अंकुश उस बोर्ड के ऊपर ज्यादा होता बजाय अब जो नया बोर्ड है और जो दस आदमी गवर्नमेंट मनोनीत करेगी।

यह दूसरी बात है कि पालीवाल जी को गवर्नमेंट पर विश्वास न हो और सही बात है यदि उनको गवर्नमेंट पर विश्वास होता तो वह बजाय उस तरफ बैठने के इस तरफ बैठे होते, तो यह दूसरी बात है। लेकिन गवर्नमेंट हमेशा ऐसे ही आदमियों को नामिनेट करेगी जो गलत आदमी होंगे, यह कहना उचित नहीं है। यह तो बोर्ड बनने के बाद ही इस बात के कहने

[श्री नवल किशोर]

का मौका है। तो वह कोई भी एग्जाम्पुल दे दें इस बात की गवर्नमेंट सत्ता हथियाने की कोशिश करती है। अगर यह आपने जो उदाहरण दिया वह आपका जो कथन है वह उसके सपोर्ट में बैठा नहीं। यह तो दूसरी बात है कि तुक लगे या न लगे बात आपने कह दी। मैं ज्यादा उन बातों में जाना नहीं चाहता। यह बात वह भी मानते हैं और सभी ने मानी है कि यह एक बहुत अच्छा बिल है। कमियां इस बिल में भी होंगी, हो सकती हैं। कोई भी बिल बनाया जाय चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न बनाया जाय फिर भी उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह पूर्ण या परफेक्ट होगा। यह मैं नहीं मानता, कमियां सब में हो सकती हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है और मैं आपके जरिये उनसे निवदन करना चाहता हूं कि यह जो उनका संशोधन है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय, इसको वह वापस ले लें। जैसा मैंने पहले भी कहा था आपके पास समय बहुत कम है और यदि आप समझते हैं कि यह बिल अच्छा है तो इसको जल्द से जल्द पास कर देना चाहिये। मैं तो यह समझता हूं कि यह एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है और हमारी सरकार की जो समाज कल्याण की नीति है उसके लिये इससे एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा, सहायता मिलेगी शक्ति मिलेगी और मुझे आशा है कि इससे हमारे इस प्रदेश का कार्य और भी ज्यादा तेजी से होगा। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी को इस विधेयक के लिये बधाई देता हूं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सदन के सामने प्रस्तुत है इसका मैं भी स्वागत और समर्थन करता हूं। जो विधवाश्रम और अनाथालयों के सम्बन्ध में इस राज्य द्वारा बिठाई गयी कमेटी और केन्द्र द्वारा बिठाई गयी कमेटी ने रिवेलेशंस किये हैं उनको पढ़कर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उससे यही प्रतीत होता है कि यह विधवाश्रम और अनाथालय दुखियों को त्राण देने के बजाय व्यभिचार और कुत्सित व्यवसाय के केन्द्र बने हुये हैं। उसके बाद जो वहां पर यह सब बुराइयां पैदा हुयी हैं उनको दूर करने के लिये यह बिल लाया गया है। लेकिन वास्तविक बात यह है कि यह एक ऐसा बिल है कि जिसमें केवल ढांचा ही ढांचा है। इसके नियम जो होंगे वह मैं समझता हूं इस बिल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होंगे। जब तक वह नियम हमारे सामने नहीं आते तब तक तो हम यह कहने में असमर्थ हैं कि वास्तव में आगे की रूपरेखा क्या होने वाली है। कुछ नियंत्रण और अधिकार इस बिल में अवश्य लाये गये हैं लेकिन धन की व्यवस्था की बात जिस प्रकार संस्थाओं की आमदनी होगी उसके बारे में गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, इसका इसमें संकेत नहीं मिलता क्योंकि जो बोर्ड के फंक्शंस इसमें दिये हुये हैं उसमें जो स्थानीय विधवाश्रम या अनाथालय खुले हुये हैं उनके लिये अधिक सहायता का क्या प्रबंध है इसका कोई संकेत नहीं मिलता। शायद मैं समझता हूं बोर्ड को उसका अधिकार भी नहीं है क्योंकि इसमें जो बोर्ड को अधिकार दिये गये हैं वह केवल निरीक्षण, संचालन तथा नियंत्रण के अधिकार दिये गये हैं। वह कोई अपनी तरफ से कोई आदर्श संस्था इस तरह की स्थापित कर सकेंगे अथवा जो संस्थायें स्थापित हैं उनके प्रबंध में परिवर्तन कर के उनको सहायता दे सकेंगे, कहां तक दे सकेंगे या उसके लिये वह सरकार से सिफारिश करेंगे यह इसमें साफ नहीं है। मैं समझता हूं कि बोर्ड के सम्बन्ध में जो इसमें है कि वह केवल बोर्ड के ही द्वारा जो खर्चा होगा उसके लिये ही होगा बल्कि सहायता पाने का अर्थ नहीं होगा, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह इसमें स्पष्ट नहीं है।

जब उन रिपोर्टों को पढ़ने के बाद हम इस बिल को पढ़ते हैं तो जहां पर हमें यह प्रसन्नता होती है कि इस ओर एक कदम उठाया जा रहा है वहां पर कुछ सन्तोष नहीं होता, तबियत नहीं भरती कि वाकई जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिये प्रभावशाली होगा क्या शर्तें इन संस्थाओं पर लगायी जायगी, किस तरह से उनका पालन होगा? नियम जो बनेंगे वह कहां तक पूरे हो सकें? क्योंकि जैसा मैंने कहा अगर रुपये का प्रबंध नहीं हो सकता है तो कितनी ही संस्थायें बन्द होंगी, उनका क्या होगा, उनमें जो लोग रह रहे हैं उनको कहां भेजा जायगा या जैसी व्यवस्था चल रही है चलने दी जायगी? इसलिये मैं चाहता था कि इसके जो नियम

बनें उनके सम्बन्ध में बहुत कुछ कार्यान्वित करने से पहले सदन की मेज पर रखें तो शायद सदन उनमें ज्यादा अच्छा सुझाव दे सके।

जो प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव आया, उसका तो मैं विरोध इसलिये करता हूं कि मैंने अमेंडमेंट जितने देखे उनमें कोई महत्वपूर्ण अमेंडमेंट ऐसा नहीं मालूम हुआ कि जिसके लिये यह प्रवर समिति में जाने की जरूरत हो और मैं स्वय जैसा कि कह चुका हूं इसके नियम जो हैं वह इस बिल से ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इस वजह से इस स्टेज पर तो इसमें देर नहीं होनी चाहिये।

इसी प्रकार इसमें एक बात जिसकी ओर जो मेरे मित्र माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने ध्यान आकर्षित किया कि इस बिल में जो पुरानी संस्थायें हैं उनको अगर लाइसेंसिंग अथारिटी ने लाइसेंस किसी कारण नहीं दिया तो उनको अपील का अधिकार क्यों नहीं दिया गया है, यह समझ में बात नहीं आयी। नये आदमियों को तो अधिकार दिया गया है, लेकिन जो पुरानी स्थापित संस्था हैं उनको भी अपील का अधिकार होना ही चाहिये। मैं यह नहीं जानता कि जो मैनेजमेंट में परिवर्तन करने की बात है, वह जहां पर कि ट्रस्ट बने हुये हैं और उनके अन्तर्गत मैनेजमेंट का निर्माण हुआ है तो किस तरह से गवर्नमेंट का यह अधिकार उससे मेल खायेगा, यह भी इसमें विचारने की बात है। कहीं पर उसके प्रबंध के संबंध में ट्रस्ट में ही उसके लिये प्राविजन होता है और अगर सरकार उसमें परिवर्तन करना चाहेगी तो ट्रस्ट के जो प्राविजन्स हैं उनके विपरीत यह पड़ेगा। ऐसी दशा में क्या होगा? व्यक्ति विशेष को निकालने की बात तो दूसरी है लेकिन संस्थाओं के विधान परिवर्तन करने में शायद कुछ अड़चन आवे। इस कारण मैं जो मूल प्रस्ताव है, उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इसके नियमों पर विशेष रूप से ध्यान देगी और उनको सदन के सामने समय से रखेगी।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक जिस महान् समस्या से सम्बन्ध रखता है वह समस्या हमारे प्रदेश की और देश की विभीषिका है और बहुत समय से इस बात की आवश्यकता चली आ रही है कि इस क्षेत्र की ओर हम सबकी दृष्टि जाय और हम विधानतः इस समस्या के हल का कोई उपाय निकाल सकें। अब तक यह समस्या केवल सामाजिक क्षेत्र के चर्चा का संगठन का विषय रही है, लेकिन जब व्यक्तिगत संस्थाओं ने और समाज-सुधारक संस्थाओं ने जो इस सम्बन्ध में कदम उठाया और जो प्रयत्न किये उन प्रयत्नों में कुछ दोष दृष्टिगत होने लगे तभी इस बात की आवश्यकता हुई कि इस पर नियंत्रण रखने वाली सामाजिक संस्थाओं पर भी कानूनन कोई नियन्त्रण रखा जाय। जहां तक इस विधेयक के उद्देश्य का संबंध है, उससे हम सभी लोग सहमत हैं। यह समस्या अपने उद्देश्यों को देखते हुये जितनी महान् है, उन सब की तरफ इस विधेयक की धारायें हमें नहीं ले जाती हैं। आखिर आज हमें यह भी ज्ञात नहीं है कि इस प्रदेश में कितनी संस्थायें हैं जो विधवा आश्रम या बाल संरक्षण का कार्य कर रही हैं। मैंने चेष्टा की कि मुझे इस प्रकार की संस्थाओं की संख्या प्राप्त हो सके लेकिन मुझे कोई संख्या मालूम नहीं हो सकी।

आज जो भी इस तरह की संस्थायें हैं उन को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक तो वह जो आर्य समाज, सनातन धर्म की महासभा, शिया एसोसियेशन या सुन्नी एसोसियेशन से सम्बन्ध रखती हैं। इस प्रकार के संगठनों का तो एक अखिल भारतीय स्वरूप है और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं। उनका कार्य दान और चेरीटेबिल एंडाउमेंट्स के आधार पर चलता है। दूसरी इस तरह की संस्थायें हैं जिनका कोई अखिल भारतीय स्वरूप नहीं है। जो केवल अपने नगर या विशेष क्षेत्र के कुछ सामाजिक सुधारकों की तरफ से या स्वार्थ सिद्ध करने वाले व्यक्तियों की ओर से स्थानीय रूप से खड़ी कर ली गई हैं और उनका कार्य चल रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इन दोनों प्रकार की संस्थाओं को हमें विभिन्न दृष्टिकोण से देखना होगा। जो संस्थायें आर्य समाज, शिया तथा सुन्नी ऐसोसियेशन आदि से सम्बन्ध रखती हैं, उनके प्रति कानून बनाते समय हमारा दूसरा दृष्टिकोण होना चाहिये क्योंकि आर्य समाज जैसी संस्था के अन्तर्गत चलने वाले किसी विधवा आश्रम में किसी स्थानीय कार्यकर्ता की गलती से कोई दोष पाया जाता है तो उसके लिये विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे विचार से आर्य समाज या इस प्रकार की विभिन्न संस्थाओं द्वारा विधवा आश्रम या अनाथालय आदि चलाये जा रहे हैं, उनमें कानून से हम अधिक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और कानून की मर्यादा के द्वारा या बोर्ड की स्थापना द्वारा हम अधिक सुधार नहीं कर पायेंगे। उसके लिये और अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता होगी। यह तो इन संस्थाओं के अध्यक्षों तथा प्रमुख कार्यकर्ताओं के स्वतः कार्यकलाप से सुधार हो सकता है। क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा इस तरह का कोई अधिकार हम इस बोर्ड को नहीं दे रहे हैं कि जिस तरह से म्युनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सुपरसीड हो सकते हैं, उसी तरह से इनके कार्य में दोष पाने पर बोर्ड स्वयं इनको चलाये। मैं चाहूंगा कि ऐसी स्थानीय संस्थायें जिनका कार्य विकृत हो गया है या केवल स्वार्थ सिद्धि के लिये विधवा आश्रम आदि चला रही हैं उनको कुछ समय के लिये बोर्ड अपने हाथ में ले ले तो उचित होगा और बोर्ड इस दायित्व को स्वीकार करे कि जो विधवा या बालक इनमें हों, उनका संरक्षण भी अपने हाथ में ले। मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि मैं यह उन संस्थाओं के लिये नहीं कह रहा हूं जिनका सम्बन्ध आर्य-समाज ऐसी संस्थाओं से है या किसी रेकगनाइज्ड संस्था से है या किसी बड़े संगठन से है। यह बात केवल ऐसी संस्थाओं के लिये लागू होगी जिनका केवल स्थानीय दृष्टिकोण है और जिनका स्वरूप संगठन के उद्देश्यों से विकृत हो चुका है। आप यह देखेंगे, श्रीमन्, कि इस समस्या का सामाधान, जैसा कि आर्फनेज कमेटी रिपोर्ट में भी कहा गया, केवल इतने से ही होने वाला नहीं है कि हम जो इस समय संस्थायें बनी हुई हैं उनका नियंत्रण कर लें या कोई बोर्ड बना दें। विधवाओं की अगर आप संख्या देखें कि इस प्रदेश में कितनी विधवायें हैं तो उस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार १९४१ की जनगणना के आधार पर विधवाओं का प्रतिशत पूरी महिलाओं की जन संख्या में १५ और १ का था। यानी १५ महिलाओं के पीछे एक महिला इस प्रदेश में विधवा थी। और जो सन् १९५१ की सेन्सस रिपोर्ट है उसके आधार पर एक हजार महिलाओं के पीछे १२० महिलायें विधवा हैं। तो जब १,००० के पीछे १२० महिलायें विधवा हैं इस प्रदेश में तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर हम इस समस्या का सर्वांगीण दृष्टि-कोण से मूल्यांकन करें तो इसका कितना बड़ा स्वरूप हमारे सामने आता है, यह विचारणीय बात है। विधवा विवाह या बाल विवाह, ये सामाजिक अच्छाइयों या कुरीतियों के मूल सिद्धान्त हैं। उनके ऊपर मैं जाना नहीं चाहता। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार का दायित्व केवल इतना ही नहीं है कि जो वर्तमान संस्थायें हैं उनका नियन्त्रण कर दे बल्कि आव-श्यकता इस बात की है कि सरकार अधिक से अधिक आर्थिक क्षमता के अनुसार आदर्श संस्थायें स्वयं खोले। आदर्श विधवाश्रम, आदर्श अनाथालय, आदर्श बाल संरक्षण गृह, ये स्वयं सरकार के खोलने का दायित्व है।

आप यह देखेंगे कि इस कमेटी की रिपोर्ट में जिसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने अपने उद्देश्य और कारण में किया है, इस बात की सिफारिश की गई है कि इलाहाबाद, कानपुर, बनारस और देहरादून, इलाहाबाद में विधवाओं के लिये जिसमें १५० विधवाओं के लिये स्थान हो कानपुर में बच्चों के लिये जिसमें २५० अनाथ लड़कों के लिये स्थान हो, बनारस में १५० बच्चों और देहरादून में एक चिल्ड्रेन्स होम जिसमें अनाथों के लिये एक सेनेटोरियम भी हो, इस प्रकार के चार माडेल इन्स्टीट्यूशन्स खोले जायं। तो इस प्रकार की परिकल्पना स्वयं उस कमेटी की रिपोर्ट में रखी है। यह बात अवश्य है कि जो योजना हमारे सामने प्रस्तावित है उसमें एक आध चिल्ड्रेन्स होम का जिक्र पाते हैं, लेकिन अगर हम सन् ५१ की पुरानी रिपोर्ट को लें तो उस में भी चार माडल इन्स्टीट्यूशन्स की व्यवस्था बतलायी गयी है जब कि कोई

समाज कल्याण विभाग नहीं था, इसके लिये कोई अलग मिनिस्ट्री नहीं थी और इस प्रकार का कोई प्लानिंग का दृष्टिकोण नहीं था। तो आवश्यकता इस बात की है कि कम से कम हर डिवीजन में इस प्रकार के माडेल इंस्टीट्यूशन्स (Model Institutions) अवश्य हो जाने चाहिये। जब तक इस प्रकार की आदर्श संस्थायें स्थापित नहीं की जायंगी तब तक कोई विशेष सफलता मिलने की सम्भावना नहीं है। ये माडल इंस्टीट्यूशन्स बोर्ड के मातहत होने चाहिये। सरकार इन्हें स्थापित कर सरकारी विभाग की ओर से न चलाये बल्कि उनके संचालन का अधिकार बोर्ड के हाथ में हो। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो इस प्रकार के अनाथालय या विधवा आश्रम वगैरह बनाये जायं उनको बिलकुल सरकारी विभाग की ओर से चलाया जाय। हम तो यह चाहेंगे कि बोर्ड को संरक्षण के संचालन के दायित्व का अधिकार हो। आप देखेंगे कि समाज कल्याण के डाइरेक्टर इस बोर्ड के सेक्रेटरी होंगे या उसके कोई नामजद सदस्य सेक्रेटरी होंगे और काफी सीमा तक सरकार का प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा। तो इस लिये जो इस प्रकार की आदर्श संस्थायें स्थापित की जायं उनका नियंत्रण भी बोर्ड के ही हाथ में होना चाहिये।

हम दूसरे देशों में देखते हैं तो वहां यह कार्य सरकार नहीं करती बल्कि गैरसरकारी संस्थायें करती हैं। आप इंग्लैंड को लीजिये या अमेरिका की इंस्टीट्यूशन्स को लीजिये, वहां के चेरिटी होम्स को लीजिये तो वहां पर इनका नियंत्रण सरकार नहीं करती। जो वहां पर कानून बने हुये हैं उनके अनुसार इनका संचालन और अर्थ व्यवस्था का अधिकार वहां की स्थानीय संस्थाओं को है। लेकिन यहां अभी इस ओर कोई भी चेष्टा नहीं की गई है और अगर हुई भी है तो केवल नाम मात्र और हमने इस बारे में स्थानीय संस्थाओं को बिलकुल छोड़ दिया है। मैं तो यहां यह भी विचार रखने को प्रस्तुत हूं कि हम यह सोचें जहां कहीं भी इस प्रकार की डिस्ट्रिक्ट कमेटियां इस कार्य संचालन के लिये हों तो यहां पर जितने भी स्थानीय प्राधिकारी हैं उनका उसमें पूरा प्रतिनिधित्व होना चाहिये। हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में यह है। उसकी धारा ९१ (सी) आप देखिये। उसमें लिखा हुआ है कि हर एक बोर्ड अपने यहां अनाथालयों और पुअर हाउसेज का एस्टेब्लिशमेंट और मैनेजमेंट का काम करेगा। एक डिस्क्रीशनरी फंक्शन दिया हुआ है। लेकिन अभी तक यू० पी० के किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने इस ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनकी आर्थिक दिक्कतें हैं। इसके लिये समाज कल्याण मंत्रालय यह कर सकता है कि अगर वह स्वतः न करना चाहे तो उनको इस बात की ग्रान्ट दे दे जिससे वह अनाथालय खोलें, उनका नियंत्रण कर सकें और उनकी सुरक्षा कर सकें।

हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में प्राविजन मौजूद है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। इससे सिद्ध होता है और मैं इस सम्बन्ध में शम्भूनाथ जी से पूर्णतया सहमत हूं कि इन संस्थाओं के सामने जो कमी आती है वह आर्थिक है। इसलिये सरकार को आज घोषित करना चाहिये था कि वह इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है। इस विधेयक की धारा ४२ में यह घोषित किया गया है कि "किसी अनुज्ञप्त संस्था या प्रबन्धक संस्था में भर्ती की गयी प्रत्येक महिला अथवा बालक को तब तक शिक्षा देने, प्रशिक्षण (Training) देने, संस्था में रखने, वस्त्र देने तथा खिलाने-पिलाने को बाध्य होगा, जब तक कि महिला का पुनर्वास नहीं किया जाता, अथवा बालक १८ वर्ष की वय नहीं प्राप्त कर लेता, अथवा जब तक कि वे संस्था से हटा नहीं लिये जाते, अथवा संस्था समाप्त नहीं हो जाती।" तो सरकार को जिम्मेदारी इसकी लेनी चाहिये थी कि अगर कोई प्रबन्धक इस खंड ४२ की शर्तों को नहीं मानेगा और इस बात का दायित्व ग्रहण नहीं करेगा कि वह प्रत्येक शरण में आयी महिला अथवा बालक को शिक्षा देने, प्रशिक्षण देने, ट्रेनिंग देने, खिलाने-पिलाने तथा वस्त्र आदि देने के लिये तैयार होगा जब तक कि वह १८ वर्ष का न हो जाय या उसका पुनर्वास न हो जाय तो फिर सरकार उसको ग्रांट देगी और इसका दायित्व सरकार अपने ऊपर ले लेगी। लेकिन सरकार ने घोषणा नहीं की। तो मैं इस सम्बन्ध में माननीय शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी से सहमत हूं कि हमें इस बात की घोषणा करनी होगी कि जितने भी आज इस राज्य में अनाथालय हैं या विधवाश्रम हैं उनमें रहने वाले व्यक्तियों को यदि किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं मिल रही है इसलिये कि पैसा नहीं है उस के

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

प्रबन्धकों के पास, केवल उनको खाना मिल जाता है लेकिन वह शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, तो यह हमारा दायित्व है कि हम उनकी इस कमी को पूरा करने के लिये उनको पूरी-पूरी आर्थिक सहायता दें और इस आर्थिक सहायता की घोषणा करें। आज बहुत से अनाथालयों में क्या होता है कि लड़कों को हारमोनियम दे दिया जाता है कि वे अनाथालय के लिये जा कर चन्दा वसूल करें। उन लड़कों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। ट्रेन में हम कई बार ऐसे लड़कों को देखते हैं। तो यह बड़ी भारी आर्थिक समस्या है जिसको हमको हल करना है।

इसके साथ ही साथ मुझे तो इस विधेयक को दूसरी दृष्टि से देखने पर एक भय-प्रतीत होता है कि इसका सम्बन्ध एक माने में चैरिटेबिल इंडाउमेंट ऐक्ट से भी है और इस ओर इस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इशारा किया है। कमेटी की रिपोर्ट में पेज सात में कहा गया है कि :—

"With the Zamindari abolition impending and the compensation proposed to be paid in cash, it would be worth while to consider that the fate of that compensation would be in the hands of those who now man those maths, temples and akharas and endowments. It would be for the Government to consider whether or not it is desirable to bring in legislation of some kind by providing control over such funds that might otherwise be wasted away. The Committee would recommend that the Government might consider it necessary to bring as early as possible a bill to regulate these and similar charities so that the property held by them is not wasted, misappropriated or otherwise dissipated.

यानी बहुत से चैरिटेबिल इंडाउमेन्ट्स ऐसे हैं कि जिनका धन बहुत सी मदों में बंटा रहता है, कुछ मंदिरों की रक्षा के लिये, कुछ किसी विशेष धर्मादे के लिये, कुछ विधवाआश्रम के लिये और कुछ किसी और काम के लिये होता है। चैरिटेबिल इंडाउमेंट ऐक्ट जो हम बना रहे हैं वह पब्लिक ओपीनियन के लिये घूम रहा है। उसका स्वरूप हमारे सामने नहीं है, लेकिन इस विधेयक से उसका गहरा संबंध है। इसी प्रकार इस विधेयक की धारा ३ में आप देखें। उसमें लिखा हुआ है कि इस विधेयक की धारायें किसी दूसरे विधेयक की धाराओं के प्रतिकूल नहीं जायेंगी, उसी के साथ-साथ चलेंगी और किसी को रिपील नहीं करेंगी। इसमें लिखा है कि "इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी संस्थाओं से, जिनके सम्बन्ध में यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, संबद्ध अथवा उन पर प्रभाव डालने वाले अन्य किसी विधायन के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके प्रतिकूल, सिवाय उन स्थिति के जब कि वे उपबन्ध स्पष्टरूप से इस अधिनियम द्वारा निरस्त (repeal) होते हों।" इसका अर्थ यह है कि जितने ऐक्ट इस समय इन संस्थाओं के बारे में, प्रबन्ध समितियों के बारे में, ट्रस्ट के बारे में, विधवा आश्रमों के बारे में बने हुए हैं वह सब लागू रहेंगे और यह भी लागू रहेगा।

जहां तक रिपील होने का ताल्लुक है यह विधेयक किसी दूसरे ऐक्ट की किसी धारा को रिपील नहीं करता। इसमें कोई ऐसी धारा नहीं है कि जिस में किसी दूसरे अधिनियम की कोई धारा रिपील होती हो। अब देखिये एनामोली कहां आयेगी। एक कोई ट्रस्ट बना हुआ है। आप कहते हैं कि हम उस के किसी मेम्बर को निकाल देंगे, उसकी प्रबन्ध समिति का पुनस्संगठन कर डालेंगे। धारा ४१ के अनुसार इस में लिखा हुआ है कि विधान संशोधित हो जायगा, पुनस्संगठित हो जायगा, बोर्ड का सदस्य कोई नहीं रह जायगा। अब मान लीजिये कि ट्रस्ट ऐक्ट की किसी धारा के अनुसार ट्रस्ट बना हुआ है तो आप किस प्रकार उसके मेम्बर को निकाल देंगे। वहां ट्रस्ट ऐक्ट लागू रहता है। ट्रस्ट एक्ट रिपील नहीं होगा और कहते हैं कि कोई धारा रिपील नहीं होगी। तो जब दो परस्पर विरोधी ऐक्ट लागू हैं तो आपका उद्देश्य ही विफलीभूत हो जायगा, इसलिये इस पर विचार करने की आवश्यकता है और

इसीलिये इस को प्रवर समिति में लेजाने की बात कही गई है। हमको देखना यह है कि आया इस विधेयक के द्वारा हमें किसी और अधिनियम की धाराओं को रिपील करना है या नहीं और इसकी आवश्यकता प्रतीत होती है या नहीं। यह बातें अत्यन्त वाँछनीय हैं और इन के ऊपर सोचने विचारने की जरूरत है।

इसके अलावा जो बोर्ड के अधिकार हैं और जो स्थानीय समिति बनाई जा रही है उस के क्या अधिकार हैं और राज्य सरकार के क्या अधिकार हैं इस की विवेचना इस विधेयक में नहीं की गई है। और इसके अन्दर इस प्रकार की कोई योजना नहीं मालूम पड़ती है। मैं आप को एक मिसाल देना चाहता हूं। इस विधेयक में लाइसेंन्सिग आथरेटी का जिकर किया गया है कि एक-एक लाइसेंसिग अथारिटी प्रत्येक जिले में होगी यानी ५१ या ५२ लाइसेंसिग अथारिटी होंगी लेकिन लाइसेंसिग अथारिटी अपने काम के लिये किस पर जिम्मेदार होगी यह कहीं पर भी पता नहीं है। जो विधेयक की योजना है उसमें लाइसेंसिग अथारेटी किस को रिपोर्ट करेगी और कौन उस पर नियत्रंण करेगा इस का कहीं पता नहीं है। बोर्ड का लाइसेंसिग अथारेटी पर नियत्रंण नहीं होगा। इसलिये लाइसेंसिग अथारेटी की जो पावर है वह बहुत बढी हुई पावर है। जहां लाइसेंसिग अथारिटी को किसी भी नये विधवाश्रम को रिकग्नाइज करने का अधिकार होगा वहां लाइसेंसिग अथारिटी और बोर्ड के संबंध क्या होंगे यह स्पष्ट नहीं है। इसी प्रकार से स्थानीय समिति है। इसमें यह लिखा हुआ है खंड ११ में कि बोर्ड किसी क्षेत्र के लिये कोई स्थानीय समिति नियुक्त कर सकता है। जो आर्फनेज एन्ड विडोज होम रिपोर्ट है उसमें स्थानीय समिति की बात नहीं है उसके मुताबिक प्रत्येक जिले के लिये अलग-अलग कमेटी होनी चाहिये। पेज ८ में यह दिया हुआ है कि—

"There should be a district committee in each district subject to the control of the Provincial Board."

लेकिन इस विधेयक में ऐसा नहीं है। विधेयक में केवल स्थानीय समितियों का जिकर है। इससे यह असर पड़ने वाला है कि लाइसेंसिग अथारिटी तो जिलेवार होंगी और जो स्थानीय समिति होगी वे क्षेत्र के हिसाब से होंगी। तो लाइसेंसिग अथारिटी और स्थानीय समिति में भी संबंध नहीं रखा गया है। यह इस विधेयक की बड़ी भारी कमजोरी है।

इसके साथ-साथ यहां इस विधेयक में जो बोर्ड को अधिकार दिये गये हैं यह स्पष्ट नहीं है। जैसा कि माननीय पालीवाल जी नें कहा कि सरकारी विधेयकों में एक प्रकार की परम्परा चली आ रही है कि जो कोई बोर्ड सरकार बनाती है वह एक सरकारी विभाग का दूसरा रूप होता है। उस बोर्ड को बनाने के बजाय सरकार अगर खुद यह कह दे कि उस काम को एक डिपार्टमेंट करेगा तो यह ज्यादा अच्छा होगा। वह बोर्ड तो केवल देखने के लिये होता है। उसको एक नकाब पहना दिया जाता है वैसे वह सरकार की मंशा के मुताबिक ही करता है। उसका संगठन इस प्रकार से होना चाहिये कि सरकार से संबंध तो अवश्य रखे लेकिन सरकार के दूसरे पर्याय का रूप सामने न आये। जिस प्रकार से यह बोर्ड बना हुआ है यह नाममात्र का बोर्ड है और इसको एक प्रकार से सरकारी बोर्ड मान रखा है इसलिये मैं यह चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में यह विधेयक जाता जो इस बोर्ड के गठन के स्वरूप को बदल सके और इस बोर्ड को भी बना दे जो कि गैरसरकारी हितों का अधिक प्रतिनिधत्व करता है, स्थानीय संस्थाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है या सरकार का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह का एक संतुलित बोर्ड हम बनाते।

इसके साथ ही साथ इस विधेयक में एक और भी त्रुटि दिखलायी देती है और उसका निराकरण करना अत्यन्त आवश्यक है। इसमें दो प्रकार की संस्थायें दिखलायी गयी हैं। एक तो वे संस्थायें हैं जो कि अब आगे नयी बनेंगी और जिनकी लाइसेंसिग के लिये अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को अधिकार है और दूसरी वे वर्तमान संस्थायें हैं जो आजकल कार्य कर रही हैं तो जहां तक नयी बनने वाली संस्थाओं का प्रश्न है उसके लिये तो खंड ३२ में यह प्रबन्ध किया गया है कि अगर नयी संस्थायें बन्द कर दी जायं भविष्य में कार्य ठीक न कर सकने के कारण

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तो उन नयी संस्थाओं के जो बालक या महिलायें होंगी उनका स्थानान्तरण किसी दूसरी संस्था में किया जा सकेगा ताकि इस प्रकार बन्द हो जाने वाली संस्थाओं की जो महिलायें या बच्चे हैं उनके संरक्षण में कोई दिक्कत न हो, उनको भोजन संबंधी दिक्कत न हो और वे दूसरे इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर किये जा सकें। इस प्रकार से खंड ३२ में नयी संस्थाओं के लिये किया गया है, लेकिन जो वर्तमान संस्थायें हैं जिनके बारे में खंड ३४ से खंड ३८ तक जिक्र किया गया है उनके जो बालक या महिलायें होंगी वे कहां जायेंगी यह स्पष्ट नहीं है। कहीं पर भी यह नहीं लिखा गया है कि खंड ३२ वर्तमान संस्थाओं की महिलाओं और बालकों के लिये भी होगा। यह इस विधेयक की बड़ी भारी कमजोरी है क्योंकि यह विधेयक वर्तमान संस्थाओं के शोधन और सुधार के लिये ही है। मान लीजिये कि किसी जिले में कोई वर्तमान संस्था बन्द कर दी गयी तो वहां की महिलाओं और बालकों को किसी दूसरी संस्था में भेजना होगा या नहीं भेजना होगा? यह एक गम्भीर त्रुटि भी हम इस विधेयक में देखते हैं। इसके साथ-साथ सूचना का प्रश्न है। जो नयी संस्थायें होंगी या जो पुरानी संस्थायें कार्य कर रही हैं उन सबके लिये यह आवश्यक होगा कि वे रजिस्टर रखें, फार्म रखें यह ठीक है। लेकिन जहां तक अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को दो साल बन्द मामले की सूचना देने की बात है, यह सही नहीं है। संस्थाओं के लिये अनिवार्य होना चाहिये कि प्रति वर्ष वे स्वतः अपने कार्य की रिपोर्ट बोर्ड के पास भेजें या सेलेक्ट कमेटी जो बने उसके पास भेजें। जब दो साल बीत जायें तब प्राधिकारी महोदय दो साल की रिपोर्ट मांगें कि वे दो साल पुरानी रिपोर्ट भेजें, यह उचित नहीं मालूम होता। हमको विधेयक में यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि कोई भी रिपोर्ट जो किसी भी विधवाश्रम या अनाथालय आदि के कार्य की होगी वह वार्षिक रिपोर्ट वहां से प्रति वर्ष बोर्ड के पास भेज दी जाया करे। क्योंकि एक तरफ जहां कि जो सामाजिक संगठन हैं उनके इनिशिएटिव को उनकी स्वतः कार्यपरता को नहीं समाप्त कर देना है ताकि जीवन के हर क्षेत्र में सरकारी पंजे का पदार्पण हो जाय। दूसरी तरफ उनकी कार्यशैली को मर्यादित भी करना है। तो हमको ऐसा विधेयक बनाना है जो इस मर्यादा को भी संतुलित रखे और उनके स्वतः कार्य करने की शक्ति को भी कुंठित न करे। दूसरी तरफ उनको इतना प्रतिगामी और इतना उच्छृंखल भी न बना दे कि जो मनमानी वे संस्थाओं के संबंध में करना चाहें कर सकें। यानी वे मिस बिहेव न करें, यही हमारा मुख्य उद्देश्य इस विधेयक को बनाने का है।

हम किसी की सामाजिक सुधार करने की शक्ति में कोई लगाम नहीं लगाना चाहते, चाहे वह व्यक्ति हो, या संस्था हो उसको हम सुधार करने देना चाहते हैं अगर कोई लगाम नहीं लगाना चाहते अगर वह सही मानों में काम करना चाहते हैं। हम तो केवल उनकी अवांछनीय मनोवृत्तियों को रोकने के लिये विधान बनाना चाहते हैं लेकिन यह विधेयक जो लाया गया वह जैसा होना चाहिये वैसा नहीं है और जैसा कि कुछ साथियों ने बताया और उनके अलावा जो दृष्टिकोण मैंने रखा है उन सबको देखते हुये मैं समझता हूं कि इस महान् समस्या का एक आंशिक निराकरण है और यह अत्यन्त आवश्यक है कि यह विधेयक प्रवर समिति में जाय, हां, हम प्रवर समिति के लिये समय नियत कर सकते हैं, ७ दिन में प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दे दे, आखिर सदन में अभी तो विचार चल रहा है, हमें अभी २ दिन इस पर और विचार करना है, उन आने वाले दो दिनों में हम दूसरे बिलों पर विचार कर सकते हैं और ७ दिन में हम इस पर विचार करने के बाद में एक दिन में आसानी से इसे पारित कर सकते हैं। मैं माननीय नवल किशोर जी से कहूंगा कि वह अपने मत पर पुनर्विचार करें और मैं माननीय शम्भुनाथ चतुर्वेदी जी से भी कहूंगा कि जो कारण उन्होंने बताया जो संशोधन छपे हैं उनको छोड़ दिया जाय लेकिन जो बातें उन्होंने स्वयं कहीं उन्हीं के आधार पर मैं कहूंगा कि उन के आधार पर एक भी संशोधन नहीं है इसलिये मैं कहूंगा कि उन्हीं की बातों को लाने के लिये यह प्रवर समिति में अवश्य जाना चाहिये, वह चीजें तभी आ सकती हैं जब गम्भीरता से विचार करने के लिये यह प्रवर समिति में जाय।

अभी हाल ही में श्रम कल्याण निधि विधेयक सदन ने पास किया और उसका परिचालन भी माननीय श्रम मंत्री जी ने ही किया था और हम ने देखा कि उसके पास करने में किस प्रकार हमने बार-बार कठिनाई महसूस की और हर जगह पर हर संशोधन पर माननीय मंत्री जी को कठिनाई होती थी और यह ठीक है कि माननीय मंत्री जी ने उस पर इतने संशोधन स्वीकृत किये जितने पहले कभी सदन में नहीं माने गये थे, करीब ४०–५० संशोधन उस में माने गये। परन्तु इस में मंत्री जी को और सदन को सब दिक्कतें हुई और मंत्री जी के विभाग में भी अत्यन्त भागदौड़ हुई। इसको दूर करने के लिये मैं कहता हूं न सही हफ्ता भर ३ दिन के लिये ही इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय और वह रोज दो तीन घंटे बैठकर अपनी रिपोर्ट दे दे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के उद्देश्य का समर्थन करते हुये यह महसूस करता हूं कि इस विधेयक का जो स्वरूप है इसका जो कलेवर है वह इस के उद्देश्य की पूरी-पूरी पूर्ति नहीं करता और इसी दृष्टि से मैं इसको प्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और श्री अवधेश प्रताप सिंह के प्रस्ताव में ३ दिन में रिपोर्ट भेजे जाने के विषय में संशोधन पेश करता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन उच्च भावनाओं से प्रेरित होकर माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत विधेयक को सदन में पेश किया है उनका आदर करते हुये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक के बहुत दिन से सदन में आने की लोग प्रतीक्षा करते थे और समझते थे कि वह जल्द पेश होगा। आज इस बिल पर जो वाद-विवाद सदन में चल रहा है मुझे उसे सुनने का मौका मिला। इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये भी एक संशोधन सदन में पेश हुआ है परन्तु जितने भी आर्गूमेंट्स मैंने इस मत के फेवर में सुने उनके बारे में मेरा विचार है कि वे किन्हीं फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स पर बेस न करते हुये केवल छोटे-मोटे आर्गूमेंट्स से रिश्ता रखते हैं। वे ऐसे अमेंडमेंट हैं जो कि इस बिल में इस सदन में वाद-विवाद करके सम्मिलित किये जा सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि चूंकि कोई इस तरह खास वजूहात नहीं बताये गये हैं जो कि फंडामेंटली इस बिल के अन्दर गलत रूप से रक्खे गये हों और जिसको मामूली सुधार के द्वारा दुरुस्त न किया जा सके मैं समझता हूं कि इसको प्रवर समिति में न भेजा जाना चाहिये। परन्तु इसके मानी यह नहीं हैं कि हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि इस बिल के अन्दर कुछ कमियां भी हैं। मैं सबसे पहले सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि यह जो बिल इस सदन में है वह तो एक आर्डिनरी मेजर है। सबसे पहले हमें यह देखना चाहिये कि अगर किसी बीमारी को हम मुल्क से दूर करना चाहते हैं तो सरकार को और मुल्क की जनता को और वहां के अग्रगण्यमान्य लोगों का यह पहला कर्त्तव्य हो जाता है कि अधिक से अधिक प्रिवेंटिव मेजर्स उस बीमारी को दूर करने के लिये अपनाये जायं। तो बीमारी जब मुल्क के अन्दर पैदा ही नहीं होगी तो उस बीमारी के जो क्योरेटिव मेजर्स हमारी सरकार लाती है उन क्योरेटिव मेजर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें देखना है कि हमारे समाज में कौन सी ऐसी बातें है जिनके कारण बेवा औरतें अपने घरों को छोड़कर "विडो होम्स" की शरण लेती हैं। वे कौन से कारण हैं जिनसे बच्चे अनाथ हो कर अनाथालयों में शरण लेते हैं।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं चाहता हूं कि सरकार अधिक ध्यान इस ओर दे कि हमारे समाज की बेवाओं ने विडोज होम्स में क्यों शरण ली। हमारे देश के अन्दर कोई भी बच्चा अपने को अनाथ क्यों समझता है। उसको अनाथ न कहा जाय। स्वतंत्र मुल्क के अन्दर अगर किसी को अनाथ बनाया जाता है तो मैं समझता हूं कि वह मुल्क स्वतंत्र नहीं है बल्कि वह मुल्क गुलाम मुल्क है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि हमें पहले उन बातों को दूर करने की जरूरत है और सरकार को कड़ी निगाह उन बातों की ओर रखने की जरूरत है जिनकी वजह से बेवायें विडो होम्स में जाती हैं और बच्चे अनाथ होते हैं।

राजा वीरेंद्रशाह---अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री चन्द्रसिंह रावत---हमारी सरकार की ओर से गत वर्षों में यह प्रयास रहा है कि कम से कम तादाद हमारे मुल्क के अन्दर विधवा स्त्रियों की पाई जाय । परन्तु मैं यह कह देना चाहता हूं कि हमारी सरकार की तरफ से इस दिशा में जो कोई भी कदम उठाया गया वह दृढ़ता से नहीं उठाया गया और वह कदम अधूरा रहा । जैसे कि चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज को जिस कड़ाई के साथ खत्म किया जाना चाहिये उस कड़ाई के साथ कानून की धारायें नहीं बनाई गईं जिससे कि लोगों को चाइल्ड मैरिज करना नामुमकिन हो गया होता ।

दूसरी बात जो बूढ़े लोग नौजवान लड़कों का छोटी बच्चियों की साथ शादी कर देते हैं जिस कड़ाई के साथ कानून की निगाह इस प्रकार के केसेज पर जानी चाहिये थी उस प्रकार की कोई धारायें या कोई कानून की व्यवस्था हमारी सरकार की ओर से नहीं की गई जिसके कारण वह पुरानी बुराइयां दिन ब दिन हमारे देश के अन्दर बढ़ती गईं जिससे हमारे मुल्क के अन्दर बेवाओं की तादाद बढ़ती गई ।

दूसरे जहां तक अनाथ बच्चों का प्रश्न है मैं कहना चाहता हूं कि वह बच्चे जिस घर में रहते हैं अनाथालय में, वे बेवायें जिनको विडो होम की जरूरत बतायी जाती है क्या कारण है जो उन्हें उनके पैरेन्ट्स होम में रिहैबिलिटेट न किया जाय । मैं तो इस राय का हूं कि किसी भी विधवा को इस स्वतंत्र देश में विधवा समझने की अगर कोई गुंजाइश की जाती है तो हमारे मुल्क के ऐडमिनिस्ट्रेशन की अव्यवस्था होगी । किसी भी स्त्री को जो विधवा होती है इस प्रकार की व्यवस्था कानून से होनी चाहिये जिससे कि उसको अपने पति की प्रापर्टी पर पूरा पूरा अधिकार होना चाहिये । अगर कानूनन उनको यह अधिकार दिया जाता है तो अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी बहनें जो विधवा हो जाती हैं उनको किसी भी विडो होम की जरूरत नहीं पड़ेगी । जब उनके पास पैसा नहीं है जिससे वे अपनी गुजर बसर कर सकें, अपने मालिक के मकान पर रह सकें तभी उनको विडो होम की ओर जाना पड़ता है । वह मजबूर हो जाती हैं, जब उनके पास कोई प्रापर्टी नहीं होती, कि वह अपने पति के मकान को छोड़ कर विडोज होम में शरण लें । लेकिन अगर कानूनन ऐसी व्यवस्था हो जाती है जिससे उनके पास अपनी गुजर बसर के लिये पैसा हो तो आपको विडोज होम को आबाद करने के लिये विधवाओं की तादाद ही नहीं मिलेगी, जिस तादाद में आज मिल रही है । मैं समझता हूं इस प्रकार के प्रीवेंटिव मेजर्स अगर लिये जाते हैं तो हमें क्यूरेटिव मेजर्स की जो सेकेंड्री मेजर्स हैं उनको उस बड़े पैमाने पर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जैसी की अन्यथा हमको लेनी पड़ेगी ।

यह बिल तो सही है और उसके पीछे हमारी मानवता की उच्च भावनायें हैं परन्तु मैं कहना चाहता हूं जो बिल है उसको बहुत ही कम्प्रीहेंसिव होना चाहिये था, विस्तृत होना चाहिये उसके अन्दर उन भाइयों के लिये भी प्रोवीजन होना चाहिये था जो न केवल अनाथ और बेवायें ही हैं बल्कि जिनकी एनर्जी बेकार वेस्ट हो रही है । उस एनर्जी को जुटाने के लिये हमने कोई व्यवस्था इस बिल में नहीं की । इसका मुझे खेद है । मैं चाहता हूं अगर इस बिल का नाम ह्यूमन रिक्लेमेशन बिल रखा गया होता तो ज्यादा अच्छा होता । कोई भी इंसान जिसके पास एनर्जी है उसको कोई ट्रेनिंग, कार्य क्षमता पैदा करने की व्यवस्था नहीं की गई है । अगर ऐसा इस बिल के अन्दर होता तो और भी अच्छा होता । जब कि हमारी सरकार ने गऊओं को रिहैबिलिटेट करने के लिये गौशाला तक का प्रबन्ध किया है मुझे खेद है कि देश के अन्दर बूढ़े बुढ़ियां और छोटे बच्चों के लिये उनकी एनर्जी को रिहैबिलिटेट करने के लिये सरकार आज तक कोई प्रबन्ध नहीं कर सकती है । सरकार की ओर से

जो मेजर्स होते हैं वे हाफ हार्टेड नहीं होने चाहिये। हमें विस्तृत दृष्टि उन बच्चों और लोगों के ऊपर डालनी चाहिये जिन व्यक्तियों को दृष्टिगत रखते हुये किसी बिल को इस सदन में पेश करते हैं और कोई व्यवस्था उनके रहन-सहन के लिये करने जाते हैं तो मैं समझता हूं उन लोगों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिये।

इसके साथ साथ मैं यह बताना चाहता हूं, यह तो बहुत अच्छा है कि विडोज होम खोले जायं लेकिन जो अव्यवस्था उन विडोज होम्स के अन्दर है और जो व्यापार के केंद्र वह विडोज होम्स बनाये गये हैं जिसकी चर्चा कई बार इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने की है, जिसके ऊपर भाषण किये हैं, उन सीन्स को जो कि रिपीट की जाती हैं, उससे हमारी भावनाओं को जो आघात पहुंचता है उसका हमें बड़ा दुख है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब कि हम केवल उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर उन स्त्रियों के भाग्य का फैसला छोड़ देते हैं जो स्त्रियां दुखी होकर और मुसीबतों की मारी हुई वहां शरण लेना चाहती हैं, जो कि बेबस हैं जिनके पास कोई हेल्प नहीं है, वह दूसरों की इच्छा पर अपने को आश्रित करती हैं और उनको विलासिता की कमोडिटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यह हमारे देश के लिये बड़ा भारी कलंक है। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे बड़े बड़े लोग इन बातों को जानते हुये भी अधिक निगाह इधर नहीं डालते हैं और जिस प्रकार निगाह इधर डाली जानी चाहिये थी वह नहीं की गई बल्कि जैसे कि कहा गया इसमें कोई शक नहीं कि हम लोगों ने जिनके पास खाना और कपड़ा था, उन लोगों को जिनके पास रुपया और पैसा था, जिनके पास जीवन यापन के साधन थे हमने उनके जीवन यापन के साधनों को आगे बढाने की कोशिश की, इसके लिये गवर्नमेंट ने जो प्रयास किया है मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं और हम उसके प्रति बड़े आभारी हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें बड़ा दुख होता है, वह लोग जो अनाथ थे, वह लोग जो कि मुसीबतों में थे, भूख के शिकार बने हुये थे, हमें चाहिये था उन्हें प्रायर्टी देते इस मुल्क के अन्दर, इन्सानियत के नाम पर, भगवान के नाम पर, अपने भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति के नाम पर जिनको बड़ा भारी नाज अपने पूर्वजों की सभ्यता और संस्कृति पर है, जिसका कि दुनिया के अन्दर ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन वही उन गरीब भाइयों को नजरअन्दाज कर देते हैं। जब कि हम विश्वनाथ के मंदिर में जाते हैं, मैंने देखा वहां हजारों की तादाद में खासकर बंगाली सड़क के दोनों ओर जिस भयानक रूप में वहां बैठे रहते हैं, उसको देखकर हमें बड़ा दुख होता है।

श्री अध्यक्ष---आप बार-बार एक ही बात दुहरा रहे हैं, रिपीटीशन कर रहे हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत---श्रीमन्, मैं रिपीटीशन नहीं कर रहा हूं। मैं उन बातों को बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---मेरे कान में तो वही बातें सुनायी दे रही हैं, रिक्लेमेशन के लिये आपने कहा, अब उन्ही गरीबों के लिये कह रहे हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत---अब मैं उससे आगे चलकर यह बताना चाहता हूं कि अगर हमको विडोज होम बनाकर उनको केवल वहां कपड़ा देना है, खाना देना है, तो यह उचित नहीं है। मैं तो यह चाहूंगा कि किसी को भी स्वतंत्र मुल्क में बिना काम किये हुये खाना दिया जाता है तो यह हमारी जाति पर एक कलंक है। मैं चाहता हूं किसी को भी इस मुल्क के अन्दर भिखमंगा न बनाया जाय। किसी को भी किसी की कृपा का आकांक्षी न बनाया जाय। वह मुल्क अपने को दुनिया में एक ताकतवर मुल्क नहीं बनाता है यदि वह भिखमंगों की तादाद अपने यहां बढ़ाना चाहता है। अगर हम वह व्यवस्था करते हैं कि किसी को बैठे-बैठे खाना मिले, और अगर हम उनको अपने नेशनल मूवमेंट को बढाने के लिये एक ताकत के रूप में तैयार नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे सारे एफर्टस रिवर्स डाइरेक्शन में पड़ते हैं। हम

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

मुल्क को कमजोर करने की दिशा में अपनी सारी ऐक्टिविटीज को केंद्रित करते हैं जब कि हमारी एक्टिविटीज हमारे उन निराश्रित लोगों को प्रोडक्टिव एजेंट्स बनाने में लगनी चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि उनकी ट्रेनिंग के लिये उनके एजूकेशन के लिये उनको प्रोडक्टिव एसेट बनाने के लिये, उनको अच्छा नागरिक बनाने के लिये जो कि हमारे देश की समृद्धि में योग दे सकें और जो इस मुल्क को शक्तिशाली बनाने में अपना पूरा-पूरा योग दे सकें इस प्रकार की व्यवस्था हमें इस बिल के द्वारा करनी चाहिये।

अब मैं इसके साथ-साथ यह बताना चाहता हूं कि यह जो मैनेजमेंट की बाबत कहा गया और कहा गया कि सरकार कंट्रोल रखना चाहती है और बोर्ड का बड़ा पैसा है वह रखना चाहती है, मैं कहता हूं कि यह बहुत छोटी बातें हैं। यह तो जो उन्होंने प्रयास किया है, उनके लिये मैं यह नहीं कहता हूं कि सभी अनाथालयों के मैनेजर पतित हैं या बुरे हैं, मुमकिन है कि उनमें बहुत ऊंचे आदमी हों, कुछ बुरे भी हों, तो उन लोगों ने जो बिना सरकार की इमदाद के प्रयास किया है उसके ऊपर कंट्रोल करना और प्रतिनिधित्व ले लेना यह तो बहुत छोटी बातें हैं।

मैं अधिक न कह कर इन छोटी बातों के ऊपर किसी वाद विवाद को केंद्रित करना असल ध्येय और मकसद को नजरअन्दाज करना है, यह कहते हुये मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल को इस सदन में उपस्थित करने का कष्ट किया।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं समाज कल्याण के मंत्री महोदय को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण बिल को इस सदन के सम्मुख उपस्थित किया और इसके द्वारा हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कमी को दूर करने का मौका भी मिलेगा। इस बिल के संबंध में हमारे कई माननीय सदस्यों ने बहुत सी नयी-नयी बातें सदन के सम्मुख उपस्थित कीं और आपकी आज्ञा से मैं उनके संबंध में अपनी ओर से भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय पालीवाल जी ने बहुत ही महत्व की बात कही कि वैश्याओं के संबंध में माननीय मंत्री जी क्या कर रहे हैं और इस विधेयक के साथ ही साथ यदि उसके बारे में भी कुछ निश्चय हो जाता तो उससे अधिक उत्तम होता। माननीय तिवारी जी ने यह फरमाया कि इस विधेयक में वास्तव में सरकारी बोर्ड बन जाता है और गैर सरकारियों को काम करने का मौका कम मिल पाता है, इसलिये जो उद्देश्य इस बिल के लिये रखा गया है वह शायद पूरा न हो सके। और श्री रावत ने भी एक बहुत अच्छी बात सदन के सामने पेश की कि विधवा आश्रम या अनाथालयों की यदि जरूरत होती है तो उनके मौलिक कारणों को भी दूर करने का प्रयास क्यों न किया जाय?

श्रीमन्, हो सकता है कि मेरी जानकारी इतनी न हो कि मैं इस बारे में कुछ अधिकारपूर्वक कह सकूं, लेकिन मुझे आज के जमाने में यह कुछ अच्छा नहीं लगता कि हम लोग मौलिक कारणों की बात कुछ जरूरत से ज्यादा भी करने लगे हैं। आज अगर कोई इस सदन में यह कहना चाहें कि वैश्यावृत्ति संसार से समाप्त हो सकती है तो वह गलत कहेगा। संसार का और समाज का ऐसा अनुभव है कि वैश्यावृत्ति न कभी समाप्त हुई और न कभी समाप्त हो सकती है। जिन लोगों ने ऐसा निजाम बनाया जहां ऊंच-नीच का भेद कहा जाता है कि बिलकुल नहीं था वहां पर भी और जहां पर कि ऐसा निजाम कहते हैं कि नहीं है उन सब देशों का भी ऐसा अनुभव है कि हमको व्याख्या करनी पड़ेगी कि वैश्यायें कौन हैं, और व्याख्या करनी पड़ेगी कि विधवा और अनाथ किस को कहा जाय? श्रीमन्, हमारे संसार का समाज इतना विस्तृत है कि हर एक देश के लिये हर एक शब्द के अलग अलग अर्थ हुआ करते हैं। आज हमारे देश में उन लड़कियों को जो कि विवाह के पहले गर्भवती हो जाती हैं, घर से निकाल दिया जाता है और उनको विधवा आश्रमों या अनाथ आश्रमों में शरण मिलती है लेकिन श्रीमन्, भारतवर्ष से बहुत दूर नहीं, ऐसे भी देश हैं जहां पर उस लड़की का विवाह नहीं हो

सकता है, जो विवाह से पहले गर्भवती न हो गई हो और वहां पर ऐसा हो जाया ही करता है कि लड़की विवाह से पहले गर्भवती हो जाया करे। श्रीमन्, ऐसे भी देश हैं जिनमें समाज की रचना कुछ ऐसी है कि किसी कन्या का यदि पहले योनि संबंध होता है तो वह उसके पिता के ही साथ होता है। यह तो भिन्न-भिन्न देशों के भिन्न-भिन्न समाजों की अनोखी-अनोखी बातें हैं जो आज भी वर्तमान हैं और उनको देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि हमें पहले अपने यहां इसकी व्याख्या निश्चित करनी पड़ेगी।

वैश्यावृत्ति के निवारण के लिये आज के जमाने में इंगलैन्ड ने एक नया तरीका निकाला है। जो लोग इंगलैन्ड गये हैं उन्होंने देखा होगा और हमारे श्रम मंत्री जी को भी यदि व्यक्तिगत जानकारी न हो तो वहां की सड़कों की तो जानकारी होगी ही कि जो महिलायें वहां राय में खड़ी रहती हैं वह यदि वैश्या नहीं है तो क्या हैं? ऐसा नियम जब कि सरकार ने बना दिया है कि किसी स्त्री का किसी पुरुष को बरगलाना पाप है लेकिन पुरुष का स्त्री को बरगलाना पाप नहीं समझा जाता है। इस प्रकार से चारों तरफ अजीब बातें फैली हुई हैं जिससे कोई व्याख्या कर दे या बतला दे कि इसका मौलिक कारण क्या है तो वह नितांत असंभव है।

आंध्र में कुछ समय पूर्व एक नियम बना दिया गया है कि कोई भी देवदासी जहां भी रखी जाती हो लेकिन वह किसी भी सामाजिक कार्य के अवसर पर गाना नहीं गा सकती है। इस नियम के संबंध में दक्षिण भारत के लोगों ने कहा और विधान सभा में भी कहा कि यह नियम बना दिया गया है बड़ा अच्छा है कि कोई देवदासी उत्सव के अवसर पर न गा सके। यह तो अपराध हो सकता है कि वह किसी उत्सव पर गाये। लेकिन अगर वह न गा सके तो काम क्या करे। हमें यह कहना ही पड़ेगा कि अगर कोई स्त्री अपने घर से निकल आई है और गा न सके तो फिर वैश्या का काम करे।

आज हमारे समाज ने कुछ अनुचित तथा गलत व्याख्या कर रखी है जिसका परिणाम ऐसा हो रहा है कि समाज में वैश्यायें बढ़ीं। ऐसा हमारे समाज शास्त्र के विद्वानों ने लिखा है कि हमारे समाज की रचना जहां भी की जा सकती है वहां इस प्रकार के अंग की पूर्ति के बिना नहीं की जा सकती है। हमारी दिल्ली की सरकार ने प्रयोग किया कि वहां की वैश्याओं को या तो किसी आश्रम में रख दिया जाय या फिर किसी ऐसी जगह पर ले जाया जाय जहां घर गृहस्थ लोग न रहते हों और देहली म्युनिसिपैलिटी के दायरे के बाहर उनको कर दिया गया। वहां पर जाकर वह रहने लगीं। लेकिन धीरे-धीरे वहां पर गृहस्थ लोगों की एक इतनी बड़ी बस्ती बन गई कि फिर से उनको वहां से हटाने का सवाल पैदा होने लगा। यह तो समाज की एक विडम्बना है और इसका मुकाबला हमको ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक को करना होगा।

श्रीमन्, यह कहा जाता है कि गरीबी के कारण ही अनाथों की संख्या बढ़ती है गरीबी के कारण ही विधवाओं की संख्या बढ़ती है। एक ऐसा भी देश है और मैं जानता हूं कि कुछ लोग उससे परिचित भी होंगे कि उस देश में इलैक्टोरोल रोल में यानी म्युनिसिपैलिटी के खाते में लड़के के बाप का नाम नहीं लिखा जाता है। इसलिये कि उस देश की गवर्नमेंट के लिये बाप के नाम की जरूरत नहीं होती है। मुझे विश्वास है कि हमारे मित्र मेरा आशय समझ गये होंगे। ऐसे देश में विधवा अनाथ जैसी कोई चीज ही नहीं है। लड़का किसी भी स्त्री ने पैदा कर दिया, और माता पिता से उसका कोई संबंध नहीं रहा और गवर्नमेंट उसकी हिफाजत करती रही।

श्रीमन्, यह तो अपने-अपने देश की परम्परायें हुआ करती हैं और जहां माता-पिता का स्थान होता है, उस देश के लिये विधवा आश्रम तथा अनाथालय आदि या वैश्याओं की पहेली को सुलझाना जरूरी हो जाता है और समाज के लिये जरूरी है कि वह इसे सुलझाये। यह जरूरत आज से बहुत पहले महसूस होनी चाहिये थी। श्रीमन्, इस समस्या को सुलझाने के लिये बहुत से लोगों ने चेष्टा की और इसी के साथ ही साथ बहुत से लोगों ने इसको अपनी

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

आमदनी का एक जरिया भी बना लिया। जो लोग रोमन और ग्रीस की सभ्यता से परिचित हैं, वह लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि रोम और ग्रीस में वैश्याओं को इसलिये बड़ा भारी आदर होता था कि वहां के मंदिरों की सबसे बड़ी रक्षा और देश की आमदनी इनके दान के द्वारा हुआ करती थी। और रोम और ग्रीस की गवर्नमेंट की बहुत बड़ी आमदनी प्रास्टीट्यूट्स से जो कर वसूल करती थी उससे हुआ करती थी। इसलिये वह ऐसे इंस्टीट्यूशन्स को प्रोत्साहन देती थी।

आज हमारे प्रदेश में, हमारे यहां भी बहुत से ऐसे तबके हैं जिनको चाहे लोग बुरा कहते हों लेकिन अपने काम के लिये दान लेने के लिये उनके पास हम लोग जाते हैं। बहुत सी वैश्यायें भी, बहुत से ऐसे वे लोग जो समाज में बदनाम कहे जाते हैं, बहुत से अनाथाश्रम और विधवालयों को चलाने के लिये चन्दा भी दिया करते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हमको पहले साफ कर लेना होगा कि व्याख्या अगर हम करें तो क्या करें। बहुत आसानी से कह दिया करते हैं कि गरीबी बहुत बड़ा कारण हुआ करती है व्यभिचार का और दुराचार का और विधवा होने के कारण व्यभिचार और दुराचार बढ़ता है। इसके विषय में मुझे खेद है और इस बात की थोड़ी शर्म भी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बारे में उतना काम नहीं किया जितना कि उसे करना चाहिये था। आज कई प्रदेश ऐसे हैं हमारे भारतीय संघ में जिन्होंने इस ओर बहुत ध्यान दिया है, जिन्होंने इस बारे में काफी छानबीन और खोज भी की है और जिनकी छानबीन और खोज का अच्छा फायदा हुआ है। उसका लाभ हमारे प्रदेश को भी उठाना चाहिये। आज हमारा प्रदेश अपराध सुधार और जेल सुधार आदि के कार्यों में भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के बहुत से देशों में भी आगे समझा जाता है और उत्तर प्रदेश का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। यह सही है। लेकिन इसके साथ ही साथ उस दिशा में जिस दिशा की ओर यह विधेयक हमको लिये जा रहा है हमने अभी तक कोई विशेष कार्य नहीं किया था और दूसरे प्रदेश वाले आश्चर्य करते थे कि आपके यहां ऐसा कोई ऐक्ट क्यों नहीं है? मंत्री महोदय ने यह विधेयक इस सदन के सम्मुख रखा इससे हमको एक बहुत बड़ा मौका दिया जिससे हम इन चीजों को समझें।

अनाथों की पहेली पर हमारे इधर के लोगों ने भी और उधर के लोगों ने भी बातचीत की। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस सिलसिले में हम जरा अपने अध्ययन के दायरे को बढायें। ऐसा करने से ऐसी चीजें हमारे सामने आयेंगी जिससे हमारी आंखे सचमुच में खुल जायंगी और वे इसलिये खुल जायंगी कि आखिर मामला क्या है कि हमको ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है। यूनाइटेड नेशन्स ने गवर्नमेंट आफ इंडिया से कहा कि तुम एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करो कि जुविनाइल डेलिन्क्वेंसी की तादाद क्यों बढ़ती जाती है। इस काम के लिये गवर्नमेंट को रुपया दिया। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से ऐसे काम हुआ करते हैं जिनकी जानकारी हम लोग खुद तो रखते नहीं हैं और गवर्नमेंट की आलोचना किया करते हैं। तो उस सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशन्स ने जो रिपोर्ट दी वह आज एक मोटी, बड़ी रिपोर्ट है। बम्बई के श्री सबनिस ने उस रिपोर्ट को तैयार किया। अगर उस रिपोर्ट की तरफ हम लोग कुछ ध्यान दें और उसे देख लें तो मैं समझता हूं कि शायद हमारी बहुत सी गलतफहमी इस मामले में दूर हो जायं। आज केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि समूचे संसार में जो बालक निराश्रित हो रहे हैं और अपराधी हो रहे हैं उनकी तादाद बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है। मैं क्या बताऊं, श्रीमन, यह तो शायद हमारे बहुत से सदस्यों को मालूम होगा कि पिछले ४,५ वर्षों में हमारे समूचे भारतवर्ष में ८२,५००, सात वर्ष से लगा कर १६ वर्ष तक के, बच्चे गिरफ्तार किये गये। और जो ८२,५०० लड़कों की गिरफ्तारी हुई उसका कारण क्या है? आज हर एक आदमी कहता है कि उद्योग धंधे बढ़ाओ। कुछ लोग कहते हैं देहात से थोड़ा शहर में भी आओ जिससे जमीन के ऊपर थोड़ा बोझा कम हो। लेकिन जब हम यह कहते हैं तो इसके साथ ही साथ जो विधवाओं और अनाथों की पहेली बढ़ती जा रही है जरा उसकी ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा।

इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बड़ी अच्छी चीज है लेकिन इंडस्ट्रिलाइजेशन के बैक में, उसके पदचिन्हों में जो अपराध और खराबियां चली आती हैं उनकी ओर भी ध्यान देना समाज के प्रत्येक शुभचिन्तक का कर्त्तव्य होना चाहिये। श्रीमन, वही बम्बई जहां कि चार, पांच, छः साल पहले ४७–४८ में अपराधियों की संख्या ९३२ थी, उसी बम्बई में ५३–५४ में ५,०३५ बाल अपराधियों की संख्या है। तो जब इतनी संख्या बढ़ती गई और जब उनको आश्रय नहीं होगा तो वे माननीय मंत्री जी के पास आवेंगे और कहेंगे कि हमको अपने अनाथालय में रख लो। श्रीमन, कलकत्ता इतना बड़ा शहर, वहां कुछ दिनों पहले बहुत थोड़ी संख्या अपराधियों की रहती थी वहां आज २,०२८ के करीब हर साल बालक अपराधी उठाकर समाज के सामने फेंक दिये जाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में पांच साल के अन्दर चार साढ़े चार हजार बाल अपराधियों की पहेली को हमें हल करना पड़ा। तो जब हमारे सामने यह पहेली है और जब ट्रावन्कोर जैसे प्रदेश में जहां सबसे कम अपराधी हुआ करते थे जिस ट्रावन्कोर कोचीन में सन् ४७ में बाल अपराधियों की संख्या २५ थी वहां चार जिलों में ५३–५४ में वह संख्या २३१ हो गई, तो जब यह परिस्थिति है और जब चारों तरफ यह चीज चल रही है तो उसके बारे में सोचना तो होगा ही। लन्दन जो इतना उन्नत है वहीं उसी लन्दन में जब लड़ाई खत्म हो रही थी और आज से कुछ ही साल पहले जब गरीबी के कारण, मुसीबत के कारण लन्दन के लोग भूखों मर रहे थे वहां सन १९४५ में बाल अपराधियों अर्थात लड़कों और लड़कियों की संख्या ६ हजार थी उसी लन्दन में ४८–४९ में यानी चार साल बाद शराब पीकर घूमने वाले सात वर्ष से १४ वर्ष तक के बच्चों की संख्या १२ हजार थी। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों ने गलत धारणायें बना रखी हैं और उसके कारण हम अपने को अन्यत्र से नीच समझते हैं, छोटा समझते हैं और समझते हैं कि हमारे यहां ही सब ऐब चला आ रहा है। यह ऐसी पहेली है कि जिस पहेली को श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के इस विधेयक के द्वारा ही नहीं बल्कि उन्होंने एक चिल्ड्रेन्स ऐक्ट अभी लागू किया है उस तरह की सभी चीजों के द्वारा हल करना पड़ेगा।

अनाथ कौन है ? अनाथ वह है जिसको समाज अनाथ घोषित करता है, अनाथ वह है जिसको वह निराश्रित स्वीकार कर लेता है वरना अनाथाश्रम और अनाथालयों की जरूरत क्या हो सकती है ? माननीय पालीवाल जी ने वेश्यायों के संबंध में बात उठाई थी। वे बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और पढ़े लिखे होने के कारण ही उन्होंने पढ़ा अवश्य होगा और उनको मालूम होगा कि यह समस्या केवल भारतवर्ष में ही नहीं आज संसार में बहुत विकट हो गई है। इस मासूम विधेयक के द्वारा उस समस्या का हल नहीं हो सकता। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। श्रीमन, हर एक देश में सभ्यता निर्भर करती है उस देश के चरित्र पर, उस देश के परिवारों के बनाव पर, उस देश के शिष्टाचार पर, उस देश के अपराध और उनकी संख्या पर, इसके लिये मैं एक मिसाल दूं। आज ऐसा एक देश है। वह तुर्किस्तान है जो अपने को एशिया का नहीं कहता? योरोप के नजदीक होने के नाते वह अपने को योरोपियन पावर कहता है और नतीजा क्या है ? श्रीमन् ५३–५४ में तुर्किस्तान में फी एक करोड़ आदमी के पीछे १०६ सेक्स क्राइम्स हुये और उसी साल श्रीमन्, इंग्लैन्ड में १ करोड़ आदमी के पीछे ११६ अपराध हुये और श्रीमन, उसी वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में भी एक करोड़ आदमी के पीछे १,०३५ हुये और उसी वर्ष फ्रांस में ५,०३६ हुये। देखिये, देश वही है, शिक्षा वही है और शिक्षा संस्थाओं और संस्कृति का भी करीब-करीब स्तर वही है, लेकिन अपराध का क्रम बदलता चला गया। जबकि उसी वर्ष पूर्वी सभ्यता, परिवार की सभ्यता के मानने वाले जापान में एक करोड़ व्यक्ति के पीछे केवल ३६ सेक्स क्राइम्स हुये और श्रीमन, उसी वर्ष पारिवारिक सभ्यता के मानने वाले मिश्र में केवल ९ हुये। कहां ९ और फिर उसी मुस्लिम देश तुर्किस्तान में कहां १०६ और बढ़ते-बढ़ते फ्रांस में ५,०३६। श्रीमन, इसका कारण गरीबी नहीं है, दरिद्रता नहीं है। इसका कारण समाज की रचना और परिवार की रचना हुआ करती है। आज हमारे भारतवर्ष में कुछ थोड़ा सा चरित्र है। कुछ

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

थोड़ा सा परिवार की रचना का सिस्टम है। वह एक सभ्यता और संस्कृति का आधार है। और यदि इन चीजों के आधार को लेकर हमारे यहां के धनीमानी और गरीब कंगाल सभी महसूस करते थे कि अनाथ को भोजन दो, गरीब को वस्त्र दो तो ठीक ही है। आज यदि धनी मानी और गरीब कंगाल भी महसूस करने लगें कि विधवा का पालन राज्य करेगा, गरीब की देखरेख भूखे की संभालें राज्य की जिम्मेदारी है तो उससे हमारी हिन्दू सभ्यता का इतिहास कलंकित हो जायगा। यह हमारी सभ्यता का उपहास होगा। हम, श्रीमन, देखते हैं कि इस विधेयक में सरकार से बहुत कुछ आशा करते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ हमारी विचारधारा कुछ ऐसी हो गई है कि समाज स्वयं अपने कर्त्तव्य से अपने को च्युत पाता है। गरीबी की बात जो कुछ कही जाती है, श्रीमन, जो लोग कहते हैं उनके लिये मैं इस सदन में एक मिसाल दे चुका हूं। बहुत से कम्युनिस्ट रूस के अपराधों की मिसाल दे चुका हूं और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मिसाल देकर साबित कर सकता हूं कि गरीबी की दलील दे कर हम गलती करते हैं। केवल गरीबी की दलील इस संबंध में नहीं हो सकती।

अब विधवाश्रम के संबंध में मैं एक बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इस संबंध में उन्होंने देखा होगा कि प्रिवेंशन आफ इम्मारल ट्रैफिक ऐक्ट, कुछ जगह लागू है। हमारे देश के मद्रास, सौराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और बम्बई ये चार प्रदेश ऐसे हैं कि जहां पर प्रिवेंशन आफ इम्मारल ट्रैफिक से लेकर अनाथ बच्चों तक के बारे में कानून कायदे बने हुये हैं। लेकिन इतना होने पर भी यह देखना होगा कि सरकारी एजेंसी और गैर सरकारी एजेंसी किन धाराओं पर काम कर सकती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उन सदस्यों से कि जो केवल तकरीर करने में विश्वास नहीं करते कि वे बम्बई और मद्रास की तुलना कर लें। बम्बई में आज श्रीमन, भारतवर्ष का सबसे अच्छा महिलाश्रम वह है जो वहां की कुछ महाराष्ट्रियन महिलायें चला रही हैं और वह एक ऐसा आश्रम है कि जहां की विधवायें अनाथ हैं किन्तु पढ़ी लिखी हैं कलाकार हैं और संगीतज्ञ हैं। वह आश्रम आज कितने ही हजारों व्यक्तियों की सुसराल भी है। वह, श्रीमन, उनका विवाह करवाता है और उनके लिये जीविका का प्रबन्ध करता है। जो महिलायें वहां से जाती हैं उनको कन्यादान मिलता है और उसमें किसी को सीविंग मशीन, किसी को प्रपड़े पर लोहा करने का और धुलाई करने का सामान, किसी को कुछ और किसी को कुछ इसी प्रकार की जीवकोपार्जन करने की चीजें दी जाती हैं। जो वस्तु जिसके काम की है वह उसको दी जाती है। लेकिन उस आश्रम का जिस ने निरीक्षण किया होगा उसने कई विचित्र बातें उसमें देखी होंगी। कई विचित्र पहेलियां वहां देखने में आती हैं। आज जो एक लड़की जिसकी उम्र २८ साल की है और जिस का दिमाग ३ साल का है उसको कहां स्थान मिलेगा? बहुत बड़ी चीज है यह मेंटल ऐज और फिजिकल ऐज का डिफरेंस। इतना बड़ा सर, इतने छोटे-छोटे पैर, आज कौन उसको शरण देगा? कौन इस युवती को रखेगा और कौन इस युवती का विवाह करेगा? और यह कन्या जो विजिटर जाता है, जो निरीक्षण करने जाता है उस से पूछती है कि तुम मेरे पति बनोगे? तो इसकी पहेली को कौन सुलझायेगा, इसकी पहेली को सुलझाने के लिये ऐसे विशेषज्ञ की आवश्यकता है कि जो मेरी तरह कमजोरी से डर कर यह न कह दे कि नहीं, हम नहीं बनना चाहते। बल्कि उसको कहना चाहिये कि हां, हम बनेंगे। मानव स्वभाव ऐसा है कि नहीं से बात शुरू करने पर अपराधी चिढ़ जाता है। जहां भी विधवा सामने आये अगर उससे यह कह दिया जाय कि तुम अनाथ हो और तुम विधवा हो और इसी तरह से उसको देखा जाय तो फिर उसके सुधार की बात करना गलत है। इसी वास्ते मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारा इतना बड़ा विज्ञान है और इतनी बड़ी पहेली है जिसको सुलझाने के लिये बड़े-बड़े विशेषज्ञों की आवश्यकता है। तो फिर बम्बई में जो कार्य हो रहा है वह सराहनीय है।

एक बात और भी है गवर्नमेंट ने वहां पर उस कार्य पर बड़ा ध्यान दिया है। यह जो बच्चों और विधवाओं की संस्था है उस संस्था का अभिभावक और संरक्षक उस प्रदेश का मुख्य मंत्री है। मुरार जी देसाई उसके संरक्षक हैं। लाखों रुपया इस संस्था को गवर्नमेंट से मिलता है और चैरिटेबिल सोसाइटियों से भी लाखों रुपया मिलता है। इस तरह से यह संस्था चल रही है और इन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है। मैं अपने उन सदस्यों से निवेदन करूंगा जो अनाथालय और विधावाश्रमों में दिलचस्पी रखते हैं कि वह जाकर उसको देख आयें किस प्रकार की वह संस्था है। यह बड़ी भारी चीज है। एक बात जो देखने से ही मालूम होती है वह यह है कि अगर किसी विधावाश्रम या अनाथालय पर आप अनाथालय या विधावाश्रम नाम लिख दें तो यह बड़ी भूल करते हैं। यही नहीं उन अनाथालय के बच्चों को रसीद देकर स्टेशन पर भेजते हैं कि तुम जाकर चन्दा इकट्ठा करो या कहीं जाकर भीख मांगने का काम वह बच्चे करते हैं तो उन बच्चों के अन्दर भीख मांगने की वृत्ति भर दी जाती है। इसलिये जेलों को मैन्टल अस्पताल कहने की तरह से विधवाश्रमों के नामों में सुधार का कौन सा तरीका हो सकता है ? मैं समझता हूं कि इस विधेयक में एक फंडामेंटल भूल जो हो सकती है तो यही हो सकती है। इसलिये उस भूल को दूर करने के लिये जो और प्रदेशों में काम करने का प्रयत्न किया है उसी प्रकार से आप भी अपने आश्रमों का नाम, रूप बदलें और माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इनके नाम को जरूर बदलने की चेष्टा की जाय। लेकिन जो लोग यह समझते हैं कि गैरसरकारी तरीके पर यह काम हो सकता है, वह भूल करते हैं। गैरसरकारी तरीके पर यह सब काम उस समय हो सकता था जब समाज जाग्रत होता, लेकिन जो समाज सोया हुआ है और जिसके अन्दर हमने हमारे साथियों ने और हमारे विरोधियों ने यह भावना भर दी है कि जितनी भी जिम्मेदारी है वह गवर्नमेंट की है और जनता की जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है और आज जब भारतीय मनोवृत्ति भी ऐसी है तब सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इस विचार धारा का अध्ययन करके आगे बढ़े। इसलिये कुछ विधवाश्रम वह स्थान बन गये हैं जिन स्थानों को भ्रष्टाचार का अड्डा कहना चाहिये और वह भ्रष्टाचार के अड्डे रहेंगे। यदि हम उस भ्रष्टाचार को मानव समाज से निकाल सकते हैं तो उसके लिये यही हो सकता है कि हम वैज्ञानिक तरीके पर उसको सोचें। जिस प्रकार से आज यह पहेली बन गयी है उसको उसी तरह से सुधारा भी जा सकता है। मनोविज्ञान के तरीके पर ऐसी चीजों को सोचा जाय और वैज्ञानिक ढंग पर सबके मस्तिष्क को बदला जाय।

भारतवर्ष में हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार बचपन से ही जो चीज शुरू की जाती है वह मातृत्व की भावना और बहन की भावना की शिक्षा थी। तुम सबको अपनी मां और बहन समझो। आज वह शिक्षा नहीं दी जाती है। यहां ही नहीं बल्कि लन्दन में भी मैंने यही बात उन लोगों के सामने कही कि यदि आपको अपनी सोसाइटी में सुधार करना है तो माता को उसके स्थान पर प्रतिष्ठित कीजिये। जो उसका उचित स्थान है उसको उसी स्थान पर बैठाइये। हम मातृ और पितृ की भावना जागृत कर दें। पड़ोस के बच्चों को बच्चा समझना शुरू कर दें। हमारे समाज में बड़ी भारी बात थी पर जिसमें सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है वह यह कि पहले आप किसी मुहल्ले को ले लीजिये, वहां अपने साथियों को भाई, बहन, चाची, दादी कहा जाता था। लेकिन आज जिस समाज में अपने पिता को पिता कहने में भी शरम आती हो तब इस प्रकार की भावना जहां पर पैदा हो गयी हो तो उसके लिये क्या कहा जाय। जहां पर पिता के बजाय डैडी और पापा कहने में अपना गौरव समझते हों तो उस समाज में बहुत बड़ा दोष है ऐसी दशा में आज विधवाश्रमों का स्टेट से लिंक करना जरूरी हो गया है। जो लोग यह कहते हैं कि नान आफीशल एजेंसीज को सब करना चाहिये मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उनके अन्दर वह भावना पैदा कीजिये वरना स्टेट को करना होगा। इसलिये उस बोर्ड का यही महत्व है और उसके लिये मैं माननीय कल्याण मंत्री को बधाई देता हूं।

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

आज भारतवर्ष में महिलाओं और अनाथ बच्चों की रक्षा के लिये सबसे अच्छा कार्य मद्रास स्टेट कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपने विभाग के लोगों को वहां भेजें कि वे देखें कि काम कैसे हो रहा है। आंकड़ों से प्रतीत होता है कि भ्रांत धारणाओं में पड़कर हम कैसे भूल करते हैं। इस विधेयक की जानकारी मुझे दो बजे मंत्री जी से हुई इसलिये मैं विधेयक के हर अंग को पढ़ नहीं सका और मैं अपने पूर्व वक्ताओं के भाषण नहीं सुन सका। इसलिये मैं हर बात का उत्तर नहीं दे सकता हूं। लेकिन जितना मैं जल्दी में पढ़ सका उसके हिसाब से जो कुछ मुझे लगा वह मैं निवेदन कर रहा हूं। एक बात कही गई है कि गरीबी के कारण बड़ी भारी कठिनाइयां और पतन होता है और विधवायें नीचे गिरती हैं। यह हमारे भारतवर्ष का बड़ा भारी गौरव है कि बचपन की विधवा ५०,६० वर्ष की आयु तक पवित्र रहती हैं। ऐसा संसार भर में कहीं नहीं होता है। इसलिये जगत में भारतीय नारी का गौरव सबसे ऊंचा है। लार्ड लिटन बंगाल के गवर्नर ने बहुत साल पहले एक भाषण दिया जो इंग्लिशमैन अखबार में छपा। उसका शीर्षक था "लार्ड लिटन आन इंडियन वीमैन" और दूसरा वाक्य था "विल दे टेक इट लाइंग डाउन?" कितना भद्दा था। जब यह छपा तो हमारे एक बंगाली बुजुर्ग ने लिटन के पास एक खत भेजा कि क्या आपकी सभ्यता यही रह गई है कि आप इस प्रकार का शीर्षक दें। ऐसे भद्दे शीर्षक देने वाले को उसी समय नोटिस मिली और नौकरी से निकाल दिया गया। उसमें लार्ड लिटन ने भारतीय विधवाओं की बड़ी भर्त्सना की थी और कहा था कि वे बड़ी खराब हैं। इंटर ने एक पुस्तक लिखी है और मैंने कितने ही लोगों से कहा कि जो हिन्दुत्व की बड़ी दुहाई देते हैं, उनसे मैंने कहा कि चन्दा जमा करके इंटर की तमाम पुस्तकों को इकट्ठा करके एक दफ़ा होली जला दें। लेकिन किसी ने उधर ध्यान नहीं दिया। उसने लिखा है कि काशी में हजारों शिवलिंग दिखाई पड़ते हैं, ये विधवाओं को संतान उत्पन्न करने के साधन हैं। लेकिन आज हम उनका गला नहीं पकड़ सकते, उनका मुंह बन्द नहीं कर सकते।

एक स्त्री सदन मद्रास में है। श्रीमती विजय लक्ष्मी मद्रासी महिला उसका संचालन करती हैं। मद्रास गवर्नमेंट की ओर से उसकी सुपरिन्टेंडेंट हैं। सुपरिटेंडेंट आफ रेस्क्यूहोम श्रीमती विजय लक्ष्मी हैं। श्रीमन्, उनके आंकड़े जो मैंने देखे और उन्हें मैंने समझा तो मुझे ताज्जुब हुआ कि २६५ ऐसी स्त्रियां वहां पर थीं जो कि नैतिक भ्रष्टाचार के लिये, दुराचार के लिये चाल चलन की खराबी के लिये गिरफ्तार करके रखी गयी थीं। मैंने अपनी आदत के मुताबिक सोचा कि जरा मैं इस आंकड़े को अपने ढंग से एनालाइस करूं। तो श्रीमन्, उन २६५ महिलाओं में विवाहित स्त्रियों की संख्या १२१ थी और अविवाहित स्त्रियों की संख्या थी १३१, विधवाओं की संख्या केवल ५ तथा ८ अन्य थीं। यह परसेंटेज था। उसको मैं इसलिये कह रहा हूं कि हमारे देश में ऐसे आंकड़े इकट्ठे करने का काम अभी नया शुरू हो रहा है, इसलिये मैं निवेदन करना चहता हूं कि उसमें विधवाओं की संख्या थी केवल ५ तो यह कह देना कि विधवा होने के कारण महिला पतित होती हैं यह बड़ी गलत बात है और यह अपनी सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध जाने वाली बात है। अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता का ख्याल रखने वाला कभी भी अपने मुंह से ऐसी बात नहीं निकाल सकता है।

दूसरी बात, श्रीमन्, यह कह देना कि गरीबी के कारण पतन होता है, यह भी गलत है। अब मैं एक दूसरी संस्था की बात बतलाता हूं जहां १५ वर्ष और १९ वर्ष के बीच की लड़कियां रखी जाती हैं। इसके अलावा और ज्यादा उम्र की लड़कियां वहां नहीं रखी जातीं। उसमें, श्रीमन्, पावर्टी स्ट्रिकेन जो स्त्रियों की संख्या थी वह २८ थी, लेकिन मिड्ल क्लास की लड़कियों की संख्या ६८ थी। तो आप देख सकते हैं कि कहां तो पावर्टी स्ट्रिकेन लड़कियों की संख्या २८ और मध्यम श्रेणी की लड़कियों की संख्या ६८ थी। फिर कुछ लोगों की

यह धारणा है कि छोटी जातियों में ज्यादा दुराचार होता है यह भी गलत है। हम आंकड़े से साबित कर देंगे कि बहुत ऊंची जाति वाले और बहुत छोटी जाति वाले चाल चलन की तुलना में एक से हैं। मैं पहले वाले आंकड़े २६५ को ही लेता हूं। उसमें हरिजनों की संख्या १३ थी, ब्राह्मणों की संख्या ८ थी और बाकी दूसरी जाति वालों की संख्या २४४ थी। तो इसलिये मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जाति पांति के हिसाब से भी आप देखें कि इसमें कितना अन्तर पड़ता है कितना डिफरेंस और भेद मालूम होता है। श्रीमन्, लोगों की यह भी एक धारणा है कि विवाहित हो जाने पर चाल चलन के लिये एक बड़ी भारी गारन्टी हो जाती है। श्रीमन्, आप १५ वर्ष और १९ वर्ष के बीच की उम्र वाली लड़कियों के आंकड़े देखें तो मालूम होगा कि उनमें ७८ लड़कियां ऐसी थीं जो विवाहित थीं तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन बातों से यह साबित हो गया कि केवल गरीबी कारण नहीं हो सकती है। केवल वही एक कारण है यह कहना गलत है। आंकड़े से साबित है और अन्य अनाथालयों के अनाथों की जो संख्या है उसे मैंने देखने की कोशिश की और उससे मालूम हुआ कि यह कह देना गलत है कि विधवा होने के कारण ही भ्रष्टाचार अधिक होता है।

हमको यह सोचना पड़ेगा कि जो अनाथालय या विधवाश्रम आजकल चल रहे हैं उनको किस रूप में चलावें। इसलिये, श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले हमको अपने समाज के स्तर को ठीक करना पड़ेगा। जो विधवायें हैं, जो अनाथ हैं उनको हम अनायास ही विधवा के रूप में रख देते हैं और यदि हम उनको वहां न रखें तो उनकी जीविका के लिये ऐसे बहुत से साधन हैं जिनको हल करने के तरीके और दूसरे प्रदेशों ने निकाले हैं जिससे हम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जो अनाथ बच्चे हैं वे केवल गरीबी के कारण ही नहीं हैं, यह मैंने आंकड़े पेश करके बतला दिया और सिद्ध कर दिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के अबेक में ईविल बढ़ता है। इस बात को जगत स्वीकार करता है। यह कहना कि अशिक्षा के कारण अपराध होते हैं यह भी गलत है। कुछ ऐसा देखा गया है कि अशिक्षित आदमी शिक्षितों की तुलना में कहीं अधिक सभ्य, शिष्ट और सच्चरित्र होते हैं। मैं पुनः, श्रीमन्, विधवाश्रम और अनाथालयों की संख्या की ओर ले जाऊंगा। मैंने जो संख्या बताई है उस संख्या में बे पढ़े लिखे और अशिक्षितों की संख्या कुल मिलाकर २० प्रतिशत से ज्यादा नहीं थी, मैं शहरों की बात कर रहा हूं। तो जब २० फीसदी अशिक्षित और ८० फीसदी शिक्षित होंगे और यही नहीं अगर वहां देखा जाय हिन्दू, मुसलिम, ईसाई मजहब के मुतालिक तो अधिकांश उन में हिन्दू ही थे। इन चीजों को देख कर मैं निवेदन करूंगा कि आज समाज कल्याण मंत्री का यह कर्त्तव्य है कि हमारे समाज के कल्याण के लिये वह विधवाश्रम और अनाथालयों का संगठन करें और साथ ही साथ हमारे नैतिक स्तर को ऊंचा करने के लिये समाज के सांस्कृतिक, शौष्टिक और सभ्यता के जो पैर उखड़ रहे हैं उन को फिर से जमाने की चेष्टा करें। आइडियोलाजीज के संघर्ष में, वादों और नारों की बुलन्दी में जो जमीन से खिसकते जाते हैं उस का नतीजा यही होता है। पश्चिमी मुल्कों की समस्या कहीं ज्यादा है और जैसा कि मैंने निवेदन किया जापान में १ करोड़ में ३६ महिलायें और फ्रांस में ५,०३६ महिलायें हैं सेक्स क्राइम में। पूर्वी सभ्यता और संस्कृति के उत्थान के लिये नितांत आवश्यक है कि हमारे समाज कल्याण मंत्री इस का भी ध्यान रखें कि इन चीजों की तरफ से आंख न मोड़ी जाय।

मैंने, श्रीमन्, आपका बहुत कीमती समय लिया लेकिन मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजने से कोई विशेष लाभ न होगा। इसके लिये जिस अनुभव की जरूरत है वह अनुभव एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के द्वारा स्वतः कार्य करते रहने से प्राप्त होगा वही अनुभव हमको ज्यादा लाभदायक साबित होगा। सेलेक्ट कमेटी में भेजने से इस समस्या का हल नहीं हो सकता। जितनी तकरीरें की गयी, उनके सम्बन्ध में मैं बड़े अदब और लिहाज के साथ कहना चाहता हूं कि यह साबित होता है कि हमें अपनी मौलिक टीचिंग की जानकारी नहीं है और हम समस्या की तह तक नहीं पहुंचते और हम फंडामेंटल्स को भुलाकर और गलत धारणाओं को बनाकर जिस तरह से समस्या को हल करना चाहते हैं। वह चीज सेलेक्ट कमेटी के द्वारा हल नहीं हो सकती।

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

उसके हल करने के लिये जरूरी है कि एक ऐक्ट बनाया जाय, काम में लागू किया जाय और इस समय जो संशोधन चाहें, माननीय सदस्य करें। लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखें कि गवर्नमेंट के बिना अपने हाथ में लिये और बिना अपनी अथारिटी को अधिक एगजर्ट किये यह बिल सफलीभूत नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२९ अगस्त, १९५६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५५ पर)

जिला देवरिया में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खुलने वाले ब्लाकों की सूची

ब्लाकों के नाम

१९५६–५७	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०	१९६०–६१
१—हाटा*	:-:१—रुद्रपुर	१—पथेरदेवा	१—सुखरौली	१—बेतालपुर
२—पडरौना†	‡२—शिवराही	२—खड्डा	२—नेबुआ-नौरंगी	२—देवरिया
३—देसाई-देवरिया	:-:३—भागलपुर	३—रामकोला	३—दुधई	३—गौरी बाजार
४—भटपुरा-रानी‡	४—तमकोही	४—बनकटा	४—रामपुर-कारखाना	४—मोतीचक
	:-:५—बिशुनपुर	५—लार	५—भाटानी	५—फाजिल नगर
				६—भलोनी
				७—बरहज

*१९५७–५८ में आई० डी० ब्लाक बनाने पर विचार होगा।

†१९५८–५९ में आई० डी० ब्लाक बनाने पर विचार होगा।

‡१९५९–६० में आई० डी० ब्लाक बनाने पर विचार होगा।

:-:१९६०–६१ में आई० डी० ब्लाक बनाने पर विचार होगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये पीछे पृष्ठ १६८ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६

कुछ प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को संशोधित करने का

विधेयक

आगे विदित होने वाले प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० का संशोधन करना आवश्यक है:—

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम 'उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५६' कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

यू० पी० ऐक्ट, १५, १९४८ की धारा १० का संशोधन।

२—(१) संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (जिसे आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १० की उपधारा (३) के खंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जायगा और पहिली अप्रैल, १९५६ ई० को तथा उस दिनांक से रख दिया समझा जायगा:—

"(१) पुनरीक्षण अधिकारी (Revising Authority) अपना इस बात का समाधान करने के निमित्त कि अपील सुनने वाले अधिकारी अथवा कर निर्धारक अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन दी गयी आज्ञा वैध अथवा उचित है, अपनी इच्छा से या बिक्री-कर कमिश्नर या विक्षुब्ध व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर, अपने विवेक से, उक्त आज्ञा के कागजात मंगा सकता है तथा उसकी जांच कर सकता है और ऐसी आज्ञा दे सकता है, जिसे वह उचित समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी प्रार्थना-पत्र ऐसी किसी दशा में नहीं लिया जायगा जब कि आज्ञा के विरुद्ध अपील की जा सकती थी परन्तु की नहीं गयी।"

विचाराधीन कार्यवाहियां।

३—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ की धारा १० द्वारा अथवा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा १२ द्वारा मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (३) में किये गये किसी संशोधन के होते हुये भी उपर्युक्त उपधारा (३) के अधीन विक्षुब्ध व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर या अन्य कारण के आरम्भ की गयी समस्त लिखित कार्यवाहियों की, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष विचाराधीन हों, सुनवाई और निर्णय उसी प्रकार किया जायगा मानो इस अधिनियम की धारा २ द्वारा किया गया संशोधन सभी सारवान् दिनांकों (Material dates) पर प्रवृत्त (inforce) रहा हो।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश विक्री–कर (संशोधन) अधिनियम, १९५६ (१९५६ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १९) द्वारा संशोधित किये जाने से पूर्व संयुक्त प्रान्तीय विक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० "१९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय अधिनियम सं० १५" की धारा १० की उपधारा (३) के अन्तर्गत विक्री–कर न्यायाधीश (पुनरीक्षण) को उसके समक्ष पुनरीक्षण के लिये प्रस्तुत किये गये किसी वाद के सम्बन्ध में उसके विधिक तथा तथ्य सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने का प्राधिकार प्राप्त था। किन्तु संशोधित उपधारा (३) के अधीन केवल विधिक प्रश्न के सम्बन्ध में ही पुनरीक्षण की प्रार्थना स्वीकार की जा सकती थी। सरकार द्वारा नियुक्त विक्री–कर समिति ने यह सिफारिश की है कि इस सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ से पूर्व जो स्थिति विद्यमान थी वही फिर कायम कर दी जानी चाहिये। सरकार ने यह सिफारिश मंजूर कर ली है।

तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१६७–१९५६—७९६।